Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २० वां दिवस [संख्या १४

बुधवार, दिनांक ११ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८.९ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, श्रम, वित्त, शक्ति, वन, योजना, आबकारी, न्याय, करारोपण सहकारी एवं पंचायत-विभाग]

प्रश्न संख्या ३२०

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मजलिस खां।

सतवाड़ी ग्राम के पास नाले पर पुल

३२१. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी सड़क पर सतवाड़ी ग्राम के पास एक नाला पड़ता है जो वर्षा काल में अधिक वर्षा होने पर ट्रैफिक व पैदल आवागमन को कई दिन तक रोक देता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस नाले पर पुल बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या यह पुल वर्षा काल से पहले ही बनवा दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) अधिक वर्षा में आवागमन में कठिनाई होती है, किन्तु आवागमन अधिक समय के लिए बंद नहीं होता।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री मजलिस खां : अध्यक्ष महोदय, यह नाला बिलकुल मैन रोड पर है, कभी कभी यहां तक नौबत आ जाती है कि मवेशी और मवेशियों को चराने के लिये छोटे छोटे बच्चे जंगल में जाते हैं वे जंगल ही में रह जाते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय उपमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये स्वीकृति दी जाय क्योंकि यह नाला कई बार कई दिनों तक उतार नहीं देता है और मवेशी और छोटे छोटे बच्चे जंगल में ही रह जाते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अर्थाभाव के कारण रखा जाना मुश्किल है।

श्री मजलिस खां : इसमें इतना लम्बा-चौड़ा पैसा खर्च नहीं होता है कि आपके अर्थाभाव पर ज्यादा बोझा डाले।

प्रश्न संख्या ३२२

श्री अध्यक्ष :

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

रेलवे प्रशासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग

३२३. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

भारतीय रेलवे प्रशासन से प्रति वर्ष राजस्थान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है तथा उसका प्रति वर्ष क्या उपयोग होता है ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्रीमती कमला) बेनीवाल) : राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से रेल यात्रा किराया पर कर के बदले में ८५ लाख की निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। यह राशि राज्य की साधारण आय का अंग है। यह किसी विशेष कार्य के वास्ते नहीं दी जाती है।

इसके अतिरिक्त ८ लाख रुपया प्रतिवर्ष रेल्वे पुलिस के खर्च के प्रति और आता है और वह इसी मद पर ही खर्च होता है।

श्री भीमसेन : जो सुपरटैक्स रेल्वे फ्रेट पर लगता है उससे राजस्थान राज्य को आमदनी हो रही है, उसका सरकार किस प्रकार उपयोग करती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि रेल किराये पर टैक्स लगता है, उसका ८५ लाख रुपया राजस्थान सरकार को मिलता है।

श्री भीमसेन : यह पैसा तो इसलिये दिया जाता है कि रेल्वे क्रोसिंग्ज हैं, रोड्स हैं, रेल्वे के आस-पास उनको डेवलप करने के लिये खर्च करें। आप इसे राज्य के सामान्य एक्स्चेकर के मद में जमा करते हैं यह ठीक नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने बताया कि सिर्फ इस काम के लिये दिया जाता है, वह ठीक नहीं है, वह राज्य की साधारण आय ही का पैसा है और राज्य की साधारण आय में जमा होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल !

पॉवर हाउस, टोडा

३२४. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील टोडा भीम में टोडा में जो पॉवर हाउस है वह दिन के २ बजे से बिजली देना प्रारम्भ करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को अधिक सुविधा देने के दृष्टिकोण से इसे सुबह ८ बजे से ही प्रारम्भ करवा देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : जी हां। सुबह ८ बजे से प्रारम्भ करना आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं होगा क्योंकि उस समय बिजली की खपत बहुत ही कम है किन्तु अब सुबह १० बजे से रात के बारह बजे तक पॉवर हाउस चालू रहने लगा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२५

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२६

श्री रघुवीरसिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२७

श्री अमरसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हरदत्तसिंह !

नौहर-भादरा सड़क

३२८. श्री हरदत्तसिंह (नौहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नौहर, भादरा सड़क को ग्राम पालिका की आबादी के नजदीक पुरानी सर्वे लाइन छोड़ कर नया घुमाव दिया गया है जिससे यह सड़क आबादी के मध्य से गुजरेगी ?

(२) अगर हां, तो क्या राज्य सरकार पुरानी सर्वे लाइन पर ही इस सड़क के निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरदत्तसिंह : समझ में नहीं आया, 'जी नहीं' का क्या मतलब है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने पूछा कि पुरानी सर्वे लाइन छोड़ कर नया घुमाव दिया गया है; उसी का उत्तर दिया है, उत्तर साफ है।

प्रश्न संख्या ३६०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान

राज्य में बनी शराब

३३०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कहां कहां और कितनी कितनी तरह की शराब बनती है और कितनी कितनी स्ट्रैन्थ की बनती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर डिस्टिलेरी में भी शराब बनाई जाती है और यहां से बाहर भी भेजी जाती है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

Page No.4

(श्री जोधसिंह चौहान)

(३) क्या यह सही है कि यहां पर जो सरकार ने शराब बनाने की स्ट्रेन्थ दे रखी है उससे हल्की बनती है ?

(४) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर या जिले में जो व्यापारी या ठेकेदार शराब बेचते हैं उसका कोई बिल काट कर खरीदने वाले को नहीं देते। और रेट से भी अधिक चार्ज कर लेते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बिल काट कर देने का प्रबन्ध करेगी ?

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। बाहर जिन स्थानों को शराब भेजी जाती है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। केवल विदेशी शराब दूसरे राज्यों में इम्पोर्ट परमिट आने पर बाहर भेजी जाती है। रम का लगभग ६० प्रतिशत भारतीय सेना के उपयोग के लिये भेजा जाता है।

(३) जी नहीं।

(४) उदयपुर नगर में विदेशी व भारत में निर्मित विदेशी शराब साधारणतया बिल काट कर बेची जाती है किन्तु राजस्थान एक्साइज नियम के अन्तर्गत विक्रेता बिल काटने के लिये बाध्य नहीं है।

देशी शराब के लाइसेंसदार शराब बेचने पर खरीददार को बिल काट कर नहीं देते हैं, न वे ऐसा करने के लिये बाध्य हैं। रेट से अधिक कीमत लेने की शिकायत आने पर लाइसेंसदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

शराब विक्रेताओं के लिये बिल काटने का अनिवार्य नियम बनाना असंगत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि सरकार के पास इस सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें आईं, पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के पास यदि इस प्रकार की शिकायत आती है कि निर्धारित दर से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता है तो सरकार कार्यवाही करती है। उदयपुर में खैरातीवाड़ा और गोपवाड़ा के ठेकेदारों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत आने पर केसेज बना लिये हैं और वे केसेज विभाग में विचाराधीन हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा पाटन : नियमों के अनुसार ठेकेदार को अपनी दूकान के बाहर रेट का बोर्ड लगाना अनिवार्य है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : जो प्रश्न पूछा गया है उसका मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है, उसके रिलेवेंट सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे जायं, उनका उत्तर देने को तैयार हूँ; लेकिन जो पूछे गये प्रश्न से रिलेवेन्सी नहीं रखते इस प्रकार के सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे जायं तो वह तो उनका उत्तर देने में मुझे असमर्थता होगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसमें आपको क्या असमर्थता है, नियमों की बात है; नियमों के लिये पूछा गया है कि बोर्ड लगाना अनिवार्य है या नहीं, आप इसको छिपा रहे हैं। क्या यह सही है कि नियमों

Page No.5

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

के अनुसार प्रत्येक शराब बेचने वाले को रेट का बोर्ड लगाना चाहिये । आपके इन्सपेक्टर्स जाते हैं उनको बोर्ड नहीं मिलता है, फिर भी वे कुछ नहीं करते और इसका नतीजा यह होता है कि वे मनमानी रेट चार्ज करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मनमानी रेट्स का प्रश्न नहीं आता। हमारे इन्सपेक्टर्स चैक करते रहते हैं। जहां इस प्रकार की शिकायत आती है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है। रेट के अनुसार ही देना-लेना पड़ता है। बोर्ड लगाना चाहिये या नहीं लगाना चाहिये, मैं अभी फिलहाल डेफिनिटली नहीं कह सकता। पर रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बोर्ड लगाया जावे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : भारतीय सैनिकों के लिये शराब भेजी जाती है वह भारत सरकार की मार्फत भेजी जाती है या डाइरेक्ट आप भेजते हैं ?

श्री अध्यक्ष : डिफेंस डिपार्टमेंट स्वयं करता होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : भारतीय सैनिकों के लिए जैसे आपने कहा कि शराब बेचते हैं तो क्या भारत सरकार निश्चित् मात्रा में आपसे शराब लेती है या आप डाइरेक्ट भेजते हो ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मिलिटरी के जितने कैन्टीन्स हैं उनके पास परमिट्स हैं, उनकी जब मांग आती है तब भेजते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपने प्रश्न के भाग २ के उत्तर में बताया कि ज्यों-ज्यों शराब की मांग होती है आप भेजते हैं। कृपया बताइये आप शराब कितनी मात्रा में बनाते हैं और उदयपुर में जो शराब बनती है वह सफीशियेन्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : उदयपुर में जो शराब बनती है, वह सरकार नहीं बनाती है एक प्राइवेट आदमी बनाता है। इसलिए उसका शराब बनाना अबेलबिलटी ऑफ दी रॉ मैटीरियल पर निर्भर है। इस साल मात्रा कम बनी है क्योंकि मौलासेज़ नहीं मिले। भारत सरकार को रम बनाकर भेजते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : ठेकेदारों के पास जो शराब की शोटेर्ज चल रही है सरकार उसके बारे में क्या बिचार रखती है ?

श्री मथुरादास माथुर : शराब के ठेकेवालों को पूरी शराब दी जाती है। कोई शिकायत कहीं से नहीं है कि शराब की कमी है।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं आपको निम्बाहेड़ा की मिसाल देता हूं। क्या सरकार को मालूम है कि वह शराब टाइम पर सप्लाइ नहीं करता। चित्तौड़गढ़ की भी ऐसी हालत है, जैसे कि ड्राइ एरिया है। वहां एक बूंद भी शराब की नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : जिस ठेकेदार की बात आप करते हैं वहां परसों ही २ हजार गैलन शराब भेजी जा चुकी है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि आपके जो प्रिवेन्टिव फोर्स के आदमी हैं वे दबकर शराब पीते हैं।

प्रश्न संख्या ३३१

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३२

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३३

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

कॉपिंग वर्क

३३४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : Will the Minister for Law and Judical Department be pleased to state :—

(1) Are there any rules for the supply of 'urgent' and 'ordinary' copies on applications in jndical courts ?

(2) If such rules are there, why copies on urgent applications are not usually given in time in Jalore Additional Sessions and Munsif Magistrates courts during the last one year or so ?

(3) In the last one year, how many copying applications of ordinary and urgent nature were presented in Additional Sessions Court, Munsif Magistrate Court and Additional Munsif Magistrate Couri Jalore and after how many days copies were given to the applicants, and what were the reasons for so much delay ?

(4) Is Government prepared to provide additional staff for copying work in the above courts soon ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीपरसराम मदेरणा): (१) जी हां

(२) आवेदन-पत्रों की अधिक संख्या होने से समय पर प्रतिलिपियां नहीं दी गईं।

(३) क—आवश्यक ४८५, साधारण ६८२

ख—आवश्यक औसत १०, ५ दिन में।
साधारण औसत १५, ५ दिन में।
कारण खंड (२) के उत्तर में बताया जा चुका है।

(४) उच्च न्यायालय से प्रोपोजल (proposal) आने पर इस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जहां ७ दिन का प्रावधान है उसके लिए ३५ दिन लग जाते हैं। जब इतना वर्क है और इतनी अर्जेन्सी है तो इस बारे में राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेने का विचार करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इन पोस्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाईकोर्ट का है और अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज हाईकोर्ट को मूव करें और हाई कोर्ट राजस्थान सरकार से और कोपिस्ट्स अपोइन्ट करने के लिए कहे तो अपोइन्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हाइकोर्ट का प्रोपोज़ल नहीं आया है। हाई कोर्ट का जवाब आज हमारे पास पहुँच जायगा। जो कुछ इन्फोर्मेशन टेलीफोन से मौजूद हो सकी वह मैंने बता दी। लेकिन मैंने यह पता लगा लिया कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज बालोतरा ने हाई कोर्ट को जरूर मूव किया है कि कोपिस्टस वहां पर नहीं हैं। नियम के अनुसार साधारणतया अर्जेन्ट डॉक्युमेंट्स की कॉपी २४ घन्टों के अन्दर मिल जानी चाहिए और जो आॅर्डीनरी हैं उनको ७ दिन में मिलनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य की डिफिकल्टी को समझता हूँ। लेकिन सेपरेशन के बाद जितना काम बढ़ गया उसके कम्पेरेटवली कॉपिस्ट्स नहीं लगाए गए। हाईकोर्ट की प्रोपज़ल्स आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज बालोतरा और वहां के एडीशनल सेशन्स जज, कई बार, साल भर से बराबर लिख चुके हैं कि कोई कोपिस्ट नहीं है और तीनों कोर्ट्स का काम इतना बढ़ गया है कि लोगों को बड़ी असुविधा होती है। यह साल भर की बात है। जब प्रश्न दिया आपके पास...

श्री परसराम मदेरणा : २५-२-६४ का परिपत्र जो हाईकोर्ट ने हमारे पास भेजा है वह यह है :

"The District Judge, Balotra, has not yet approached this Court (High Court) for providing additional staff for copying work in the court of Additional Sessions Judge, Jalore."

हाईकोर्ट लिखता है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स कोर्ट बालोतरा ने स्टाफ के लिए हाई कोर्ट को एप्रोच नहीं किया है, लेकिन हमने जो डाइरेक्टली बात की थी उससे मालूम हुआ कि उन्होंने एप्रोच किया है, अब हाईकोर्ट का प्रोपोज़ल क्या है, डीटेल्स मुझे मालूम नहीं। हाईकोर्ट का सेक्रेटरिटेट बन्द हो गया था। कोशिश के बावजूद भी पता नहीं लगा सके कि वे क्या प्रोपोल्जस भेज रहे हैं ?

श्री भीमसिंह (लूणकरणसर) : जब सरकार के सामने दिक्कत आ गई तो सरकार खुद हाई कोर्ट से नहीं कह सकती ?

विधि-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सवाल यह है कि लिमिटेशन एक्ट के तहत काफी दिन दिये गए हैं। बाकी सवाल बेल एप्लीकेशन का रहता है वह बराबर टाइम में मिलती रहती है। माननीय सदस्य के सवाल से मैं समझता हूं कि कुछ केसेज के अंदर देरी हुई है जो ऑर्डिनरी सिविल अपील्स हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप देख लें कि जितनी एप्लीकेशन्स पेश हुई हैं एवरेज २४ घंटे के लिए, उससे १० दिन बाद ही निकाली हैं। १० दिन और २४ घंटों में फर्क होता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

यात्री कर तथा उसकी वसूली।

३३५. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) यात्री कर वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है ? यात्री कर

Page No.8

(श्रीमती सुमित्रा)

वसूल होकर कितने दिन में राज्य सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए ? आज तक कुल कितना यात्री कर वसूल हुआ है ?

(२) कितना यात्री कर कब से किस-किस बस मालिक ने जमा नहीं करवाया है ? यात्री कर वसूल करके राज्य सरकार को जमा नहीं करवाने की क्या सजा निर्धारित है ? क्या समय पर जमा नहीं कराना गबन की श्रेणी में आता है ?

(३) जिन बस मालिकों ने यात्री कर वसूल करके जमा नहीं करवाया उनके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राजस्थान यात्री एवं मालकर अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत यात्री कर वसूल करने की जिम्मेदारी कर निर्धारण अधिकारी की है। यात्री कर Rule १० के अनुसार महीना समाप्त होने की तारीख से ७ दिन के अंदर राजकोष में जमा करानी चाहिए। यात्री कर की वसूली का कोई अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है, क्योंकि यात्री कर और मालकर जमा कराने का एक ही मद (Head of Account) है।

(२) बसों के मालिकवार बाकीयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यात्री कर समय पर जमा नहीं कराने की हालत में उपरोक्त अधिनियम की धारा ६-८ एवं धारा १६ के अन्तर्गत शास्ति (पेनेल्टी) व जुर्माना लगाने की व्यवस्था है। यदि मांग पत्र में दिये गये समय में मोटर मालिक रकम जमा नहीं कराता है तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जिलाधीश द्वारा बाकीदार की चल या अचल या उपरोक्त अधिनियम की धारा ११ (२) के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति कुर्क करके वसूली की जा सकती है। समय पर जमा नहीं कराना गबन की श्रेणी में नहीं आता।

(३) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बाकीदार के समय पर रकम जमा नहीं कराने की स्थिति में धारा ६, ८ या १६ के अन्तर्गत जुर्माना किया जाता है और रेवेन्यू आॅथोरिटी को कलेक्टर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली हेतु लिखा जाता है। यात्री एवं मालकर अधिनियम की संशोधित धारा ११ के अनुसार बाकीदार से बाकी की रकम उसकी चल सम्पत्ति कमिश्नर की अनुमति द्वारा कुर्क [illegible] वसूल करने के अधिकार दे दिये गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा : कितना यात्री कर कब से किस किस बस मालिक ने जमा नहीं कराया, उसकी सूचना नहीं मिली।

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर हम एक एक बस के ओनरवाइज़ सभी जिलों के आंकड़े मंगाएं तो तीन माह का समय लग सकता है। इसलिए हमने यह जरूरी समझा कि इस खंड को छोड़कर बाकी का उत्तर दिया जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : नियम यह है कि एक माह के अंदर टैक्स जमा करा देना चाहिए। जब जमा नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट से जानकारी करवाई कि फलाने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

फलाने बस मालिकों ने नहीं करवाया है। ऐसे कितने केसेज़ हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यवाही की गई है और असेसिंग ऑथोरिटीज़ ने बहुत बड़ी संख्या के अंदर अटैचमेंट्स भी किए हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर पब्लिक डिमांड्स रिकवरीज़ एक्ट के अधीन रिक्वीज़ीशन्स कलेक्टर्स को भेज दी हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सरकार ने नियमों में संशोधन किया है अप्रेल १९६३ में कि जिसका पैसेंजर टैक्स रहता है उसको कलेक्टर टोकन इशू नहीं कर सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात मोटर विहीकल्स एक्ट में है उसमें संशोधन किया गया है कि जब तक क्लियरेंस सर्टीफिकेट असेसिंग ऑथोरिटी नहीं देती है तब तक ट्रांस्पोर्ट ऑथोरिटी टोकन इशू नहीं करती। लेकिन ये पुराने टैक्सेज़ हैं। यह फाइनेन्शियल ईयर तो चल रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे १९६२ के हैं।

श्रीमती सुमित्रा : आज तक कितने यात्री कर की वसूली हुई है, कम से कम यह जानकारी तो दे दें ।

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग सालों में अलग अलग यात्री-कर वसूल हुआ है। जैसे मैंने ऊपर निवेदन किया है, यात्री-कर और माल-कर दोनों देने का एक ही हेड है । अलग २ इन्फोर्मेशन लेने में बहुत समय लगता, इसलिए मैं दोनों के शामिल आंकड़े दे सकता हूँ :

१९६३–६४ में १,११,९९,८१९ रु० के यात्री कर और माल कर वसूल किए गए ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सत्य है कि बसेज़ के किराये के साथ ही........

श्री अध्यक्ष : बकाया के बारे में भी कुछ संकेत कर सकते हैं।

श्री परसराम : बकाया के बारे में अब तक जो इन्फोर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से ७,९१०) है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि यात्री-कर बसेज़ के किराये के प्रत्येक टिकिट पर वसूल किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं कह चुका हूँ कि किया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस प्रकार से जो यात्री-कर ले लिया जाता है उसके रिटर्न हर महीने पेश करने जरूरी हैं, उसको रोक लिया जाता है, इसलिए काफी नुकसान होता है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मंत्री महोदय दे चुके हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इस सम्बन्ध में कोई लीगल एडवाइस ली गई ?

श्री अध्यक्ष : लीगल एडवाइस लेकर ही कहा है, मन से थोड़े ही कहते हैं।

Page No.10

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपके नोटिस में आने के बाद लोगों में यात्री-कर रहता है बकाया, जैसा मेरे दो क्वेश्चन्स इस बारे में आये, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी ऐसे बस ओपरेटर का परमिट खारिज किया गया है जिसमें लाखों रुपया बकाया है और उसका टोकन रिन्यू नहीं किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : परमिट खारिज करना हमारे अधिकार की बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी के अधिकार की बात है। २७२ केसेज़ में हमने अटैचमेन्ट किया है। कई दफा हमें बस ओपरेटर्स से कम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। मान लीजिये कि किसी बस ओपरेटर में दस हजार रुपया बकाया है, हम उसके दस हजार के माल को कुर्क करते हैं। वह दस हजार ही मिल जाय, ऐसा नहा है; वह मिलने वाला नहीं है। दफा ११ के अन्तर्गत ऑथोरिटी दी है, उसके अन्तर्गत मूवेबल प्रोपर्टी ही अटेच कर सकते हैं। जब मूवेबल प्रोपर्टी से गवर्नमेन्ट का जितना टैक्स है वसूल नहीं हो रहा है तो रिक्वीज़िशन करते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : गवर्नमेन्ट जानती है कि ठीक तरह से एडजस्टमेन्ट नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट और टैक्सेशन विभाग के लिए आप एक ऑडिट पार्टी क्यों नहीं रख लेते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कब कहा कि असेसमेन्ट ठीक नहीं होता है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने फरमाया कि इस पोजिशन में नहीं हूं कि ठीक ड्यूज़ बता दूं। क्या सरकार बता सकती है कि इस तरह की ऑडिट पार्टी टैक्सेशन विभाग की ओर से रख ली जाय ताकि असेसमेन्ट और ठीक हों।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने बताया ....

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next Question.

चाकसू-कोट-खावदा सड़क

३३६ श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जयपुर में कस्बा चाकसू से कोटखावदा तक जिस सड़क की मंजूरी हुए करीब ७ साल हो गये हैं और जिसका काम अभी शुरू हुआ है, उस पर क्या सरकार डामर कराने का भी विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(२) उक्त सड़क पर जो नाले पड़ते हैं क्या उन पर भी सड़क के साथ पुल बनवाये जावेंगे?

(३) उक्त सड़क का ठेका इतने अर्से में किस किस ठेकेदार को कब कब दिया गया था और अब इस सड़क का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है? जिन ठेकेदारों ने इस सड़क का ठेका लेकर काम नहीं किया और छोड़ कर चले गये उनसे पैनल्टी वसूल की गई या नहीं?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। डामर किये जाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) विचाराधीन है।

(३) नाम ठेकेदार	मील	दिनांक	पैनेल्टी वसूल की गई	पैनेल्टी वसूल करनी बकाया
१. श्री राम सहाय रामचरन	१ से ५ तक	१८.५.५८	२,३६०)	–
२. श्री हरसुख राय जैन	६ से १० तक	६.४.५६	–	६,३२४) यह कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया, दूसरे को दिया।
३. सेठी ब्रॉदर्स	६ से १० तक	१६.१.५६.	७,५६३) रु.,	२,६३३)रु.
४. अब भारत श्रमिक सहकारी समिति	६ से १०	१६.११.६३.	काम चल रहा है।	

श्री नाथूलाल करोल : क्या यह सही है कि वहां पर आज-कल काम बन्द पड़ा हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अभी चल रहा है।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय अध्यक्ष, मैं कल ही जाकर आया हूं, काम बिलकुल बन्द पड़ा है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि चालू है; यह गलत सूचना क्यों दे रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : बाद में ठेका दिया गया। नवम्बर १६६४ में अवधि पूरी होगी। यह हो सकता है कि आप गये हों और काम बन्द हो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मुझे भी ऐसी ही सूचना दी गई। मैं अब भी यह निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इसको देख सकते हैं। आज भी रोड्स की यह हालत है।

प्रश्न संख्या ३३७

श्री अध्यक्ष : श्री रामसहाय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३८

श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री रविशंकर याज्ञनिक।

पिंडवाड़ा-उदयपुर सड़क

३३६. श्री रविशंकर याज्ञानिक (पिंडवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिंडवाड़ा (जिला सिरोही) से उदयपुर जाने वाली सड़क के निर्माण के लिये कितनी रकम मंजूर हुई है ?

(२) इस कार्य की क्या प्रगति है ?

Page No.12

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

(३) यह सड़क कब तक तैयार हो जावेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना : (१) उदयपुर जिले में ३६,००० रु० स्वीकृत है ।

(२) उदयपुर जिले में ३ मील पूर्ण हो चुके हैं और कुछ पुलियों का काम चालू है।

(३) आशा है उदयपुर जिले में बनने वाला भाग तृतीय योजना के अन्त में ।

प्रश्न संख्या ३४०

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार ।

निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ा सड़क

३४१. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ा तक सड़क बहुत ही खराब है?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के बनाने हेतु एस्टीमेट भी बनाया गया है ? यदि हां, तो कुल एस्टीमेट कितने का बना है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के खराब होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा है और इसके लिये लोगों ने सरकार से प्रार्थना भी की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इस सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) निम्बाहेड़ा की ओर से ८ मील तक मेटल रोड है तथा मील ९ से २४ तक रोड है और सड़क की हालत अच्छी नहीं है।

(२) इस रोड को पक्का बनाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है केवल प्राथमिक एस्टीमेट ६,११,०००) रु० के बनाये गये थे ।

(३ जी हां,। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या सरकार यह जानती है कि इस सड़क पर कितना व्यापार होता है और कितने पैसेन्जर चलते हैं ?

(विराम)

क्या सरकार को यह मालूम है कि इस सड़क के खराब होने के कारण पैसेन्जर्स को और सरकार को अपने टैक्स का कितना नुक्सान होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हमेशा अर्थाभाव की बात

Page No.13

(श्री अब्दुलजब्बार)

करते हैं। वैसे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसका कुछ नहीं। मैंने प्रश्न के जरिये से यह बता दिया है कि सरकार को पैसेंजर्स टैक्स का कितना नुक्सान होता है। यह सरकार समझती नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार एक बगावत को जन्म दे रही है। क्या सरकार यह उचित समझती है कि वे लोग यहां झंडे लेकर आवें ? वे लोग झंडे लेकर यहां आवेंगे तब आंखें खुलेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप ही काफी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा बूंदी के कार्यालयों में बिल्स

३४२. श्रीकृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा व बूंदी के कार्यालयों में कितने व किन २ के व कब से (अवधि पर) वेतन बिल्स व यात्रा बिल्स पेंन्डिग है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) अभी तक उक्त बिल्स का भुगतान न होने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा के कार्यालय के बारे में सूचना परिशिष्ट (ग) व (घ) संलग्न है तथा सहायक रजिस्ट्रार, बूंदी के कार्यालय के बारे में सूचना परिशिष्ट (क व (ख) में संलग्न है।

(२) उक्त जिलों के अभी तक भुगतान न होने के निम्न कारण हैं :

१. महालेखापाल द्वारा किये गये आक्षेपों की पूर्ति में समय लगना।

२. ट्रेजरी द्वारा उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति में समय लगना।

३. इन्डेम्निटि बौंड तथा आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्राप्त करने में समय लगना।

४. कर्मचारियों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति में देरी होने या उनके द्वारा यात्रा बिलों के बिलम्ब से प्रस्तुत करना।

५. कर्मचारियों के स्थानान्तर होने से आक्षेपों की पूर्ति में समय लगना।

६. तीन साल से अधिक अवधिवार बिलों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने में तथा राज्य सरकार द्वारा उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति में समय लगना।

७. स्टाफ की कमी एवं पुराने रेकॉर्ड को देखने के कारण सहायक रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में समय लगना तथा उनके कार्यालयों में अनावश्यक देरी लगना।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सत्य है कि जो सूची आपने दी है उसके अन्दर सन् ५० से लेकर अब तक के एरियर्स यात्री बिल्स के और पेबिल्स के पेंन्डिग पड़े हुए हैं ?

श्री भीमसेन : एक दो केसेज हैं सूची में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि आपने जो लिस्ट दी है उसमें कई आदमी ऐसे हैं जो बेचारे फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं ?

श्री भीमसिंह : यह भी सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार उचित नहीं समझती है कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के और दूसरों के सन् ५० से बिल पैन्डिग हैं उनको किसी प्रकार एक्सपीडाइट करायें ?

श्री भीमसिंह : यह हम मानते हैं कि इतनी देर नहीं होनी चाहिये, लेकिन ऊपर निवेदन किया कि कारण उसके कई हुए हैं जिनसे देरी हुई है। जिनसे देरी हुई है उनसे जवाब-तलब किया जा रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि जो मुझे सूची दी है उन लोगों के कौन-कौन से बिल, किन-किन व्यक्तियों के क्या-क्या कमियां होने के कारण पैन्डिग हैं और जिनका पेमेन्ट नहीं हुआ है ?

श्री भीमसिंह : डिटेल्स सूची में मौजूद हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसमें यह लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : कितने रुपये बकाया हैं और कितना पेमेन्ट हो चुका है ?

श्री भीमसिंह : आप आज्ञा दें तो सूची में से पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : टोटल नहीं है ?

श्री भीमसिंह : टोटल नहीं दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कब तक निपटारा हो सकता है, यह बता सकते हैं ?

श्री भीमसिंह : हम तो जल्दी से जल्दी करेंगे। महालेखापाल में थोड़ा समय लग सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सूची दी गई है वह इनकम्पलीट है। मेरे पास जो सूची है इससे चार गुना फीगर्स हैं, जिन लोगों के बिल्स पैन्डिग पड़े हुए हैं। इनका पेमेन्ट नहीं होना, बिल्स का पेमेन्ट नहीं होना, मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता आज के युग में जबकि मँहगाई बढ़ रही है। गरीब लोग वैसे ही परेशान हैं, यह किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है।

श्री भीमसिंह : आपके पास जो सूची है वह कृपा करके मुझे दे दीजिये, उससे हमारी सूची को मिलाकर जो भी कमी होगी उसकी पूर्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शार्दूल टैक्सटाइल मिल को दी गई बिजली की दर

३४३ श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री शार्दूल टैक्सटाइल मिल, श्री गंगानगर को पॉवर

Page No.15

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हाउस श्री गंगानगर ने दो आना प्रति यूनिट के कन्सेशन रेट पर बिजली देना शुरू किया जब कि साधारण रेट तीन आना प्रति यूनिट थी ?

(२) क्या यह सही है कि मार्च, १९५१ के बाद मिल ने बिजली का कोई बिल अदा नहीं किया और अगस्त, १९५४ तक मिल की तरफ ७,१८,६९७) रु० बकाया हो गए ?

(३) क्या यह सही है कि ९–२–५५ को राज्य सरकार ने उक्त मिल का बिजली का रेट अन्तिम निर्णय तक डेढ़ आना प्रति यूनिट कर दिया और मिल ने पुराने बकाया में ५०,०००) रु० माहवार अदा करना मन्ज़ूर किया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त मिल ने इस फैसले के बावजूद एक भी पैसा अदा नहीं किया और जुलाई, ५५ तक उक्त फर्म की तरफ ९,५३,१९८) रु० बकाया हो गए ?

(५) क्या यह सही है कि ३०–१२–५७ को राज्य सरकार ने उक्त बकाया में से ४,५३,१९८) रु० की रकम उक्त मिल को माफ कर दी और केवल ५,००,०००) रु० बकाया निकाल दिया ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त मिल ने ५०,०००) रु० माहवार बकाया में अदा कराने का वायदा किया था और अदा न करने की सूरत में ५०,०००) रु० की सिक्यूरिटी जब्त कराने का वायदा किया था ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त मिल ने फरवरी, १९६२ तक एक भी किश्त जमा नहीं कराई ?

(८) क्या उक्त मिल ने अभी तक कोई रकम बकाया में से चुकाई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(९) इस समय उक्त मिल की तरफ कितना रुपया बकाया है और सरकार ने उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(१०) क्या उक्त मिल को अभी भी बिजली दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(११) उक्त मिल को ४,५३,१९८) रु० छोड़ने के क्या कारण थे और रेट में कन्सेशन देने का क्या कारण था ? क्या यह सही है कि रेट कन्सेशन से राज्य सरकार को ४७,०००) रु० का नुकसान हुआ ?

(१२) क्या यह सही है कि फर्म के इतना डिफॉल्ट के बावजूद उसकी ५०,०००) रु० की सिक्यूरिटी जब्त नहीं की गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) श्री शार्दूल टैक्सटाइल मिल श्री गंगानगर को युजिवल कन्सेशनल इन्डस्ट्रियल रेट पर बिजली सप्लाई करने का एग्रीमेन्ट था। तीन आने प्रति यूनिट की दर स्माल पॉवर परमानेन्ट कन्ज्यूमर्स के लिये थी।

Page No.16

(श्री चन्दनमल वैद्य)

(२) जी नहीं। शार्दूल टैक्सटाइल मिल से निम्नांकित रकम वसूल हुई थी :

	रु. आ. पा.
तारीख ३१.३.५२	१,२०६.११.०
तारीख १६.५.५२	६०,०००
तारीख ११.८.५२	२१४,०३.००
तारीख ३१.३.५३	१७,१२०.०२.०
योग	७८,५४१.००.००

२० अगस्त, १९५४ तक मिल की तरफ ७,१८,६६७) रु० बकाया हो गये थे।

(३) जी हाँ। यह निर्णय ६-७-५५ को लिया गया था।

(४) यह फैसला १-७-५५ को हुआ था, अतः ६-७-५५ के पहले अन्य कोई रकम जमा नहीं हुई।

(५) जी हाँ। इस बारे में विशेष रूप से नियुक्त कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने ६ पैसे प्रति यूनिट की दर से बकाया रकम वसूल करना तय किया और एडहॉक रिडक्शन करने के पश्चात् यह रकम ५ लाख रु० नियत की गई।

(६) जी हाँ।

(७) जी नहीं। मिल ने निम्नांकित रकम जमा कराई है :

तारीख ६.८.५५	रु०	१,००.०००
तारीख १६.६.५५	,,	५०,०००
तारीख २६.६.५५	,,	५०,०००
तारीख १.११.५५	रु०	५०,०००
तारीख ३१.१२.५५	,,	५०,०००
तारीख १०.१.५६	,,	४२,०००
सिक्यूरिटी ता. ६-८-५५ को	,,	५०,०००

(८) इसका उत्तर क्र० सं० ७ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

(९) इस विवाद के सिलसिले में मिल पर लगभग ८०,०००) रु० बकाया है। जिनकी वसूली सरकार के विचाराधीन है।

(१०) जी हाँ। बकाया रकम की वसूली का मामला अभी विचाराधीन है।

(११) कारण ऊपर प्रश्न ५ के उत्तर में दिया जा चुका है।

(१२) सिक्योरिटी जब्त करने के आदेश ८ अक्टूबर, १९५८ को जारी कर दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में आपने ४,५३,१६८ रुपये की रकम मिल को छोड़ने की बात कही है उसका क्या कारण बताया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मिल और सरकार के बीच में विवाद था। मिल वालों का कहना था कि हमें बिजली डेढ़ आना यूनिट के हिसाब से मिलनी चाहिये थी, दो आना प्रति यूनिट का चार्ज हम नहीं देंगे। उस वाद-विवाद को हल करने के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की गई। उसका यह फैसला था कि डेढ़ आना यूनिट से ही वसूल किया जाय।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूसरा विवाद था मिल वालों का कि उन कोई रेगुलर तौर पर बिजली मिली है। कभी वोल्टेज कम तो कभी ज्यादा, इस तरह से उनको प्रोडक्शन का बहुत लौस हुआ है। इसलिये बिजली का डेढ़ आना यूनिट के हिसाब से चार्ज कर उसमें से भी २५ प्रतिशत कन्सेशन दिया जाय। इन सारी बातों को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि डेढ़ आने के हिसाब से बिल तैयार किया जाय, इससे ५ लाख ८४ हजार हुए, उसमें से ५ लाख तक फिक्स किये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओरिजनल कोन्ट्रेक्ट किस रेट पर देने का था ?

श्री चन्दनमल वैद : कोई भी रेट्स फिक्स नहीं की गई। सन् ४६ में स्टेट के समय यह एग्रीमेन्ट हुआ था उसमें यह था कि इनको यूजुअली कन्सेशन रेट पर बिजली दी जायगी। कन्सेशन दिया गया उस समय राजस्थान का निर्माण हो चुका था। बीकानेर स्टेट के समय कोई दर तय नहीं हुई थी, तो मिल का यह कहना था कि डेढ़ आना यूनिट से बिजली दी जाय, हमने कहा हम दो आना यूनिट चार्ज करेंगे यह वाद-विवाद जब चला तो उसके बाद कमेटी की नियुक्ति हुई और यह तय किया गया कि इनसे पांच लाख रुपया ही चार्ज किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार के कन्सेशन्स और किसी को भी दिये गये हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न केवल बीकानेर स्टेट का ही नहीं है। हमने जहां पांच लाख ८६ हजार रुपया चार्ज होता था वहां हमने उसको पांच लाख तक फिक्स किया, क्योंकि उन्हें इस तरह से लौस हुआ था जैसा मैं पहले कह चुका हूँ।

श्री केदारनाथ : (गंगानगर) यह जो स्टेटमेन्ट ऑफ एरियर्स है, उसमें ८० हजार रुपया कितने साल से बकाया है ?

श्री चन्दनमल वैद : दूसरा विवाद यह था, मिल का यह कहना है कि पांच लाख फिक्स किया गया है उसमें का ७८ हजार रुपया पहले दे चुके हैं उसको भी पांच लाख में एडजस्ट किया जाय। लेकिन इन पांच लाख रुपयों में ये ७८ हजार रुपये शामिल नहीं हैं, यह विवाद विचाराधीन है। हमने उनको पचास हजार की सिक्योरिटी भी जप्त कर ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार ने पी० डी० आर० की इस मिल के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जब कि एक कन्जूमर के खिलाफ एरियर्स रह जाने पर आम कार्यवाही करते हैं, उनका कनेक्शन काटा जाता है। इस मिल के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्यवाही की गई क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : इनके खिलाफ कार्यवाही की गई, लेकिन इसके साथ ही मिल ने यह शिकायत की कि चूंकि यह विवाद का विषय है; इस विवाद को जब तक तय न किया जाय कनेक्शन न काटा जाय। यह सारा विवाद है ५१ से ५४ तक का। ५४ के बाद कनेक्शन काटा गया था। ५५ से लेकर आज तक कोई वसूली की राशि नहीं है। यह सारा विवाद ५१ से ५५ के बीच का है।

Page No.18

श्री अब्दुल जब्बार : (निम्बाहेड़ा) विभाग यदि गलती करता है तो उसको क्या सजा दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जिनिंग प्रेसेज-गंगानगर शहर

३४४. केदारनाथ (गंगानगर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. गंगानगर शहर में कितनी जीनिंग प्रेस हैं और उनमें कितने मजदूर सीजन में काम करते हैं और उनका न्यूनतम बेतन क्या है ?

२. क्या यह सही है कि उनसे आठ घण्टे से ज्यादा काम लिया जाता है ?

३. क्या यह सही है कि कम उमर के बच्चे काम पर लगाये जाते हैं ? उनके सम्बन्ध में सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

उप मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) श्री गंगानगर शहर में ६ जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां हैं और उनमें औसतन ७६२ मजदूर काम करते हैं ।

(ख) उपरोक्त ६ फ़ैक्ट्रियों के अतिरिक्त ११ जिनिंग फैक्ट्रियां और भी हैं । जिनमें ६ बन्द हैं और ५ चालू हैं । उनमें औसतन १७६ मजदूर काम करते हैं ।

(ग) इनका कोई न्यूनतम बेतन निर्धारित नहीं

(२) यह सही नहीं है ।

(३) (क) यह सही नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री केदारनाथ : जिनिंग प्रेसेज में जो मजदूर काम करते हैं उनमें लेबर लौज लागू हैं ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : फैक्ट्रीज एक्ट लागू है ।

श्री केदारनाथ : लेबर लौज लागू हैं या नहीं ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : फ़ैक्टरीज एक्ट लागू है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : फ़ैक्टरीज एक्ट में और लेबर लाज में कितना फर्क है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : जितना मन्त्री और उप-मन्त्री में है ।

श्री केदारनाथ : क्या ये प्रेसेज २५ साल से काम कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां ।

श्री केदारनाथ : लेबर लाज इनमें लागू करने के बारे में क्या सरकार आश्वासन दे सकती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

प्लान्टेशन की बाड़बन्दी ग्राम कोपला

३४५. श्री दयाचन्द सौन (बांरा) : क्या बन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री दयाचन्द सोन)

१। क्या यह सच है कि तहसील बारां में वन विभाग द्वारा ग्राम कोपला में जो प्लान्टेशन किया गया है उसके चारों तरफ बाड़ नहीं है ?

२। क्या कई बार वन विभाग के कर्मचारियों ने गांव के लोगों के मवेशियों को कायन हाउस में रखा और मनमाना जुर्माना वसूल किया ?

३। क्या वहां बाड़ फन्सिग नहीं होने से गांव के लोगों को काफी परेशानी है ? यदि हां, तो सरकार इस तकलीफ को कब तक मिटा देगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) जी नहीं। चारों तरफ बाड़ या खाई है।

२। जी नहीं।

३। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : बाड़ है या खाई है, स्पेसिफिक बताइये ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : बाड़ भी है और खाई भी है।

श्री अब्दुल जब्बार : आप यह साफ तौर से बताइये कि बाड़ है या खाई है ?

श्री अध्यक्ष : हम सब समझ गये है आप क्या कह रहे हैं, सारी तहसील भर का सवाल है।

श्री दयाचन्द सोन : प्लान्टेशन में बाड़ है या खाई है, यह तो बताइये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) क्या यह सही है कि बाड़ या खाई कोई चीज नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दोनों हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह कब से हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये दोनों बाड़ या खाई कितने एरिया को कवर करते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सौ-सौ एकड़ के दो प्लान्टेशनों का पूरा कवर करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बाड़ या खाई दोनों में से कोई भी नहीं होने से गांव के लोगों के जानवर उनमें पहुँच जाते हैं और इस पर वन विभाग वाले उनको कांजी हौज में बन्द कर देते हैं और जुर्माना करते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बाड़ लगी हुई है अब कोई तोड़कर पहुँच जावे तो बात दूसरी है।

श्री दलपतसिंह : (आबू) ग्राम पंचायत की फाटक में ले जाकर डालते हैं या क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : भीतर जो जावेगा, उसके लिये नियमानुसार जो कार्यवाही है वह होगी।

श्री दलपतसिंह : आपके वन विभाग का तो फाटक नहीं है। गांव पंचायत की

(श्री दलपत सिंह)

फाटक में डलवाते हैं और गांव वालों से जुर्माना वन विभाग वाले ले जाते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमानुसार जो भी प्रोसीजर है कांजी हाउस में बन्द करने का या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का, वह करते होंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस तरह से हुए जुर्माने से कितनी रकम वसूल हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३४६

श्री मोहनलाल सारस्वत

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४७

श्री माधोलाल खानपुरिया

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द चौधरी।

कस्बा दौसा व खुर्द (जिला जयपुर) की ढाणियां

३४८. श्री मूलचन्द चौधरी : (दौसा) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दौसा कस्बा व खुर्द (जिला जयपुर) की ढाणियां सन् १९५२ से किसी भी पंचायत या दौसा नगर पालिका में शामिल नहीं हैं और इस प्रकार इनके लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार का इन्हें किसी पंचायत या नगर पालिका में शामिल करने का विचार है ?

(४) क्या इन ढाणियों की अलग पंचायत भी निर्मित की जा सकती है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) जी हां। आठ ढाणियों ऐसी हैं जो किसी पंचायत में नहीं हैं।

(२) ये कस्बा दौसा की ढाणियां हैं, इसलिये इनको नगरपालिका की सीमा में होने की धारणा से पंचायत में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(३) जी हां। पंचायत महसरा में शामिल करने की कार्यवाही जारी है।

(४) जी नहीं।

ग्रेजिंग रेट्स

३४९. श्री जुझारसिंह : (चेचट) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा डिविजन के कौन कौन से फोरेस्ट डिविजनों में किस किस स्थान को कन्सेन्ट्रेटेड एरिया घोषित करने का सरकार ने निर्णय लिया है और इस निर्णय के फलस्वरूप वहां पर ग्रेजिंग रेट्स में कितना फर्क पड़ने वाला है ?

(श्री जुझारसिंह)

(२) क्या उस फ़ोरेस्ट एरिया में बसने वाले व्यक्तियों को भी नई रेट्स देना होगा ?

(३) नई रेटस किन व्यक्तियों पर लागू होगी और इसे लगाने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कोटा डिविजन के फोरेस्ट डिविजन कोटा, बूंदी, बांरां झालावाड़ व टोंक के जिन जिन स्थानों को राज्य सरकार ने कन्सेन्ट्रेटेड एरिया घोषित करने का निर्णय लिया है उसकी सूची संलग्न है। उक्त क्षेत्र में चराई की दर मोजूदा दर से दुगुनी होगी।

(२) जी हां।

(३) नई दरें उक्त क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होंगी। जिस जिस क्षेत्र में मवेशी केन्द्रित हो गई हैं और मवेशी मालिकान भी, दूध व मवेशी बेचने का धन्धा करने लग गये हैं, उन क्षेत्रों में फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश पर गाय व भैंस की चराई की रेट गवर्नमेन्ट आदेश संख्या एफ ७ (३३७) रा. व.। ६० दिनांक १६ ६। ६१ द्वारा दूनी वसूली कर दी गई है और जहां गाय व भैंस की चराई नहीं ली जाती थी वहां प्रति गाय तीन रुपया व प्रति भैंस छ रुपया निर्धारित की गई है।

(कृपया परिशिष्ट देखिए ?)

श्री जुझारसिंह : जो सूची दी है उसमें दो तरह के मवेशी हैं। एक तो वे जो गाय भैंस हैं और उनका और उनके दूध का व्यापार करते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो व्यापार के लिये, चराई के लिये वहां जाते हैं। उन पर कौनसी रेट आप लागू करेंगे ?

श्री भवानीशंकर : (नन्दवाना) उनके सम्बन्ध में विचार किया जावेगा। अभी ऑफ हैण्ड उनका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जुझारसिंह : दूसरी बात आपने बताई रेट दुगुनी कर दी गई। अब जहां मोजूदा रेट गाय पर नहीं लगती उनसे आप अब क्या वसूल करेंगे ? और भैंस पर जहां नहीं लगती थी, वहां क्या वसूल करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फोरेस्ट इन्क्वायरी कमीशन हमने विठाई थी उसकी रिपोर्ट में जैसा दर्ज है उसके अनुसार करेंगे।

श्रीजुझारसिंह : उसमें तो कोन्ट्राडिक्शन है। जहां रेट नहीं थी वहां तो ३ रुपया गाय पर और ६ रुपया भैंस पर करदी है और जहां रेट थी वहां दुगुनी की है। अब जहां पहले रेट एक रुपया गाय पर थी, वहां दो रुपया ही हुई और भैंस पर दो रुपया थी तो ४) हुई। इसके मुकाबले में नई रेटें आपकी ज्यादा हो गई हैं जहां पहले नहीं थी तो इस आपस में कोन्ट्राडिक्शन को आप कैसे सैटल करेंगे एक यूनिफार्मिटी लाने के लिये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी डिटेल जानकारी करके बता दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार इस बहुत गम्भीर चराई के मसले पर उच्च स्तर पर विचार कर रही है ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : एक कमेटी विठाई है जैसा मैंने निवेदन किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब तक वे रेटें सरकार द्वारा फाइनल न हो जावें तब तक यह सरकार क्या उचित नहीं समझती कि पुरानी रेट ही ली जावे।

Page No.22

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विचाराधीन है मामला।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न करना चाहूँगा कि यह प्रश्न गम्भीर है। इसके कारण से फोरेस्ट विभाग के हाथ में एक इस प्रकार की निरकुश शक्ति दे दी गई है कि वह मनमानी तौर से लोगों से रेटें वसूल करें और उनको बुरी तरह से तंग करें। गरीब लोग अकाल से पीड़ित लोग जो मारवाड़ से यहां अपने मवेशी लेकर चराने जाते हैं आज वे उनकी इच्छा पर निर्भर हैं। सौ है तो पचास की वसूली करके बाकी की अपनी जेब में रख लेते हैं। मनमानी चराई वसूल करते हैं। क्या इस तरह की ज्यादती और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रेट की वसूली नियमानुसार ही की जाती है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : नियम आपके कौन से हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किस नियम के तहत आप उनसे चराई वसूल कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर चल रहे हैं।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल ; इस रिपोर्ट के पीछे कौन सी लीगल संक्शन है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये रेटें कब से चालू की गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १६-६-६१ से।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस आधार पर ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके पीछे आप क्या लीगल फोर्स मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि चराई कोई नहीं देना चाहे तो जबरन आप नहीं वसूल कर सकते कानूनन ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमानुसार वसूल कर सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से कानून से आप वसूल करते हैं ?

श्रीभवानीशंकर नन्दवाना : सरकारी नियमानुसार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि फोरेस्ट एक्ट के तहत बने नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है जिसके तहत आप यह चराई वसूल कर सकते हों ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फोरेस्ट एक्ट में प्रावधान है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): कौन सा कानून कौन सी धारा, बता दीजिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बाद में आप इसकी जानकारी करना चाहेंगे तो करा दूंगा। इस वक्त तो मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पिछली बार भी यह प्रश्न आया था जिसके बारे में कहा गया था कि इस प्रकार के कानूनी नोलेज के क्वेश्चन नहीं किये जा सकते। फिर भी अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह जानकारी करके नहीं आये और स्पेसिफिकली कानून की धारा का हवाला नहीं दिया जाता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या फेमिन एक्ट को इस एरिया में भी लागू किया है ?

जो फेमीन एरिया से निकल कर मवेशी उधर जाते हैं, उनके साथ भी क्या यही बर्ताव किया जाता है, उनसे भी इसी तरह से चराई वसूल की जाती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवान : अलग से प्रश्न है यह।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो इस तरह से फेमीन से मजबूर होकर चराई के लिये उधर गये हैं उनके मवेशियों के साथ चराई के मामले में सरकार कोई रियायत देना चाहती है या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि एक्ट की धारा के तहत वसूली की बात करते हैं तो जब तक उसके तहत नियम न बन जावें तब तक वसूली नहीं हो सकती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस सम्बन्ध में वन विभाग ने लॉ विभाग से इन्क्वायरी करा ली है और अगर नहीं कराई है तो करावेंगे कि कानून या नियम में प्रावधान नही हो, है तो ठीक है, नहीं हो तो आदेश जारी करेंगे कि इस प्रकार की जो चराई अब तक वसूल कर ली गई है वह वापिस की जावे और भविष्य में वसूली न की जावे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में इस विषय की थोड़े, समय की चर्चा रख दी जावेगी। उसमें वित्त-मन्त्री भी बता देंगे, और वन मन्त्री भी बता देंगे, विधि मन्त्री भी कह देंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक इन्फोर्मेशन यह भी चाहिए कि ५५ से ६० तक कोटा के जंगलों से चराई वसूल हुई है। वह रकम अभी तक सरकारी खजानों में जमा नहीं हुई है। रेन्जर और फोरेस्ट वाले अधिकारियों के पास ही पड़ी हुई है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है, जानकारी करके बता दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह पिडावा : अध्यक्ष महोदय, तीन ब्लॉक्स हैं—गेलानी, खडगपुर और सेमलीखाम। इनमें मालवी नस्ल की गायें हैं। उनका दूध नहीं निकाला जाता, उनके तो बछड़ों को बेचा जाता है। अब प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि दूध का

Page No.24

(श्री गोविन्दसिंह)

वे लोग व्यापार करने लग गये इसलिये चराई वसूल की जा रही है। तो यह सही नही है। वे गांव वाले को कभी यों मुफ्त में दूध दे दें यह अलग बात है पर बेचने के लिये इन गायों का दूध नहीं निकाला जाता और फिर इन गांवों मे दूध जहां बेचा जा सकता है वह रायपुर, पिड़ावा व पाटन १४,१५ और २० मील दूर हैं क्रमश:। तो आदमी वहां भी दूध लेकर बेचने नहीं जा सकता क्योंकि फासला काफी है। तो ये लोग दूध बेचते है या नहीं, इसकी भी जानकारी कर लें मैं तहकीक से कहता हूं कि मवेशी जो मालवी नस्ल के हैं उनका दूध नहीं निकाला जाता है। वे बछड़े को ही दूध पिला देते हैं. फिर उन बछडों को वेचते हैं। इसलिये यह रेट उन पर भी लागू करने से पहले मंत्री महोदय यह जानकरी भी प्राप्त करलें कि वे दूध बेचते हैं या नहीं। और जब तक यह निर्णय नहीं हो जाय तब तक इस वसूली को बन्द रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल.

दुकान कर्मचारीयां को साप्ताहिक अवकाश—हिण्डोन में

३२२ श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डोन शहर में सरकार की ओर से नाप-तोल विभाग का कार्यालय खोला गया था और वह कार्य कर रहा था? यदि हां, तो अब उस ऑफिस को क्यों खत्म कर दिया गया और अब सरकार उस ऑफिस को वहा कब तक वापिस खोलने का विचार रखती है?

(२) क्या यह सच है कि वहां के दुकानदारों के कर्मचारियों को जो साप्ताहिक छुट्टियां मिलती थी अब वे नहीं मिलती ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस समय कर्मचारियों को सुबह ७ बजे से रात को १० बजे तक कार्य करना पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री श्रम. (श्री भवानी शंकर नन्दवाना): (१) हिन्डौन में ७ जून, १९६३ से नाप तौल विभाग का एक कार्यालय खोला गया है। इससे पहले यहां ऐसा कोई कार्यालय नहीं था, इसलिये इसको खत्म करने व वापिस खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी हां, अब तक हिन्डौन में दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम लागू नही था। अब इस अधिनियम की धारा १२ जिसमे साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान है, लागू कर दी गयी है।

(३) चूंकि राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम की धारा १२ के अतिरिक्त कोई भी धारा हिन्डौन में लागू नहीं है। इसलिये वहां कर्मचारियों के काम में घन्टों पर कोई रोक नहीं है।

(४) दुकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम की अन्य धारायें जिसमे काम के घन्टों पर नियन्त्रण आदि हैं, वे केवल ऐसे स्थानों पर लागू की गई है जिनकी आबादी २५,००० से उपर हो, इसलिये हिन्डौन

(उप-मन्त्री श्रम)

में जिसकी आबादी २५,००० से कम है काम के घन्टों पर नियंत्रण लगाने का कोई विचार नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): २५००० से कम आबादी वाले कस्बों में इस वाणिज्य संस्थान अधिनियम को क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : साप्ताहिक छुट्टी का नियम ही केवल लागू है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून के सारे प्रोवीजन्स को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं ?

श्री श्रवणलाल : दूसरे प्रश्न में आपने बताया कि साप्ताहिक छुट्टी लागू कर दी है, तो वह कब से जारी हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लागू कर दिया है।

श्री श्रवणलाल : लागू तो कर दिया है, लेकिन जारी कब से हो जायेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पालन नहीं हो रहा हो तो आप मुझे बतायें, मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लागू कब से कर दिया है, इससे मालूम हो जायेगा कि जारी हुआ है या नहीं ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : ११-१०-६३ से।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : अभी-अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि ११—१०—६३ से लागू किया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। राजगढ़, जिला अलवर में साप्ताहिक छुट्टी नहीं रहती है जब कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह साप्ताहिक छुट्टी का नियम लागू कर दिया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो मैं जानकारी करके ही बतला सकता हूँ। यहाँ लागू तो हो जाना चाहिए।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि १३—१०—६३ से लागू कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहां पर अभी तक किसी तरह का नियम लागू नहीं हुआ है और जैसा पहले था वैसे ही बदस्तूर चल रहा है। १९६० में एक दूकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम चला था, उसके अनुसार चालान भी होते हैं और साप्ताहिक छुट्टी का नियम ही चालू था। अब उसके वहां से खत्म हो जाने के बाद वाणिज्य संस्थान को खत्म करके वहां एक साप्ताहिक छुट्टी होती थी वह भी बन्द हो गयी और अब मन्त्रीजी कह रहे हैं कि १३—१०—६३ से नियम लागू कर दिये हैं; लेकिन वहां कोई किसी तरह का प्रबन्ध नहीं है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(अनुपस्थित)

श्री अमरसिंह !-

Page No.26

पहाड़ों पर जंगल-तहसील दूदू

३२७. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील दूदू के ग्राम बिचून, पालू व महेशवास के पहाड़ों पर किसका अधिकार है ?

(२) क्या इन पहाड़ों पर जंगल लगाने का सरकार का विचार है ?

उप-मन्त्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) रेवेन्यू विभाग का अधिकार है।

(२) अब ये पहाड़ वन विभाग के अधीन आ जायेंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

राज्य परियोजनाओं को विदेशी आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता

३२६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहर बाजार, जयपुर) : Will the Planning Minister please reply :—

1. Which are those Projects in the State which have so far received foreign financial and technical participation ?

2. Is rhe Government aware that the Central Government recently approved 38 Projects which were to receive such participation during December, 1963 ? Is there any one Project for Rajasthan amongst those ?

3. Did the Rajasthan Government approach the centre in this behalf ? If yes, for which Projects ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) इस समय राज्य में ऐसी कोई परियोजनायें नहीं हैं जिनको अब तक विदेशी आर्थिक तथा टेक्निकल पार्टीसिपेशन प्राप्त हुआ हो किन्तु कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जिनमें कतिपय आर्थिक सहायता विदेशों से प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण निम्न प्रस्तुत है :

१. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परियोजनायें

१. नेशनल मलेरिया इरेडीकेशन प्रोग्राम

२. स्माल पॉक्स इरेडीकेशन प्रोग्राम

३. नेशनल ट्रकोमा कन्ट्रोल प्रोजेक्ट

४. ट्यूबरकुलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम

५. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

६ राजस्थान नर्सिंग कालेज

७. रूरल हास्पिटल

८. पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरीज़

६. पेड्रिटिक सर्विसेस

१०. कोबाल्ट थेरोपी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Which are those Projects in the State which have so far received foreign financial and technical participation ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जवाब दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are talking of Projects. I am talking of participation.

श्री अध्यक्ष : आप सारा उत्तर सुन लीजिए पहले, फिर कोई शंका हो तो फिर पूछ लें।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा है कि इस समय राज्य में ऐसी कोई परियोजनायें नहीं हैं जिनको अब तक विदेशी आर्थिक तथा टेक्निकल पार्टीसिपेशन प्राप्त हुआ हो; किन्तु कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जिनमें कतिपय आर्थिक सहायता विदेशों से प्राप्त हुई है। पार्टीसिपेशन्स में बहुत बड़ा अन्तर है। अन्तर आप समझ सकते हैं, मैंने सोचा शायद न समझें तो इसलिए इतना अर्ज कर रहा हूँ।

उपरोक्त परियोजनाओं पर निम्नलिखित ऐजेंसियों द्वारा सहायता मिलती है :

१. इन्टरनेशनल एजेन्सी—डब्ल्यू एच०ओ० यूनीसेफ

२. फोरेन कन्ट्रीज - यू०एस०ए० कनाड़ा यू०एस०एस०आर, इत्यादि

२. औद्योगिक परियोजनायें

सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित दो प्रोजेक्ट्स को आर्थिक व तकनीकी सहायता मिलने की आशा है, परन्तु अभी प्राप्त नहीं हुई है :

१. प्रोसीसन इन्सट्रमेन्ट फैक्टरी, कोटा

२. खेतरी कॉपर स्मेल्टर, खेतरी

इसके अलावा निजी क्षेत्र में (प्राईवेट सेक्टर) में निम्नलिखित कोलोबोरेशन की सूचना सरकार को है :

१. जिन्क स्मेल्टर, उदयपुर – तकनिकी सहायता, फ्रेन्च

२. पी०बी०सी० फैक्टरी, कोटा—जापानी

३. पॉवर केबल फैक्टरी आलिया, कोटा—जापानी

४. पिग आईरन प्लान्ट, उदयपुर यूगोस्वालिया

३. पशु-पालन परियोजना :

कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत न्यूजीलेन्ड सरकार से ६ लाख रुपये की आर्थिक सहायता जयपुर दुग्ध वितरण योजना के लिये व विदेशों से डेयरी मशीनें खरीदने के लिये प्राप्त हुई है।

४. राणा प्रतापसागर तथा कोटा डैम :

राणा प्रतापसागर तथा कोटा डैम के लिये आठ-आठ मिलियन डोलर्स केनेडियन ऋण प्राप्त हुआ है। इस ऋण में से १ मिलियन डोलर सैकन्ड स्टेज चम्बल ट्रान्समिशन पर आवश्यक सामान व मशीनरी आदि के हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके खर्च किया जा रहा है।

(२) इस प्रकार की कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(३) उपरोक्त कथनानुसार इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.28

श्री केसरीसिंह पाली : पाली का पैकेज प्रोग्राम नहीं है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : वह पूरा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेगी कि समाचार पत्रों में या किसी प्रकार से इसकी जानकारी हासिल की जाये कि जिसमें फेरिन फाइनेन्स और टैकनीकल पार्टीसिपेशन के सम्बन्ध में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स एप्रूव किये हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं ; क्या प्रश्न भेजने के बाद आपने कोशिश की कि क्या केन्द्रीय सरकार ने ३८ प्रोजेक्ट्स एप्रव किये हैं जिनको पार्टीसिपेशन मिला ?

श्री मथुरादास माथुर : सेन्ट्रल गवर्नमेंट वक्तन-फ-वक्तन टेक्नीकल पार्टीसिपेशन और फाइनेन्स पार्टीसिपेशन के लिए करती रहती है। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ में। सिर्फ अखबारों में पढ़ने से राज्य सरकार का कोई हल नहीं हो सकता। राज्य सरकार भी भारत सरकार से कई प्रोजेक्ट्स के लिए टैकनीकल असिस्टेन्स, टैकनीकल पार्टीसिपेशन और फाइनेन्स पार्टीसिपेशन के लिए बातचीत कर रही है। वह प्रोजेक्ट को सामने रखते हैं इसलिए वह जब पूरे जायेंगे तब सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : एटोमिक स्टेशन जो कोटा में लग रहा है उसके लिए केनेडियन एड कितनी मिल रही है वह नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : वे फिगर्स नहीं मिल पाये हैं। फाइनेन्स तो हो गया है, लेकिन हमारे पास जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कापी नहीं आई है। वह भी एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसलिए नेशनल प्रोजेक्ट की हैसियत से उसको डील किया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार पलाना में थर्मल प्लान्ट लगाने के लिए किसी विदेशी सरकार से आर्थिक या टेकनीकल सहायता के लिए कोशिश कर रही है ?

श्री मथुरादास माथुर ; मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेश बिहारी माथुर

बांदीकुई-मंडावर मंडी सड़क

३३२. श्री मथुरेश बिहारी माथुर : (बांदीकुई) will the P. W. D. Minister Please reply :—

1. whether the scheme to construct a road from Bandikui to Mandawar Mandi has been included in the Plan as discussed in the meeting of Roads and Buildings Advisory Committee ?

2. If yes, whether initial survey of thi- road has been Completed and thework is likely to be taken up early in the coming year? If not, what are the reasons ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) विचाराधीन है।

(२) अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन साफ यह था कि जो रोड्स एण्ड बिल्डिंग्स की कमेटी हुई उसके अन्दर इसके लिए सजेशन आकर स्वीकार किये गये थे या नहीं। इसमें विचाराधीन का प्रश्न नहीं है। वह किया गया था या नहीं और उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने उत्तर दिया कि कमेटी में विचार किया गया था वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उसे कितना अर्सा हो गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : टाइम मेरे पास इस समय नहीं है कि कितना हुआ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आप की सूचना के लिए कहूँ कि ६२ मे यह मीटिंग हुई थी और उस ऑल्टर्नेटिव रोड्स के लिए सजेशन किया गया और यह कहा गया था कि इसको किया जायेगा और उसके लिए कोई सर्वे हुआ या नहीं आपने एस्टीमेट्स अब तक दिये या नहीं यह मेरा प्रश्न है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

डिक्री की किश्तों का भुगतान

३३३. श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल. जयपुर) :—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के ४,४७,४३२) रु० के लगभग सेठ हमीरमल गनेशदास बैंक में जमा थे ?

(ख) क्या यह सही है कि यह बैंक फैल हो गया और सेठ हमीरमल गनेशदास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी श्री बुद्धसिंह बापना बने जो इस कम्पनी के मेनेजिंग एजेंट भी हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इन रुपयों के खाते ५ लाख रुपये की डिक्री भी हो चुकी है परन्तु वह अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इस डिक्री की किश्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस डिक्री के भुगतान के बारे में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मंत्री, वित्त (श्रीमती कमला बेनीवाल) :— (क) जी हां।

(ख) यह बैंक फैल हुआ या नहीं सरकार के पास इस सम्बन्ध की कोई सूचना नहीं है। श्री बुद्धसिंह बापना इस फर्म के कर्त्ता बताये जाते हैं।

(ग) जी हां। बैलेन्स शीट देखने से इस बात की पुष्टी होती है। ऑडिट रिपोर्ट १९६१-६२ में यह बतलाया गया है कि फर्म के जायदाद वगैरह का पूरे तौर से न मालूम होने से एग्जीक्यूट नहीं हुई है। दो हवेलियों पर कुर्की जारी बताई जा रही है।

(घ) जी हां। सरकार कम्पनी के नीजी मामलों में कानूनन कोई दखल नहीं दे सकती है।

श्री भैरोंसिंह :—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के इसमें लाखों रुपये के शेयर्स हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल :—जी हां।

श्री भैरोंसिह :—क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार का इसके बोर्ड ग्रॉफ डाइरेक्टर्स में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल:—फिलहाल कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पास कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की रिपोर्ट हर साल ग्राती है ग्रौर राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग उस रिपोर्ट पर ग्रपने कमेन्ट्स करता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल:—यह मैं ग्रभी नहीं बता सकती।

श्री भैरोंसिह: -जैसा कि ग्रापने ग्रभी बताया कि वार्षिक रिपोर्ट देखने पर यह पता नहीं लगा कि बैंक फैल हो गया है, तो क्या सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट देखी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय ग्रध्यक्ष, इसके ग्रन्तर्गत यह बताया गया है कि ६१-६२ की रिपोर्ट्स देखने से यह पता लगा कि कम्पनी पर डिक्री एग्जीक्यूट कराने की कार्यवाही की गई है वह नहीं हो पाई है। बैंक फेल हुग्रा कि नहीं हुग्रा, यह उस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) जो पांच लाख रुपये की राशि बैंक के ग्रन्दर जमा थी उसके डिक्री हुई है। यह राशि वह है जो कुल केपिटल उसकी १० लाख थी उसमें से ५ लाख रुपये इस तरह से ब्लॉक हो गये हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मैं ग्रभी नहीं बता सकती।

श्री भैरोंसिह : ग्राप क्या बता सकतीं हैं ? क्या कम्पनी के खिलाफ कम्पनीज एक्ट के मातहत इस प्रकार का कोई एक्शन ले सकती है कि जिसके ग्रन्दर उस ५ लाख रुपये की वसूली हो जाय ग्रौर जिस व्यक्ति में ५ लाख रुपये बकाया हैं वह व्यक्ति उस कम्पनी का मैनेजिंग डाइरेक्टर नहीं रह सकता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह कानून का सवाल है, उसमें हम कितना इन्टरफियरेन्स कर सकते हैं उसकी जांच-पड़ताल करने के बाद ही मैं उसको बता सकती हूँ।

श्री भैरोंसिह : क्या सही है कि बोर्ड ग्रॉफ डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में इस प्रकार के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिह : ग्रध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है। १० लाख रुपये की सारी केपिटल थी उसमें से ५ लाख रुपया ब्लॉक कर दिया गया। सरकार के लाखों रुपये बकाया है, ट्रान्सपोर्ट की गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सारे कर्मचारियों में ग्रसन्तोष है, पैसेन्जर टैक्स का बकाया है, किराये का बकाया है, सब प्रकार के बकाया हैं, इनकम टैक्स का बकाया है ग्रौर सरकार के खुद के शेयर्स उसमें हैं ग्रौर सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है।

श्री ग्रध्यक्ष : सरकार का करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट है। उनको ठीक तरह

Page No.31

(श्री अध्यक्ष)

से प्राटेक्ट करने के लिए जैसा कि पहले भी कई दफा यह सवाल सामने आया है कि सरकार या तो कोई स्पेशल ऑफिसर, जो इस कानून को जानता हो, कम्पनीज लॉ को जानता हो, वे जो रिपोर्ट्स आती हैं, बेलेन्स शीट् आती है। उनको एक्जामिन करे सरकार कुछ सन्तोष तो दे कि किस तरह से इस सारे रुपये का प्रोटेक्शन किया जा रहा है और सरकार उसके लिए सतर्क है या नहीं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊँ कि कम्पनी ने सन् ५३ में जो हमारा रिप्रेजेन्टेटिव था उसको यह कह कर हटा दिया कि अब मोनोपोली खत्म कर दी गई है उसके लिए कोटा सेशन्स कोर्ट में मुकद्दमा चल रहा है। उसका फैसला होने की रिपोर्ट नहीं की गई है। उसके अलावा जो कानूनी कार्यवाही सम्भव हो सकती है वह की गई है। कम्पनी एक्ट के तहत हम एज, ए शेयर होल्डर अकेले कोई कार्यवाही करने की स्थिति मे होंगे, यह मैं अभी आपको नहीं बता सकती।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कम्पनी लॉ के अनुसार ५३ में जो केस दायर किया है उससे प्रोटेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नये एमेंडमेंट के अनुसार रिप्रेजेन्टेटिव एपॉइन्ट कर सकते है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ५३ में नहीं किया है ६३ मे किया है; लेकिन ५३ में हटा दिया था।

श्री भैरोंसिंह : ५१ में मामला हुआ और ६३ में दावा किया और ६३ की दावे की ७३ में सुनवाई होगी और ७३ तक तो वह कम्पनी ही समाप्त हो जायगी और रुपया चला जायगा। इसी प्रकार अगर राजस्थान के जनता के पैसे की रखवाली होती गई तो भगवान् ही जाने क्या होगा इस राज्य के और जनता के पैसे का ?

उद्योग-मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने फर्माया उसके ऊपर सरकार जागरूक है। जो २ पैसा सरकार ने इन्वेस्ट किया है इन्डस्ट्री के लिए उसके लिए फाइनेन्श डिपार्टमेंट और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की एक कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है ताकि हर इन्वेस्टमेंट का मालूम हो जाय कि क्या परिस्थिति है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूँगा कि सरकार कितनी जागरुक है ? ये शेयर्स राजस्थान गवर्नमेंट के नहीं, कोटा स्टेट के थे। वह खत्म होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रान्सफर हुए। तब से लेकर आज तक कितनी जागरुक है यह सदन के सामने आ रहा है। कोई डिविडेन्ड नहीं मिला है, शेयर्स की रकम के प्रोटेक्शन के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल इस कम्पनी का ही नहीं है। प्रश्न इससे भी बड़ा है। सरकार के डाइरेक्टर्स होते हैं वे जाकर क्या करते हैं ? सरकार के पास एन्युअल रिपोर्ट्स आती हैं उनको वे स्कुटिनाइज करते हैं, कुछ देखते है कि नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ? इन्डस्ट्रीज की क्या स्थिति है ? कुछ तो होना चाहिए। इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर करे या वित्त मन्त्री करे, आखिर कोई जिम्मेवार तो हो।

Page No.32

विधि-मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : स्टेट अन्डरटेकिंग्ज के अन्दर जितनी भी कम्पनियां हैं, दो कम्पनियां हैं, उनकी एक-एक चीज को एक्जामिन करते हैं और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने मेज पर रखी जाती है। मैंने पहले गंगानगर शुगर फ़ैक्ट्री की रखी है जो कि स्टेट एन्टरप्राइज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्टेट एन्टरप्राइजेज वे भी हैं जिनमें गवर्नमेन्ट के शेयर्स हैं, गवर्नमेन्ट का इन्वेस्टमेन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : जिसमें मेजोरिटी में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं वे स्टेट एन्टरप्राइजेस में आते हैं। जिसमें मेजोरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के नहीं हैं उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास में नहीं हैं, वह मैनेजिंग डाइरेक्टर के पास में होता है। उसका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

वित्तमन्त्री श्री बालकृष्ण कौल : अभी जो इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने आपको वस्तुस्थिति बताई है कि जहां पर गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं व फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सामने, इस किस्म के मुद्दे सामने आये हैं कि जिसमें फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत थी तो यह फैसला किया गया है कि फाइनेन्स मिनिस्टर और इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर इस पर जो इन्टली बैठकर सारे इन्वेस्टमेन्ट्स को जो हालत है, जो रिपोर्ट है उनको देखें। उसके बाद में इस स्थिति पर होंगे कि जो माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है उसका जवाब सामने रखें :

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करें कि हर एक इन्वेस्टमेंट पर सरकार की क्या राय है।

(विराम)

दूसरी बात यह है कि हर साल इस बात की रिपोर्ट करें। सरकार शेयर होल्डर है तो उसका मतलब यह है कि सदन शेयर होल्डर है। वह हमें जानना चाहिये कि क्या हो रहा है। हर साल लाखों रुपयों के धड़ाधड़ शेयर्स लिये जा रहे हैं। उनमें क्या हो रहा है, क्या शेयर की वेल्यू है, कितना डिविडेन्ड है, कितने साल के बाद में डिविडेन्ड आयेगा, इन सारी बातों की रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : अध्यक्ष महोदय इसके बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी रिपोर्ट देती है, लेकिन सरकार उस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार कुछ कहे इस पर। (वित्तमंत्री के गर्दन हिलाने पर)

गर्दन हिला दें तो वह रिपोर्ट में नहीं आता है। जो अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है उस पर आपको क्या कहना है ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष का आदेश सिर पर धारण कर लिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार कह चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब आप बैठ जाय। उन्होंने सिर पर धारण कर लिया है। अब आप क्या कमर पर रखेंगे ?

Page No.33

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

१३०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) श्री रामकिशन (वैर) क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सन् १९६१ से अब तक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो ये अधिकारी किन किन पदों पर कहां कहां नियुक्त थे और इन्हें कब और किन कारणों पर निलम्बित किया गया ?

(२) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप स्थिर करके विभागीय जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या विभागीय जांच के परिणामों को सरकार ने अमली रूप देने की कार्यवाहीं की ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत समिति, नगर के सदस्यों को दिए गए कर्ज की वसूली

१३१, श्री रामकिशन (वैर) क्या पंचायत एव विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, नगर (भरतपुर) के किस किस सदस्य ने किस २ तारीख से किस २ कार्य के लिए कितना २ रुपया कर्ज ले रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) यह रुपया कितने वर्षों के लिये दिया गया है और इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या सरकार ने इस बात की तस्दीक कराई है कि जिस २ काम के लिये सदस्यों ने कर्ज लिया था वास्तव में वह रु. उन्हीं कामों में लगा हुआ है ? यदि हां ता जांच किस अधिकारी ने और कब २ की है ? जांच रिपोर्ट सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

१—सूची संलग्न है ।

२—रकम जितने वर्षों के लिये दी गई है यह सूचना संलग्न सूची में अङ्कित है । जहां रकम का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया गया है तो पूरी रकम वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी तथा जहां रकम का उपयोग कर लिया गया है तो किश्तों से वसूली होगी ।

३—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जांच करने का उल्लेख भी संलग्न सूची में है । जांच की अलग से रिपोर्ट नहीं है । अधिकारी इस प्रकार की जांच के परिणाम का सकेत अपनी दौरे की दिनचर्या में देते हैं ।

(कृपया परिशिष्ठ २ देखिये)

कुआ बनाने के लिए अनुदान-ग्राम पंचायत पापड़

१३२. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति कामां (भरतपुर) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पापड़ा को सार्व-

Page No.34

(श्री रामकिशन)

जनिक कुआ बनाने हेतु किस तारीख में कितना अनुदान दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अनुदान की इस राशि के उपयोग की सरकार ने किस अधिकारी से जांच कराई है और यह काम कब पूरा हुआ है ? अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये सार्वजनिक कुओं में कितने लोगों से कितना कितना जन-सहयोग प्राप्त हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) १५००) रु० दिनांक २७–२–६१ को अनुदान के दिये गये थे।

(२) अनुदान के रूप में दी गई रकम के उपयोग की जांच ओवरसियर द्वारा की गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि (हिन्दी अनुवाद) संलग्न है। कुवा अभी अपूर्ण हालत में है।

(३) पचायत से जन-सहयोग का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं हुआ है अतः जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

राजस्थान (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) एक्ट, १९५० के अन्तर्गत दायर किए गए दावे

१३३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Will the Law Minister be pleased to state :—

What was the number of suits district-wise that were instituted under the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 for ejectment of tenants by landlords ? Kindly supply these figures for the years 1950-51 to 1961-62 yearwise.

उत्तर

The Districtwise number of suits instituted under the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 for ejectment of tenants by land lords is given below:—(as per enclosed statement).

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

बकाया रकम की वसूली–पंचायत समिति, हिण्डौन

१३४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, हिन्डौन के भूतपूर्व व इस समय के सरपंचों पर कितनी कितनी सरकारी रकमें बकाया हैं तथा इनकी वसूली कब तक हो जावेगी ?

(२) क्या यह सच है कि उन सरपंचों पर कुड़कियां भी हो चुकी हैं और उन कुड़कियों को स्टे ऑर्डर लाकर रोक दिया गया है ?

(३) क्या यह भी सच है कि वहां सरकारी रकमों का अब तक नाजायज फायदा उठाया गया है तथा उनसे वह रकम ब्याज सहित वसूल की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री श्रवणलाल)

उत्तर

(१) सूची संलग्न है। वसूली यथा-सम्भव शीघ्र की जावेगी।

(२) तहसील से कुर्की के आदेश होने पर स्टे आर्डर दिये गये हैं जिनका उल्लेख संलग्न सूची में किया हुआ है।

(३) कार्यवाही के उपरान्त जिन मामलों में रकमों का नाजायज फायदा उठाया जाना प्रकट होगा उनमें रकम ब्याज सहित वसूल की जावेगी। वसूली की कार्यवाही शीघ्र ही की जायगी।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

दुकानों का समय

१३५. श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या दुकान एवं वाणिज्य संस्थापन अधिनियम के अध्याय ४ धारा २० के अन्तर्गत पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट लागू करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो अब तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया?

(२) क्या इस अधिनियम के अध्याय ६ धारा ३८ में वर्क मेन्स कम्पेनसेशन एक्ट लागू करने का उल्लेख है? यदि हां तो उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया?

(३) राजस्थान में दुकानें कितने समय तक खुलती है? क्या यह सही है कि देश के अन्य राज्यों में दुकानें इससे कम समय के लिये खुलती हैं? यदि हां, तो फिर यहां दुकानों का समय अधिक क्यों रखा गया है?

(४) इस कानून के अन्तर्गत कितने इन्सपेक्टर काम कर रहें हैं और उन्होंने एक अप्रेल, ६० से अब तक कितनी दुकानों के किन किन मामलों में चालान किए हैं?

उत्तर

(१) जी हां, यह मामला विचाराधीन है। अन्य प्रान्तों से इस मामले में जानकारी प्राप्त की जा रही है, वहां से सूचना उपलब्ध होने पर लेबर एडवाइजरी बोर्ड के सम्मुख रखी जायेगी और बोर्ड की सिफारिश के बाद सरकार इस विषय में निर्णय करेगी।

(२) जी हां, यह अधिनियम पहिले से लागू है इसलिये इसको लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) १५ मार्च से १४ अक्टुबर तक सुबह ७ बजे से रात्रि के १० बजे तक, १५ अक्टुबर से १४ मार्च तक सुबह ८ बजे से रात्रि के ६ बजे तक, दूसरे राज्यों के बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है, प्रश्न नहीं उठता।

(४) इस कानून के अन्तर्गत ४८ इन्सपेक्टर काम कर रहे हैं सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

सरपंचों को दी गई रकमें पंचायत समिति, हिन्डौन

१३६. श्री अग्रवाल :, (हिन्डौन) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हिन्डौन पचायत समिति में सन् १९६१ से १९६३ तक किस किस सरपंच को किस किस कार्य के लिये रकमें दी गई हैं ?

(२) क्या यह रकम जिस कार्य के लिये दी गई थी वह कार्य करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां २ ? और अगर नहीं करवाया गया है, तो कहां कहां और क्यों नहीं ?

(३) जो कार्य अभी तक नहीं करवाया गया है, उसके लिये दी गई रकम अब तक किस के पास रही है और सरकार उस रकम के बारे में क्या सोच रही है ?

उत्तर

(१) सूची सलग्न है।

(२) यह सूचना भी सलंग्न सूची में अंकित है।

(३) अनुदान की जो रकम दी गई है वह सम्बन्धित पचायत के पास है रकम वसूली की कार्यवाही चालू है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति बारां व अन्ता द्वारा दिया गया अनुदान व तकावी ऋण

१३७. श्री दयाचन्द सोन : (बारां) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पंचायत समिति बारां व अन्ता में सन् १९५७ से लेकर सन् १९६३ तक कितना २ रुपया अनुसूचित व पिछड़ी जाति के को अनुदान के रूप में व कितना २ बैलों व कुओं की तकावी के लिए गया ? सूची सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

उद्योगपतियों को ऋण

१३८. श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सन् १९५८ से १९६३-६४ तक किन किन उद्योगपति को किस किस उद्योग के लिए पांच रुपये की या इससे अधिक की रकम दी गई है ? सूची सदन की मेज पर जावे।

(२) यह रकम कहां से किस ब्याज प्राप्त की गई व उद्योगपतियों को किन पर व किस ब्याज से दी गई ? सूची की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

(१) राजस्थान सरकार द्वारा १९५८ से अब तक जिन औद्योगिक संस्थाओं को पांच लाख रुपए या इससे अधिक रकम उधार दी गई है उनकी सूची सलग्न है।

(२) मैसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर के अतिरिक्त, संस्थाओं को ऋण राज्य के कन्सोलिडेटेड फन्ड से दिया गया, अत: ब्याज का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मैसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड को ऋण देवस्

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

फन्ड्स से दिया गया। इसके लिये लगभग २३ लाख रुपए देवस्थान के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटी, बान्ड, शेयर्स पोस्टल तथा ट्रेजरी सर्टिफिकेट आदि को बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड उदयपुर में Pldge करके प्राप्त किए गए। वर्तमान दरों के अनुसार बैंक उक्त धन पर ६ प्रतिशत ब्याज लेता है। समस्त ऋणों की प्रमुख शर्तें तथा ब्याज की दरें सूची में अंकित हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटकासिम-नन्द रामपुरवास सड़क

१३६. श्री हरिराम चौहान, (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटकासिम से माजरी होती हुई नन्द रामपुर वास (धाखडा) सड़क बनाने की सरकार की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के बनने से देहली जाने मे आम लोगों को काफी सुविधा हो सकती है और यह सड़क राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के बनाने में सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हाँ।

(३) यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अलवर व उदयपुर जिले में सड़क निर्माण कार्य

१४०. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में अब तक अलवर जिले में सड़कें बनाने का कार्य बहुत कम हुआ है ? कुल कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण करने की योजना है, कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और होना बाकी है ?

(२) इसी अवधि में जिला उदयपुर में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है और कितना बाकी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। ६१ मील बनाने की योजना थी जिसमें २६½ मील बन चुकी है बाकी ३४ मील के बनाने की योजना है।

(२) ५४ मील ७ फर्लांग सड़क बन चुकी है। १५१ मील ५ फर्लांग सड़क बनाने की योजना है।

जयपुर नगर में नये उद्योग

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर में सन् १९६३ में किस-किस नये उद्योग को चालू करने की राज्य सरकार ने आज्ञा दी है और क्या ये सब उद्योग चालू हैं ?

(२) जयपुर नगर में अब तक कुल कितने उद्योग स्थापित हो चुके हैं और वह किस-किस कार्य के हैं ? कृपया सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

(३) उद्योग वृद्धि की दृष्टि से जिला जयपुर में राज्य सरकार कोई अन्य उद्योग खोलने की योजना भी रखती है ? यदि हां, तो किस २ प्रकार के कौन २ से उद्योग कहां २ खोले जाने का विचार है ?

उत्तर

१— कुटीर एवं गृह उद्योग चालू करने के लिये किसी प्रकार की राज्य सरकार की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है ।

२— जयपुर नगर में अब तक ३८२ उद्योग स्थापित हो चुके हैं जिसकी सूची संलग्न है ।

३—भारत सरकार द्वारा इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट व रेग्यूलेशन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत जयपुर में स्थापित होने के लिये जो लाइसेन्स दिये गये हैं उनमें से निम्न इन्डस्ट्रीज स्थापित होने जा रही हैं ।

(१) दो कॉटन स्पीनिंग मिल सूत बनाने के लिये ।

(२) कास्ट आइरन-स्पन पाइप व फिटिंग बनाने का कारखाना ।

(३) ग्वार से गम बनाने की फैक्ट्री ।

(४) फौरिनडीअर वायर बनाने का कारखाना ।

(५) हाइटेन्शन व लोटेन्शन इन्स्यूलेटर व बुशिंग बनाने का कारखाना ।

(६) घर के लिये बिजली के मीटर का कारखाना ।

(७) टैक्सी मीटर का कारखाना ।

(८) टयूबुलर पेपर-कैपेसीटर्स बनाने का कारखाना ।

(९) रौलर फ्लोर मिल ।

(१०) ट्रांसमीशन टावर्स ।

कुटीर एवं ग्राम उद्योग (एन्सीलरी इन्डस्ट्रीज) स्थापित किये जाने के लिये कई प्रार्थना-पत्र संचालक उद्योग व रसद विभाग में विचाराधीन हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

बिचून-फुलेरा सड़क

१४२. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या वह सड़क जो बिचून से फुलेरा तक बनना मन्जूर हुई थी, पूरी हो गई ?

(श्री अमरसिंह)

उत्तर

काम चालू है।

(६. ४ म. पू.)

आखासर गांव को पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा लूटने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : पुगल क्षेत्र के गांव आखासर को दिनांक २६ फरवरी, १६६४ को पाकिस्तान के डाकुओं द्वारा लूट लिये जाने से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, मुरलीधर व्यास तथा मानिकचन्द सुराणा से प्राप्त हुई हैं। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाये। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अवश्य चाहूँगा कि माननीय उप-गृह-मन्त्रीजी इस विषय में स्थिति का स्पष्टीकरण करने हेतु एक वक्तव्य देंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कल इस पर वक्तव्य देंगे, सारी स्थिति की जानकारी करने के पश्चात्।

गंगानगर कलेक्टोरेट के सामने भूख हड़ताल विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : गंगानगर कलेक्टोरेट के सामने श्री श्योपतसिंह एवं गंगानगर के १५ नागरिकों द्वारा नहरी पानी की समस्या, अकाल, सरकारी राशियों के सस्पेंशन, महगाई आदि की समस्याओं के सम्बन्ध में की गई भूख हड़ताल के बारे में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है :

(१) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(२) श्री केदार नाथ

(३) श्री चन्द्रसिंह वरपा

(४) श्री उमरावसिंह ढालरिया

(५) श्री विट्ठलभाई

(६) श्री माणिकचन्द सुराणा

(७) श्री हरिप्रसाद शर्मा

(८) श्री रामानन्द अग्रवाल

उक्त विषय पर प्रकाश डालने का अवसर माननीय सदस्यों को बजट पर सामान्य बहस पर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय जो उत्तर देंगे उसमें इस पर भी प्रकाश डालेंगे ; अतः इस परिस्थिति में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती।

चित्तौड़गढ़ में श्री रामहेतसिंह को स्टेशन पर मार डालने विषयक एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित चार माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की है :

(१) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(२) श्री कृष्णकुमार गोयल

Page No.40

(श्री अध्यक्ष)

(३) श्री अब्दुलजब्बार और

(४) श्री केदारनाथ

यह स्थगन-प्रस्ताव श्री रामहेतसिंह, जिला जयपुर के सोशियल वर्कर को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर मार डालने से सम्बन्धित है। इन सम्बन्ध में मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्पष्टीकरण हेतु उत्तर कल कृपया दें। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई।

शादुल टैक्सटाइल मिल्स, गंगानगर के ४० मजदूरों को हटा देने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री शादुल टेक्सटाइल मिल, गंगानगर के चालीस मजदूरों को प्रबन्धकां द्वारा हटाने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा द्वारा दी गई है। इस विषय में मन्त्री महोदय....

श्री भीखाभाई (श्रम-मन्त्री) : पूरी इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं आई है, जो आई है उसे आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं लेकिन इसमें वेरिएशन हो जायगा तो प्रिवलेज का सवाल आ जायगा; इसलिये मैं इस बारे में कल वक्तव्य देना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कल वक्तव्य देंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है।

(विराम)

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामानन्द अग्रवाल

आय-व्ययक पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती सुमित्रा (झुनझुनू) : I am in possession of the floor Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त-मन्त्री महोदय ने अपने—

श्रीमती सुमित्रा ; अध्यक्ष महोदय, मैंने समाप्त नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बार इनका नाम तो ले लीजिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इन्होंने कल फिनिश नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : (श्री ज्वाला प्रसाद से) आप पान खाकर कृपया न बोलें।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : और कोई होता तो मैं और जवाब देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल

Page No.41

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने आगामी वर्ष के बजट को, पेश करते हुए अपने बजट को एक बेजायका बजट की संज्ञा दी है। मैं समझता हूं दरअसल में अपने इस शब्द को कह कर उन्होंने इस बजट की असलियत को छिपाने को कोशिश की है। जायका वे जायका नहीं, जिस किस्म का जायका लेने की उन्हें आदत है उस किस्म का जायका जरूर लिया है, लेकिन उस जायके को छिपा कर कुछ नमक की कमी जरूर डालने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोयद, यह बजट एक पेडेस्ट्रियन बजट या बेजायका बजट है। वह बिल्कुल उस शायलोकियन मनोवृत्ति को लिये हुए हैं जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मनी लैंडर गरीब कर्जदार की मजबूरी, उसको हालत की परवाह नहीं करके अपने ब्याज अपनी कटौती, अपने कर्जे की वसूली हर कीमत पर करने के लिये उसके खून से खून लेने के ऊपर तुला हुआ है। अलबत्ता एक मोडर्न शाइलोक को तरह यह कोशिश जरूर की है। जिस तरीके से ये बात स्वीकार करते हैं कि उसका खून निचोड़ने के वाद, काफी ब्याज निचोड़ने के बाद, कटौती करने के बाद, वसूली करने के बाद एक भेली गुड़ की उसकी पोटली में जरूर बांध दी है कि इतना बड़ा हिसाब रेजिस्टन करने के फलस्वरूप वह अपने और अपने बच्चों का मीठा मुंह करने को ले जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस तरह की हमारे प्रान्त की हालत है, जिन समस्याओं से आज हमारी जनता गुजर रही है, उन हालात में आज जो बजट पेश किया है और जो उसका नतीजा होने वाला है उसके अलावा जो संज्ञा मैंने दी है उसके अलावा और कोई नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को ठीक ही कहा है कि कोई भी बजट केवल आमदनी और खर्चे के आंकड़े का लेखा-जोखा देने वाला ही नहीं होना चाहिये और इस बजट में गवर्नमेन्ट की इकोनोमिक पोलिसीज का क्या असर पड़ रहा है, हमारे प्रान्तकी क्या आर्थिक स्थिति है, इस आर्थिक स्थिति में से निकलने का कौनसा मार्ग हो सकता है इन बातों का उल्लेख भी बजट में होना चाहिये। इस बात को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है और मैं भी सहमत हूं कि वास्तव में कोई भी सही बजट इन बातों को जरूर अपने सामने रख कर ही बनाया जाता है और उसमें इन बातों को उल्लेख होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से यदि हम इस बजट को देखें तो आज क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति हमारे प्रान्त की क्या है?

आज अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त के एक बहुत बड़े भाग पर अकाल की छाया पड़ी हुई है। यह एक वास्तविक स्थिति है जिसको सरकार ने भी मंजूर किया है। दूसरी जो विशेष स्थिति है आज हमारे प्रान्त की जिसके हल के लिये जनता उम्मीद करती थी और इस बजट की तरफ देख रही थी, उसमें कुछ संकेत मिला है वह है बढ़ती हुई कीमतें जिनका असर आम जनता पर हो रहा है, उस रूप में भी कि जीवन के उपयोग में आने वाली आवश्यक चीजें मिल ही नहीं पा रही हैं और उस रूप में भी कि उनका मूल्य उतना ऊंचा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको उपलब्ध करना, खरीद कर पाना उनके लिये

Page No.42

(श्री-रामानन्द अग्रवाल)

असंभव सा होता जा रहा है। इस रूप में आज हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति है। तीसरे रूप में जो हमारे प्रान्त की आज की स्थिति है जिसका बजट में कुछ रूप में जिक्र भी है जो मुख्य बात है, विशेषता है वह यह कि इन हालतों में जबकि हम विकास की ओर जाना चाहते हैं, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति में घिरे हुए हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन, एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन तो गिर ही रहा है और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टेगनेशन की हालत में है और हम मजबूर हो रहे हैं अपने प्लान को बार बार प्रून करने में; रिसोर्सेज का संकट बता कर, साधनों का संकट बता कर; तो यह एक परिस्थिति है जो कि इस बजट के अन्दर हमारे सामने विचारणीय है। इन रिसोर्सेज को उपलब्ध करने को गवर्नमेन्ट ने कौन सा रास्ता अपनाया है। आज तक हमेशा जो रास्ता अपनाते रहे हैं क्या यह ओल्ड पालिसी के कन्टीन्यूएशन में है या गवर्नमेन्ट कोई रेडीकल चेंज की तैयारी करके इस बजट में सामने आई है—यह बात भी हमारे सामने विचारणीय है। यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय होना चाहिए और जिसका हम हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति के पहलू में विश्लेषण करें कि जो डिसपेरीटीज ऑफ इन्कम हैं, उन डिस्पेरीटीज को हम किस रूप से कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, हमारी फिस्कल पॉलिसी का वेरियस पॉलिसीज पर असर पड़ रहा है, क्या बजट उस डिस्पेरीटी को कम करने की तरफ एक कदम कहा जा सकता है? अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि ये तमाम क्वेश्चन्स इम्पोर्टेन्ट हैं इस बजट के ऊपर विचार करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, अब जहां तक अकाल की स्थिति है, मैं समझता हूं कि सरकार ने यह बात स्वयं स्वीकार की है, उसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है इसलिए उसमें मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर बढ़ती हुई कीमतों की गम्भीर हालत को देखें, अध्यक्ष महोदय, तो स्थिति यहां तक पहुंची है कि कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं और जहां मार्च, १९६३, आज से एक साल पहले जब हम इस सदन में मिले थे, अध्यक्ष महोदय, उस समय फूड स्टफ्स का इन्डेक्स १२२ था वह अक्टूबर १९६३ में १३५ हो गया और जनवरी १९६४ में १४६ हो गया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो आंकडे स्वयं हमारे फूड मिनिस्टर महोदय ने उपलब्ध कराये हैं उसमें अगर हम फरवरी में बढ़ी हुई कीमतों को पढ़ें तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक केवल गेहूं के अन्दर ३३ परसेन्ट भावों के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है, जौ के अन्दर ३० परसेन्ट भाव के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है, ज्वार के अन्दर २३० परसेन्ट

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्तमन्त्री) फरवरी १९६४ में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फरवरी, १९६४ में! अक्टूबर, १९६३ से लगा कर फरवरी १९६४ तक इन सबको अगर हम मिला कर देखें तो एवरेज, अध्यक्ष महोदय, 30 on the whole in food articles के अन्दर कीमतें बढ़ी हैं। अगर भावों का ख्याल करें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस बात को भूले नहीं होंगे कि पिछले साल जिस समय मार्केट के अन्दर गेहूं आ रहा था उस वक्त मार्केट रेट्स १३ से १६ रुपये मन तक थे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और पिछले अधिवेशन में इस सदन में जब हम सितम्बर में मिले थे उस समय कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थीं, उस समय १९, २० रुपये मन के करीब गेहूँ की कीमत पहुँच गई थी और अब फरवरी में जाकर वही गेहूँ की कीमत ३०–३२ रुपये मन तक, अध्यक्ष महोदय, पहुँच गई है............

श्री दलपतसिंह : (आबू) काश्तकार को तो फायदा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है कि हमारी सरकार ने इन कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इस इस सदन के लिए विचार करने को। हमारी सरकार ने, मैं यह कहना चाहूँगा कि शुरू से ही इस प्रश्न के अन्दर काम्प्लीमेंट एटीट्यूड अपनाया। जिस समय शुरू में सितम्बर महीने में गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया गया था उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि कीमतें कि बढ़ नहीं रही हैं, कीमतें कुछ न कुछ घट रही हैं। गवर्नमेंट ने यह कहा कि इससे किसानों को फायदा पहुँचेगा। गवनमेंट ने यह भी कहा था कि अगर इस तरह की कीमतें बढ़ी तो हम कदम उठायेंगे, हम दुकान वगैरह खोल कर, चीप ग्रेन शोप्स, फेअर प्राईस शोप्स खोल कर इन कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे लेकिन वास्तविकता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, अव्वल नम्बर तो (वास्तविकता) यह कि गवर्नमेंट ने जो भी कीमतें रोकने के लिए कदम उठाये उसमें एकमात्र सबसे बड़ा कदम यह था कि जो भी इम्पोर्टेड वीट है, उस इम्पोर्टेड वीट को फेअर प्राइस शोप्स के जरिये वितरित कराये। वितरण की क्या व्यवस्था हुई वह वीट कैसा है, कितने लोगों को मिला–उसमें मैं पीछे जाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह कदम जरूरी था; इस कदम से भी लोगों को कुछ राहत पहुँची है। लेकिन क्या यह कदम काफी था ? क्या गवर्नमेंट इस इम्पोर्टेड व्हीट के अलावा और जो यहां पर इतना अन्न पैदा होता है, जो अन्न का भंडार है, जिस पर हमारे यहां की दो करोड़ जनता आधारित है, उस फूड स्टफ की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, उस फूड स्टफ की कीमत, लोगों की खरीदने की शक्ति में रखने के लिए क्या कदम उठाये, क्या गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा, न सिर्फ पहले ही कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आज तक उसूलन पालिसी के तौर पर इस गवर्नमेंट ने उन कीमतों को नीचे लाने के लिए और सामान्य नागरिक को वह उपलब्ध हो सके इस हद तक लाने के लिए कोई नीति के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं ली और यही वजह है, अध्यक्ष महोदय, जब कि बाजार के अन्दर पन्द्रह और सौलह रुपये मन हमारी सरकार ने इम्पोर्टेड व्हीट को अपनी फेअर प्राइस शोप्स के जरिये बेचा, दूकानें खोलीं, उन दूकानों के खोलने का भी कितना असर हुआ, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी महगाई, जो उस समय ३२ रुपये मन तक पहुँच गया था वह २७), २८ रुपये मन तक कम आया होगा। यह सरकार सोचती है कि ३० रुपये मन से २७ रुपये मन हो जाय, २९ ३० मन हो जायतो वह सामान्य व्यक्ति की सामान्य खरीद शक्ति के अनुकूल है और उसमें गवर्नमेंट को इन्टरवीन करने की, हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं

Page No.44

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है; मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि गवर्नमेंट ने इस स्थिति में हस्तक्षेप करने से इन्कार करके अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी से शर्क (Shirk) किया है, गवर्नमेंट ने इस चीज में आगे बढ़ कर कदम नहीं उठाया है और इस रेस्पोन्सिबिलिटी से शर्क किया है।

मैं अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में जो दस जगह रेफरेन्स किया है इस बात का कि कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, इसका भारी असर पड़ेगा उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। इतनी गम्भीरता महसूस करते हुए कोई भी जिम्मेदार वित्तमन्त्री इतना गैर जिम्मेदारी का बजट पेश नहीं कर सकता। जो दस बार इस गम्भीरता को महसूस करे और एक बार भी ऐसी बात न कहे कि सरकार उस बारे में पालिसी के तौर पर कीमतें रोकने के लिए यह कदम उठा रही है, यह अफसोस की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस बजट के अन्दर इन कीमतों के प्रति उदासीनता दिखाई है इसका असर क्या हुआ है, उसका जिक्र बाद में करूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट ने कोई कदम न उठाकर अपनी जिम्मेदारी से शर्क किया है। अध्यक्ष महोदय, इन कीमतों के बढ़ाने के कई कारण हैं। उनका इस बजट में भी माननीय वित्तमन्त्री जी ने कुछ उल्लेख किया है, उन इलाकों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का गिरना, वक्त पर बारिश न होना, सर्दी से फसल का तबाह होना—इनका भी जिक्र है और वह भी है जो सरकार ने खुद माना है कि ब्लेकमनी मार्केट में आ जाता है, लोगों में होडिंग की मेन्टेलिटी है। यह भी कहा है कि वितरण की सही व्यवस्था न होने के कारण ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन तमाम बातों की जिम्मेदारी, इन तमाम बातों के ऊपर रोक लगाने की जिम्मेदारी किस पर है? सरकार पर है। तो क्या यह सरकार असमर्थ है? या तो यह सरकार कहे कि यह क्वेश्चन हमारे तय करने का नहीं है और हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने ये प्लान्स रखे हैं। बहुत क्लिअरकट बात कह कर सरकार सदन को कॉन्फीडेंस में ले और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सामने यह स्टेन्ड ले। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया नहीं मानती है तो क्योंकि कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर अधिकार नहीं इसलिए इस चीज को नहीं उठा सके। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री): प्रश्नोत्तर के साथ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस बात को मानते हैं तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन इस स्टेटमेंट में माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। जहां पर अनकम्प्रटेबल बात थी उसको वेकुम में छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। इससे गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ....

श्री बालकृष्ण कौल: माननीय सदस्य के समझने में वेकुम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय जो समझ में नहीं आवे या जो अनकम्फटेबल बातें हों उनको एवोइड करने की टेक्नीक को इसमें वित्तमन्त्री महोदय ने अपनाया है। वस्तु स्थिति क्या है, वास्तव में उनके ही उद्गार हैं या दूसरों के हैं इसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह कहूंगा कि इसमें इस टेक्नीक को इस्तेमाल किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यहां पर कीमतों के बढ़ने से रोकने के बारे में कोई कदम नहीं उठाये और फिर इस बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में हल करने की कोशिश नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि अगर वास्तव में सरकार इस प्रोब्लम को हल करना चाहती है तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से यह समस्या गवर्नमेंट के सामने है और गवर्नमेंट के खुद के तजुर्बे से यह बात सामने आई है कि केवल फेअर प्राइसेज शोप्स खोलने से प्राइसेज नीचे नहीं आवेगी। क्योंकि फ्री ग्रेन मार्केट में है वह है वोकक्रिएट कर रहा है और बहुत बड़ा है वोकक्रिएट कर रहा है। इसलिये जब तक फूड ग्रेन के डिस्टीब्यूशन को सरकार अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। यह बात सही है कि एग्रीकल्चर प्रोडयूस बढ़ाया जावे और वह बढ़ाना पड़ेगा लेकिन सरकार की इसमें जो लोग टर्म पोलिसी है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। यह फूड ग्रेन की समस्या यहीं नहीं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी है। इसलिए आप इस फूड ग्रेन की समस्या में आपकी जो झिझक है उसको छोड़ दें। केवल प्राइसेज को कन्ट्रोल करके रेगुलेटेड मार्केट को खुला छोड़ दिया जाता है तो इससे समस्या हल नहीं होने की है।

मैं इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं कि आपने पहले भी तजुर्बा करके देखा है आपने कितनी ही चीजों की कीमत मुकर्रर करके फ्री ट्रेड में छोड़ दिया है, मगर आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो उनका तरीका है वह ठीक नहीं है। उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में रखने से यह नतीजा निकल रहा है कि कीमतें जो आप मुकर्रर करते हैं इससे ब्लेकमनी क्रीएट हो रहा है और चीजें ब्लेक मार्केट में बेच देते हैं। इसलिये केवल रेगुलेटेड मार्केट के कन्सेप्शन पर चल कर कीमतों को नहीं रोक सकते। इसलिये मेरा पहला यह सुझाव है कि फूड ग्रेन के होलसेल ट्रेड. को अपने हाथ में लेना चाहती है इसका वितरण करने का सरकार को राशनिंग के तरीके से गांवों से लेकर शहरों तक काम में लेना चाहिये तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है अन्यथा नहीं।

जगह जगह लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोगों को सामान्य तरीको से करने की जरूरत नहीं है, लोगों को अपना समय जबरदस्ती नष्ट करने की बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप केवल यह कहें कि जो पार्टी असन्तुष्ट है वह इन असन्तुष्ट लोगों से प्राप्त अवसर का फायदा उठाना चाहती हैं। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि कोई भी गंभीर गवर्नमेंट सजीदगी से इसके बारे में सोचती है, वह इस तरीके से सोच कर अलग नहीं रह सकती। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हम इस समस्या पर गंभीरता से सोचें। बहुत से प्रश्न हैं इम्पलीमेन्टेशन के, उसमें गड़बड़ियें होती है उनको छोड़ कर वह इम्पलीमेन्टेशन नहीं होते हैं। इस बेसिक पोलिसी के बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है? इस टेण्ड को रोकने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिये फूड ग्रेन का ट्रेड अपने हाथ में ले ताकि किसानों को वास्तविक कीमत मिल सके और कन्ज्यूमर को भी चीजें मिल सके। आप सीलिंग और फ्लोर प्राइसेज मुकर्रर करें ताकि कन्ज्यूमर्स और किसानों को दोनों को फायदा हो और दोनों के साथ न्याय हो सके

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न उठता है कि कीमतें कतनी ज्यादा बढ़ी। यह बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जाती है कि इन कीमतों के बढ़ने से आम किसान को फायदा होता है। इसलिये इसको रोकने के लिये सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिये क्योंकि हमारे प्रान्त में ७५ प्रतिशत किसान हैं और अगर इसको रोकें तो किसानों को ही नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा मिस-कन्सेपशन है और इसको जितना जल्दी हो सके दूर करदें तो अच्छा होगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मन्त्री) : क्या होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल ; मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जरा इस बात को देखें कि जो फ्री ग्रेन मार्केट में आता है, फ्री ग्रेन की कीमतों को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जुलाई ६३ से पहले किसानों को अनाज बेचना होता है वह अनाज व्यापारी के यहां पर या मार्केट में आ जाता है। जुलाई में फूड ग्रेन का स्टेटिस्टिक इन्डेक्स नम्बर होल सेल का १२६ था और जनवरी में १३६ और अक्टूबर में १३५ और जैसा मैंने अर्ज किया कि फरवरी में ३० परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जुलाई १९६३ और फरवरी ६४ के आंकड़े लें तो आपको यह मालूम होगा कि किसानों को फायदा मिला या नहीं। अनाज की फसल तो व्यापारी के पास आ जाती है। उस पीरियड में और अब के पीरियड की प्राइसेज में ३५ परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है गवर्नमेंट के आंकडों के अनुसार। फिर अध्यक्ष महोदय, किसको फायदा हुआ है इस ३५ परसेन्ट की बढ़ोत्तरी से ? अगर इससे किसानों को कोई फायदा होता तो मुझे खुशी होती, हम यह समझते कि हमारे ७५ परसेन्ट लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मार्च और जुलाई के बीच में प्राइसेज केवल १२२ और १२६ के बीच में रिवोल्व करती हैं और जब यह प्रोडयूस किसानों के यहां से व्यापारियों के यहां चली जाती है और होर्डरों के कोठों में आ जाती है तो वह १२६ से शूट करती और अक्टूबर के बाद १३५ हो जाती है। मैं यह कहूंगा कि इसमें ३० परसेन्ट और लगावें तो वह १६५ तक जावेगी। यह होल सेल फूड इन्डेक्स १६५ तक पहुंच गया। इससे आप ही बतावें कि किसको फायदा हुआ ? स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट इस तरह से आंकड़े नहीं निकालता, लेकिन ६१-६२ में कुल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना हुआ और जो स्टेट इन्कम में हैं २४७ करोड़ का, उसमें से अगर वह अनाज, जो किसानों ने अपनी जरूरत के लिये अपने पास रख लिया या एग्रीकल्चरल प्रोडयूस, जिसको फूड प्रोड्यूस नहीं कहा जाता जैसे कोटन वगैरह, जो मार्केट में आई इस सबका १८० करोड़ २४७ में से घटा कर मान लें तो ३० पर्सेट आउट स्टेन्डिंग इसमें मानें तो २४ करोड़ की ग्रन-अर्न्ड इन्कम जुलाई और फरवरी तक खुले तौर पर उनको छोड़ कर ५४ करोड़ रुपयों का मुनाफा उनको दिया गया है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसमें आपको इन्कम नहीं होने वाली है, टैक्स नहीं मिलने वाला है, उसमें बहुत सा रुपया तो नं० २ अकाउन्ट में जायगा, ब्लेकमनी में जायगा। या तो सरकार कहे कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अगर पिछली जुलाई के वक्त या पहले ही मार्केट में ग्रेन को अपने हाथ में सम्हाल लेती तो ५४ करोड़ रुपया इन ब्लेक मार्केटियर्स, होर्डर्स के पास नहीं जाता। यह ५४ करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? राजस्थान के तमाम कन्ज्यूमर्स हैं, राजस्थान की तमाम जनता जो अनाज का इस्तेमाल करती है उनकी जेब से यह ५४ करोड़ रुपया होर्डर्स के पास गया है। वित्तमंत्री चाहे अपने को कमेंड कर लें, अपने कागज, अपनी कलम, और लिखने वाले भी आपके आदमी, वे अपने आप को कमेंड करलें कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया पर आपने ५४ करोड़ रुपया फूड स्टफस का, राजस्थान के करोड़ों लोगों की जेब से अलग अलग होर्डर्स, ब्लेक मार्केटियर्स की जेबों में डाल दिया इससे न तो जनता को राहत मिली, न डेवलपमेंट के कार्य हुए और न कोई स्टेट को ही फायदा हुआ और आपने ऐसी समस्या पैदा करदी जो हमारी इकोनोमी को आगे जाकर दुख देने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहूँगा कि इस मंहगाई का कॉमर्शियल क्लासेज को ५४ करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। दूसरी तरफ उन लोगों का ख्याल कीजिये जिनकी कि फिक्स्ड इन्कम है, जो गवर्नमेंट एम्प्लोईज हैं, किसी प्राइवेट धंधे में लगे एम्प्लोइज हैं, मजदूर हैं, जिनके वेजेज उनकी जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लैग बिहाइन्ड (Log behind) करते हैं, उनकी क्या हालत है?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम वर्किंग क्लास की इन्कम को और प्राइस इन्डेक्स को लें तो इसी दौरान में मार्च १९६३ में आज से एक वर्ष पूर्व इस सदन में हम मिले थे तो उस समय ५२ से ५६ को बेसिस मानकर प्राइस इन्डेक्स ऑफ कन्ज्यूमर्स १२६ माना था, जयपुर के कन्ज्यूमर्स का १२६ था, व नवम्बर-दिसम्बर, १९६३ में वह १४५ तक पहुंच गया। जनवरी-फरवरी, १९६४ की प्राइसेज को लें जिसमें प्राइस इन्डेक्स बहुत बढ़ा है तो २६ परसेंट का और फर्दर इन्क्रीज हो गया। इस तरह मार्च से दिसम्बर तक प्राइस इन्डेक्स १५ परसेंट इन्क्रीज पर है और जनवरी-फरवरी में २६ परसेंट है और दोनों को मिलाकर ४१ परसेंट प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस गवर्नमेंट सर्वेन्ट को १०० रुपये में जितनी चीजें मिलती थीं, जितनी चीजें वह १०० रुपये में खरीद सकता था अब वह उतनी ही चीजें १४१ में खरीद सकता है, उसको ४१ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो जिसको १०० रु० तनख्वाह मिलती है उसके ४१ रुपये आप बढ़ा देंगे तब तक तो उसकी रीयल इन्कम उतनी की उतनी ही रह सकती है।

मार्च १९६३ से फरवरी १९६४ के प्राइस इन्डेक्स को कम्पेयर कर लीजिये ४१ परसेंट की प्राइज इन्डेक्स में इन्क्रीज हुई है। आपकी अपनी इस पोलिसी से नतीजा यह हुआ है कि एक तरफ तो होर्डर्स को, ब्लेक मार्केटियर्स को ५४ करोड़ रुपये की अनअर्न्ड इन्कम हुई है और दूसरी तरफ जो फिक्स्ड इन्कम वाले लोग हैं, उनको ४१ परसेंट प्राइसेज के इन्क्रीज से कश कर दिया है।

Page No.48

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक कर्मचारी को न्यूनतम ६५ रुपया देते हैं। उसको अगर आप २६ रुपया और ६५ नया पैसा और दें तब कहीं जाकर उसकी रीयल इन्कम उतनी ही कही जा सकती है जो कि उसकी मार्च ६३ में थी। उस रूप में आप अन्दाज लगाइये, मेरे पास पूरा नया बेस नहीं, मुझे इतना समय नहीं कि सारे आंकड़ों को मिल कर पूरे सही आंकड़े दे सकता। आपने कहा है कि ५ रुपया एडहोक डीयरनेस अलाउन्स बढ़ा रहे हैं और आपने यह भी कहा है कि इससे ६५ लाख रुपये का आपके बजट पर असर पड़ेगा, पर आपने कभी सोचा कि ४१ परसेंट की प्राइसेज में इन्क्रीज से कितने करोड़ रुपयों की इन गरीब लोगों की रीयल इन्कम में आपने कमी कर दी हैं, इसके लिए आपने क्या हल पेश किया है? आपने ५ रुपया एड्होक डीयरनेस अलाउन्स बढ़ाया है, ५ परसेंट जयपुर में हैं उनको अलाउन्स दिया है, वह भी ३२० से ज्यादा नहीं पहुंचे। इस तरह १० रुपया ज्यादा से ज्यादा मिले, यह बात कही है। यह छोटी बात है पर बुनियादी बात यह है कि आज के वक्त इकोनोमी में डेवेलपमेंट की बात चल रही है, हम विकास करना चाहते हैं, पर किस आधार पर विकास करना चाहते हैं? कितने घोटाले हो गये हैं? हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारी पोलिसीज किधर जा रही है। हम उसी कन्टिन्यूएशन में चलते जायं जिसमें कि आज तक चलते आ रहे हैं या बुनियादी परिवर्तन करना जरूरी है? क्या आप गवर्नमेंट एम्पलोईज से यह कहना चाहते हैं कि हम पंचवर्षीय योजना को पूरा करना चाहते हैं, देश में विकास करना चाहते हैं, इसलिये आप पर्वाह मत करो, क्या आप मजदूर से यह कहना चाहते हैं यदि १०० रुपये से ७० रुपये आपकी रीयल इन्कम हो जाय तो इसकी पर्वाह मत करो क्योंकि हम देश का विकास करना चाहते हैं, मजदूर चपरासी से आप कहें कि आपकी तनख्वाह में २५ रु० की कमी हो गई तो इसकी आप पर्वाह मत करो। यह उचित नहीं है। उन लोगों को तत्व ज्ञान पढ़ाना ठीक नहीं क्योंकि उन्हें भूखे पेट तत्वज्ञान समझ में नहीं आ सकता। हम रीयेलिटी को छोड़ कर आइडियलिस्टिक बातें करें तो वह रियेलिस्टिक बजट नहीं हो सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा बहुत अदब से कि वे इस पर गम्भीरता से सोचें कि क्या और रास्ते नहीं है? जो हमारी पोलिसीज का यह असर पड़ रहा है, जो प्रोड्यूसर्स ऑफ वेल्थ हैं; किसान, मजदूर, गवर्नमेंट एम्प्लोइज, मध्यम वर्ग के लोग, छोटे लोग—इन सब पर एड्वर्स इफेक्ट पड़ रहा है आपकी पालीसीज का, इनकी रीयल इन्कम पर असर पड़ रहा है। और जो लोग समाज में कोई काम नहीं कर रहे हैं उनकी अन् अर्न्ड इन्कम बढ़ रही है, इस पर आपको सोजना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक मजदूरों का प्रश्न है सरकार ने अपने पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिये ५ रुपया इन्टेरिम अलाउन्स की घोषणा की है मगर प्राइस इन्डेक्स के आंकड़ों के आधार पर, जहां इतनी इन्कम बढ़ी है, इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। वैसे वित्त मंत्री इस बात में फंक रहे हैं, उन्होने स्वीकार किया है कि प्राइमाफेसी केस सही है, कीमतें बढ़ी हैं। पर इस बिना पर कि हमारे रिसोर्सेज अलाउ नहीं करते, इसलिये ज्यादा नहीं दे सकते, यह कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस समस्या का हल नहीं। आपके रिर्सोसेज हैं या नहीं, इस पर मैं बाद में कहूंगा। यह जो ५ पर्सेंट इन्टेरिम अलाउन्स की घोषणा की उसके बाद एक्सपर्ट्स कमेटी बैठाई। मजदूरों ने साफ कहा है कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं उनसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, आपका प्राइस इन्डेक्स गलत है। अच्छा किया कि एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठा दी। यह इन्टेरिम घोषणा कोई समस्या का समाधान नहीं है; इसलिये नहीं है कि कुछ लोग असंतोष का फायदा उठाना चाहते हैं।

यह समस्या, एक रीयल प्रॉब्लम हमारी जनता के सामने एक बड़े क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ा है। उस क्वेश्चन मार्क को हल करने की उनकी जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है और उनकी नीति के अनुसार अगर वे चलेंगे तो वे उससे इन्कार नहीं कर सकते कि गरीब लोगों की हालत आप बेहतर न बनाएं। बेहतर बनाने के लिए आप प्लेज्ड हैं, डिस्पैरिटीज कम हों, इसके लिए आप प्लेज्ड हैं, लेकिन डिस्पैरिटीज आप बढ़ायें नहीं। अगर कम नहीं कर पाते तो बढ़ायें भी नहीं। आप गम्भीरता से इस बात पर विचार करें। फूड प्राइसेज पर आपकी जो पॉलिसी है इसका असर फिक्स्ड इन्कम वाले मजदूर वर्ग पर पड़ेगा। आपको विचार करना है कि इन डिस्पैरिटीज को आप बढ़ाते हैं या नहीं। यदि हां तो आपकी क्या जिम्मेदारी है ?

मजदूर वर्ग ने आपके खिलाफ अपना स्ट्राइक वापिस ले लिया। वे आपके सामने अपनी कठिनाइयां बार बार रखते हैं, वे कह रहे हैं कि इतने से हमारा संतोष नहीं हो सकता। आप आंकड़े देखेंगे तो सैटिस्फाइड हो जायेंगे कि जो निजी उद्योग वाले हैं वे कितना मुनाफा कमाते हैं और कितना शो करते हैं, यह बात अलग है। मजदूरों ने बार बार मांग की है कि डीयरनेस अलाउंस उतना होना चाहिए जितनी कि महंगाई में बढ़ोत्तरी हो। उन्होंने इस बात के लिए भी कहा है कि सरकार की डीयरनेस अलाउंस को बढ़ोतरी को इन्डेक्स नम्बर्स में बढ़ोतरी से लिंक किया जाना चाहिए और केवल लिंक ही नहीं बल्कि सेंट पर्सेंट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। जब तक सेंट पर्सेंट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करते तब तक उनके रीयल वेजेज उतने नहीं रह सकते जितने कि थे।

आपने जो मामला एक्सपर्ट कमेटी को रेफर किया है उसमें आपने इस प्रश्न को रेफर नहीं किया है कि सेंट पर्सेंट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए कौनसे तरीके वह सजेस्ट कर सकती है। आपने यह रेफर किया है कि आया प्राइस इंडेक्स नंबर्स महंगाई भत्ते से लिंक हुए हैं या नहीं और वे किस तरह से हुए हैं। इसी पोइंट को आपने रेफर किया है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि सरकार यह बात भी उस कमेटी को रेफर करे ताकि सही स्थिति की एक्सपर्ट कमेटी से हम उम्मीद करें।

इस बात का हमेशा प्रोटेस्ट लिया जाता है कि हमारे सामने रिसोर्सेज की कमी है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हों तो हम करने को तैयार हैं। इस मुसीबत को हम महसूस भी करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह रिसोर्सेज की समस्या भी सरकार की बेसिक पॉलिसी से ही कनेक्टेड है। यह समस्या एडमिनिस्ट्रेशन को टाइटन करने से और एरियर्स को वसूल करने से थोड़ी हल हो

Page No.50

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकती है। लेकिन बुनियादी समस्या इन बातों से हल नहीं हो रही है। बुनियादी समस्या में जब तक आप पुरानी परिपाटी को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बुनियादी तौर पर जिस तरीके के डेवलपमेंट की आज राजस्थान को जरूरत है उसका हल असंभव है। इस सरकार ने अपनी प्लान में बार-बार पून किया, २३६ करोड़ से २०८ करोड़।

कुछ दिन पहले मुख्य-मन्त्री महोदय ने शायद यूनिवर्सिटी में घोषणा की कि रिसोर्सेज़ की डिफीकल्टी के कारण ४ करोड़ की और कट करनी पड़ेगी। इस पर वास्तव में संजीदगी से सरकार को विचार करना चाहिए। या तो जैसे इधर के माननीय सदस्य ने कहा कि वास्तव में हमारी प्लान महत्वाकांक्षी है, इस प्रपोजीशन को इस सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अगर यह गलत है, जैसे हमारी मान्यता है कि गलत है, राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए, जो हमारे प्लान के टार्गेट्स हैं वे आवश्यकताओं से बहुत नीचे हैं-सरकार ने खुद इस बात को मन्जूर किया है ऐसी हालत में क्या वास्तव में हमारे सामने रिसोर्सेज़ की समस्या है ? क्या आपके तमाम रिसोर्सेज को टैप करने की कोशिश की है जिनको टैप करना चाहिये ? सरकार बार-बार रिजोर्ट करती है, जैसे कहते हैं कुम्हार का कुम्हारी पर बस नहीं चले तो गधी के कानों को ऐंठता है, तो हमारी सरकार भी नया टैक्स लगा देती है। जब आपने थड फाइव ईयर प्लान बनाया, आपने कुल ३२ करोड़ रुपये का एक ह्यूज अमाउन्ट नए टैक्सेज के जरिए प्लान के अन्दर रिसोर्सेज लाने के लिए रखा था। जब आप रिसोर्सेज की शिकायत करते हैं तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान की जनता से जो वायदे किए वे आपको याद रहते हैं ? क्या आपको राजस्थान की जनता से शिकायत है कि उन्होंने आपको टैक्सेज के जरिए रिसोर्सेज नहीं दिए ? वे जरूरी थे या नहीं, वह दूसरा प्रश्न है। मान भी लिया जाय कि ३२ करोड़ रुपये आवश्यक थे आग्युमेंट के तौर पर तो फिर क्या लिया है आपने ? जरा हिसाब-किताब लेकर देखिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष का यह बजट बन रहा है। इस चौथे वर्ष के बजट के कुल टैक्सेज मिलाकर जहां इस सरकार ने अपनी सीलिंग के नए टैक्सेज पर कुल ३२ करोड़ रखी थी, इन ४ वर्षों के अन्दर ३३,४८,३२,०००) रुपये के नए टैक्सेज आपने वसूल किए। १९६०-६१ जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल था उसमें हमारी स्टेट टैक्सेज का लेवल १८११.३६ लाख था और आज वह टैक्सेशन इस वर्ष के जो अनुमानित आंकड़े हैं उनमें ३०,६३,६०,००० हैं। इन सबको जोड़ दें जो ऊपर नम्बर है तो ३३,९८,००,००० आते हैं। उसमें मैंने ५१ लाख का वह आंकड़ा भी जोड़ लिया है जो वित्त-मन्त्री महोदय ने इस साल में एड किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : जरा स्पष्ट करें। आपके कहने का तात्पर्य क्या है ? पिछले साल का टोटल ३३ करोड़ होगा या चार साल....

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार साल में ३३ करोड़ हो गए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप गलत हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूँ।

१९६१-६२ में १९ करोड़ १९ लाख

१९६२-६३ में २५ करोड़ ३० लाख

(१०.०० म. पू.)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें तो सैकन्ड फाइव ईयर प्लान का ट्रेन्ड इन्क्रीज़ है, उसको भी जोड़ लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि एक नये टैक्स से, एक नयी बढोत्तरी से ३२ करोड़ रुपया रिसोर्सेज में लेना चाहिये था..........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडीशनल टैक्स इस प्लान पीरियड में है उसके टोटल को बतायें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं कि १९६०-६१ में राजस्थान की जनता पर कुल मिला कर १८.११ करोड़ रुपये के टैक्सेज थे। इस बात से भी आप इन्कार नहीं कर सकते कि नये टैक्सों के मेजर्स से आगे वह अमाउन्ट बढ़ कर ३१ करोड़ के करीब पहुँच गया। इस तरीके से आज आपके १३ करोड़ बढ़ गये तो चाहे वह ट्रेन्ड इन्क्रीज की बात हो भी, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि उसमें ट्रेन्ड इन्क्रीज शामिल नहीं है, उसका समर्थन करते हुए तथ्य यह है कि राजस्थान की जनता पर कुल टैक्सेज का बोझ तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में था और आखिर में होगा उसमें कितना अन्तर पड़ेगा—यह प्रश्न है और उसको अगर लगायें, अध्यक्ष महोदय, तो अगर अगले साल आप एक पैसा भी नहीं बढायें तो इसी टैक्सेशन के आधार पर आप ४६-४७ करोड़ रुपये इस तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की जनता से, दूसरी योजना के बाद, अतिरिक्त वसूल कर लेंगे जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३२ करोड़ रुपये टैक्सेज के जरिये अपने रिसार्सेज में देते हैं। आपने यह चालाकी की थी, आपने यह बदनीयती पिछली योजनाओं में की थी। आपने पांच करोड़ के टार्जेट रख कर जनता से १४। करोड़ रुपया वसूल किया था। लेकिन क्या नतीजा निकाला, अध्यक्ष महोदय ? आपने २३६ करोड़ का प्लान बनाया। टैक्सेज ३२ करोड़ के बजाय ४६ करोड़ के वसूल कर रहे हैं। प्लान को कट कराया और उसको २०८ करोड़ का बनाया और अब आप उसको काट कर २०४ करोड़ का फिर बनाना चाहते हैं। तो यह किधर विकास हो रहा है ? आप किधर ले जा रहे हैं राजस्थान की जनता को ? क्या आप यह कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं ? आप यह कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। आपको यह शिकायत रहती है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हालत में टैक्स किस तरीके के हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। आपने जितने टैक्स लगा लिये हैं उससे ज्यादा आप वसूल करेंगे। यह आपकी बुनियादी गलती है।

आपने तीसरी योजना बनायी थी उस वक्त से यह कह रहे हैं। जिन रिसोर्सेज को आप उम्मीद करके चले थे, जिन रिसोर्सेज की आप बर्बादी करके चले थे, चाहे बैटरमेंट लेवी की बात हो, चाहे सेल आफ लैंड की

Page No.52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात हो, सरकार की बुनियादी तौर पर गलती थी। उसने बुनियादी तौर पर गलती की। इस तरीके से सेल ग्रॉफ लैंड करके, बटरमेन्ट से रिसोर्सेज मिलने वाले हैं ग्रौर उन सबका विरोध जनता से मिलेगा यह मानकर चलना चाहिये था। ग्रापको उतनी ग्रामदनी नहीं ग्रा रही है, न ग्रायगी ग्रौर न ही ग्रापको उम्मीद करनी चाहिये। इसके बजाय ग्राप एक कर सकते थे ग्रौर वह है नौन टैक्स रेवेन्यू बढा कर ग्राप कर सकते थे, माननीय वित्तमन्त्री जी ने उसका जिक्र किया है कि की है हमारी फाइनेन्शियल लाएबिलिटी क्यों है ? हमारे यहां फाइनेन्स ग्रौर बजट में इम्बेलेन्स दो चीजें क्रियेट करती हैं—एक जागीरदारों को कम्पन्सेशन। दूसरा डेट्स ला रहे हैं, उस पर इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। ये दो बडे क्रेरचन्स हैं। ये हमारा इम्बेलेन्स क्रीयेट करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दूसरी डिटेल्स की बातों पर फिर विचार किया जा सकता है। यह बुनियादी बात है। मैं भी इसको मानता हूँ।

ग्राप क्यों नहीं सोचते कि जागीरदारों को कम्पेन्सेशन की बात जो इतना बड़ा इम्बेलेन्स क्रीयेट कर रही है, तीन करोड रुपया हर साल प्रोवइट करना पड़ता है, पिछले साल २॥ करोड़ से काम चलाया, कभी वह फीगर ३। करोड़ हो जाता है, तीन करोड़ का एवरेज के रूप में प्रॉविजन करना पड़ता है। जब लैंड रिफार्म्स किये गये, हमारी पार्टी की ग्रोर से यह प्रश्न उठाया गया था कि कम्पेन्सेशन की पॉलिसी को लागू करके राजस्थान की जनता को भयंकर ग्रार्थिक संकट में डाल देंगे। यह बात, ग्रध्यक्ष महोदय, जो हमारी पार्टी की ग्रोर से दस वर्ष पहले कही गई थी, सही साबित हुई है। ग्रापके वित्त मन्त्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है। मैं फिर कहूँगा कि ग्राप सोचें। फिर सोचें। बुनियादी तौर पर इसको सोचें। वित्त मन्त्री ने ग्रपने भाषण में कहा कि हम नये तरीके से सोचने के लिए तैयार हैं। ग्राप गम्भीरता से सोचें इस प्रश्न पर। जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देते हैं। तीन करोड का प्रॉविजन करना पड़ता है। क्या बड़े बड़े जागीरदारों को, कम से कम ग्राधे को स्थगित नहीं कर सकते ? क्या स्थगित नहीं कर सकते उनके पेमेन्ट को ? इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, ग्रगर बुनियादी तौर पर रिसोर्सेज की समस्या को हल करना है तो।

दूसरी बात, बुनियादी तौर पर इस बात पर विचार करना चाहिये, सदन में इसका बार बार उल्लेख किया गया है ग्रौर माननीय सदस्यों ने भी उस बात को मंजूर किया है, राजाग्रों को प्रीवी-पर्स ६६ लाख के करीब देते हैं, उनको खत्म करवा कर उतनी ही बड़ी एड केन्द्र से ज्यादा लें तो यह हमारे रिसोर्सेस को वढ़ा सकती है, इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस बात पर भी, ग्रध्यक्ष महोदय, निर्णय ले लेना चाहिये या कि ३ लाख रुपया पानी ग्रौर बिजली के तीन राजाग्रों को देते हैं, इस एमर्जेन्सी की हालत में जहाँ ५) रु० डीयरनेस का देते हुए बड़ा सोचना पड़ता है। चाहे तीन लाख की ही यह रकम हो, लेकिन इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है ? ग्राप किस प्रकार सेटिस्फाई करेंगे चपरासियों को किस तरह से तीन लाख रुपया पानी बिजली का मुफ्त दे दिया जाय ग्रौर रिसोर्सेज बढ़ाने के लिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तैयार नहीं हैं और इस पर विचार तक करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें। करीब एक घण्टा हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें नोन टैक्स रेवेन्यू के बारे में कहा है, जिनको हमने बार बार स्ट्रेस किया है पब्लिक इन्ट्रेस्ट में, जिसको सरकार को ध्यान देकर करना चाहिये। अगर उनके आंकड़ों को देखें तो इसमें भी उतरे नहीं हैं।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, डिस्पेरिटी ऑफ इन्कम में फर्क डालने की बात कही गई है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। आपकी यह टैक्सेशन की पॉलिसी कहाँ ले जा रही है ? मुख्य दो हैं—लैंड रेवेन्यू और सेल्सटैक्स। लैंड रेवेन्यू की आपने बावजूद इसके कि कहर पड़ा है, बावजूद इसके कि ८० लाख रुपये सस्पेन्ड हो गये हैं, बजट में ८ करोड़ ३० लाख की आमदनी बतायी गयी है। इतनी आपको आमदनी होने का अन्दाजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी विचार किया है? सरकार से कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रहने वाले लोगों की जो आमदनी है, सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान के आंकड़ों में पर-केपिटा इन्कम एग्रीकल्चरिस्ट की करेन्ट प्राइसेज पर देखें तो सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त में २६३ रुपया पर-केपिटा एन्युअल इन्कम है। यह इन्कम एग्रीकल्चर सेक्टर की थी जब कि कॉमर्स वालों की ८५०), ट्रान्सपोर्ट वालों को ६०१) है। ऐसी हालत में आप लैंड रेवेन्यू लगाते हैं ८.३० करोड़। आप इसमें वसूल करते हैं और इसमें ८० लाख वह और मिला दिया जाय तो ९ करोड़ और १० लाख के लगभग होता है। बजट एस्टीमेट्स से आगे होगा। पर-केपिटा इन्कम ६|||) लैंड रेवेन्यू की आती है। यही कॉमर्स पर लीजिये। आप डाइरेक्ट टैक्स या स्टेट ड्यूटी लगाते हैं वह कुल मिला कर पर-केपिटा ६||| से १८ रुपया आती है। पर-केपिटा इन्कम में तीन तीन गुना फ़र्क आता हो, एग्रीकल्चर और नोन एग्रीकल्चर क्लासेज में, तो किस प्रकार डिस्पेरिटी को दूर करेंगे—इस बात पर आपको विचार करना चाहिये।

हम यह उम्मीद करते थे कि जब यह सरकार बजट पेश करेगी अपने उन पिछले साल के टैक्सों के आंकड़ों को देखते हुए जितना टैक्स वसूल कर चुकी है उसको देखते हुए, पिछली बार के आधारों को देखते हुए सरचार्ज ओन लेन्ड रेवेन्यू को वापिस ले लेगी, यह उम्मीद हम करते थे। इसके अलावा सीरियल्स व पल्सेज पर जो सेल्स टैक्स की दर बढ़ायी है इस तरह से आवश्यक वस्तुओं पर पचास पर्सेन्ट की रिलीफ देगी, ऐसी हम आशा करते थे।

पिछली साल देश में एमर्जेन्सी के नाम पर टैक्स बढ़ाये गये थे उनको आप वैसा का वैसा ही कायम रखना चाहते हैं बावजूद लोगों की मुसीबत के। प्राइस बढ़ाने की वजह से सेल टैक्स में इन्क्रीज हुई है, उसको वैसा का वैसा कायम रख कर आप खुशी मानते हैं। जहां उनको रिलीफ दिया जाना चाहिये वहां सरकार बढ़े हुए प्राइसेज पर ज्यादा सेल्सटैक्स वसूल करके खुशी मनाती है। फाइनेन्स मिनिस्टर को खुशी इस बात से नहीं होनी चाहिये, उनको तो रिलीफ देनी चाहिये, सरचार्ज वापिस लेना चाहिये। आपको यह पता होगा कि इसके बारे में राजस्थान के विभिन्न

Page No.54

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मागों में आन्दोलन चल रहा है, इस बात को हल किये बगैर दुरुस्ती नहीं होगी ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कुछ रिलीफ्स भी दिये हैं और वृद्ध लोगों को पेंशन देने का भी प्रावधान किया है, वह स्वागत योग्य है । है सब यह टोकन नमूने के तौर पर, आखिर ७२ करोड़ में आपने इनके लिये कितना प्रोवाइड किया है । ओल्ड मनुष्यों के लिये जो पेन्शन का प्रावधान रखा है उसके लिये २५ लाख रुपये का प्रावधान किया है । अगर ईमानदारी से आप करना चाहते तो यह पांच साल पहले भी कर सकते थे । आज सरकार की नीति इस प्रकार की है कि जिस प्रकार बिड़ला और टाटा काफी मुनाफा कमाते हैं, खूब एक्सप्लोइट करते हैं और फिर एक दिन आता है बिड़ला मंदिर बनवा देते हैं, कुछ दान कर देते हैं जिससे जनता मानने लग जाय कि बड़े दानवीर हैं । लेकिन कभी आपने यह सोचा है, वे बिड़ला जिनके पास ६० करोड़ के असेट्स थे आज वे एसेट्स २६१ करोड़ तक पहुँच चुके हैं ।

बजट में ३२ करोड़ को बजाय ४६ करोड़ का टैक्सेशन प्रपोजल किया है और इस तरह से उनके लिये केवल २५ लाख देते हैं, यह बड़े दुख की बात है ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त-मन्त्री महोदय ने अपने इस बजट भाषण में इस बात को कहा है कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कायम करना चाहते हैं, उसके साथ-साथ उन्होंने भुवनेश्वर का भी जिक्र किया है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि यह उनका प्लेज्ड है । मैं तो यह निवेदन करूंगा कि भुवनेश्वर में इतनी चालाकी की गई जनता के सामने होग्स क्रिएट करके वह असलियत बहुत जल्दी सामने आ गई । बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जब सवाल आया तो इसके लिये साफ इन्कार कर दिया गया । आज जहां आपकी नीति का सवाल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सवाल है वह केवल कुछ लोगों को रिलीफ देने से जुड़ा हुआ नहीं है । वह जुड़ा हुआ है जो कीमतों के बढ़ने से मुनाफा हुआ है उसको कायम रख कर लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना जो डिस्पेरिटीज इन्कम की बढ़ी है और टैक्सेशन का इन्सीडेन्स बढ़ा है, उसको यदि कायम नहीं रखा जाता तो रियल इन्कम में कमी पड़ जाती; उसको कायम रखा गया है । इस तरह से बजट के अन्त में रिलीफ के नाम से एक कनात खड़ी करके इस सारी बात को ढकने की कोशिश की गई है । जिस प्रकार देहली में रामलीला ग्राउन्ड पर एक्जीबिशन होती है तो पास में झुग्गियों वाले नजर न आयें इसलिये ऊंची-ऊंची कनातें बना देते हैं ताकि फॉरिनर्स जो देखने आयें उन पर खराब प्रभाव न पड़े, उनको असलियत नज़र न आये; उसी तरह का हमारा यह बजट है । हमारे वित्त-मन्त्री ने बहुत चालाकी के साथ आखिर के अंदर कुछ रिलीफ की बातें कह कर ओरीजिनेलिटी को छिपाने की कोशिश की है ।

जैसा कि मैंने पहले कहा था शायलोक ने सब कुछ चूस लिया कीमतों के जरिये, तो अन्त में एक गुड़ की भेली दे दी जाती है ताकि उससे बच्चों का मुँह मीठा किया जा सके । असलियत बजट की यह है । मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, बुनियादी तौर पर इन बातों पर सोचना होगा । अगर हम

Page No.55

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रेडिकल परिवर्तन करने को तैयार हैं, और सही तौर पर आर्थिक विकास करना चाहते हैं तभी सही तौर पर विकास की बुनियाद पड़ सकती है वरना मिज़रीज़ राज्य में हो रही है वह बढ़ती चली जायगी। सरकार यह कहती है कि हम प्लेज्ड है। अगर आप 'प्लेज' के जरिये जनता को मजबूर करेंगे तो जनता ऐसी सरकार कायम करेगी जो न प्लेज के जरिये किसी प्रकार से बाधित है और न राजाओं को प्लेज के कारण मुआवज़ा देने के लिये तैयार होगी, जिसका न ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से प्लेज होगा। मैं निवेदन करूंगा, लोग इस नतीजे पर आज पहुँच रहे हैं कि हमारी सरकार इन प्लेजेज़ को छोड़ वास्तविकताओं को और रियलिटीज़ को समझ कर बेसिक पॉलिसीज़ में परिवर्तन करे। इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

(एक साथ अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट से कोई सदस्य नहीं बोले हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम हमारे राज्य के १९६४-६५ के बजट पर विचार कर रहे हैं। इस बजट भाषण में हमारे वित्त-मन्त्री महोदय ने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं है, इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने भाषण के शुरू में यह कहा है कि १९६३-६४ का साल इस राज्य के लिये आर्थिक संकट का साल निकला है। यह बात उनको आज मालूम हुई हो, यह मैं नहीं समझता कि यह बात ठीक है। उन्होंने पिछली साल भी जब अपना बजट भाषण दिया इस बात का जिक्र किया था और उससे पहले भी वित्त-मन्त्री महोदय ने जो पहले की सरकार में थे उन्होंने किस तरह से हमारे राज्य के पैसे का मिसयूज किया, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की थी। इस बात उन्होंने स्पष्ट बात कही है कि हमारे जितने साधन थे, जितनी हमारे पास पूंजी थी उस सारी पूंजी को विकास के कामों में लगाने की कोशिश करने के बावजूद हमारा विकास कृषि उत्पादन के मामले में, अनाज के उत्पादन के मामले में बढ़ा नहीं है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। सितम्बर महिने के अन्दर इसी हाउस में मुख्य-मन्त्री, जिस वक्त वे प्लान के वाद-विवाद का जवाब दे रहे थे, यह बात कही थी कि राजस्थान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ६३ में १७ पर्सेन्ट बढ़ा है। उसके तुरन्त बाद ही नवम्बर में प्लानिंग कमीशन के सामने जो देहली में मीटिंग हुई थी उस वक्त हमारे मुख्य-मन्त्री प्लानिंग कमीशन के सामने शर्म के साथ मन्जूर करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन सात पर्सेन्ट कम हुआ है। हाउस में कोई बात कही जाती है आंकड़े रखे जाते हैं उन आंकड़ों में किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिये और वे गलत नहीं होने चाहिये। हाउस को जो सूचना दी जाय वह सही और सच्ची होनी चाहिये।

यह बात कि ६३ में १७ प्रतिशत एग्रीकल्चरल प्रॉडक्शन बढ़ा और दूसरी तरफ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सात पर्सेन्ट कम हुआ। यह २४ पसन्ट का फर्क पड़ना मामूली बात नहीं है। अब इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है—यह सरकार जवाब देते वक्त बतावेगी।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी आंकड़े बढ़ोतरी के बताये जाते हैं वे उस साल के प्रोडक्शन को लेकर बताये जाते हैं। इसी तरह से मुख्य मन्त्री ने जो ये आंकड़े बताये वे इसी साल के प्रॉडक्शन को लेकर बताये हैं जब कि राजस्थान में इस साल अकाल है। अब भविष्य में भी जब वे बतावेंगे तो वही आंकड़े ६३–६४ के बताये जावे जब कि ६३–६४ में आधे से ज्यादा हिस्से में राजस्थान में अकाल की छाया पड़ी हुई है। ६७ और ७० में भी जो आंकड़े बतावेंगे तब भी वैसे ही आंकड़े पेश होंगे कि ६३ से हमारा प्रॉडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह के आंकड़े, जिनमें सत्यता नहीं है, हाउस के सामने नहीं लाने चाहिये।

अपने वित्त भाषण में वित्त मन्त्री महोदय ने यह बताया कि आज वे इस मामले में भी सतर्क हैं कि चीन का हमला हमारे पर हुआ था और आगे के लिये उसकी आशंका बनी हुई है और पाकिस्तान, जो हमारे से नाराजगी रखे हुए है उसकी तरफ से भी गड़बड़ी की आशंका है और हमारे प्रान्त में आज अकाल की छाया पड़ी हुई है और इन सब कारणों से हमें जो हमारे राज्य में अधिक प्रॉडक्शन करना था, अधिक विकास के काम करने थे, जनता को अधिक सुविधायें देनी थी, वे नहीं कर पाये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें क्या बात उन्होंने इस तरह की रखी कि जिससे राजस्थान की २ करोड़ ८ लाख जनता यह महसूस कर सके कि वास्तव में राज्य सरकार जो हमारे पास से करोड़ों रुपया लैंड रेवेन्यू के रूप में, टैक्सों के रूप में और अन्य रूपों में लेती है, उसे हमारे अच्छे के लिये किस तरह से खर्च करती है।

•

मैं आपके सामने हर विभाग के आंकड़े रखना चाहता हूँ। जो आपने नान-प्लान का बजट रखा है उसमें शिक्षा को लीजिये। इसमें आपने १४ करोड़ ८३ लाख ८४ हजार का अनुमान रखा है जो १९६३–६४ से १ करोड़ २५ लाख ४१ हजार ज्यादा है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सारी चीज को जनता के सामने रखा किस तरह से है? उन्होंने एक नये खर्चे के लिये एक नये एक्सपेरीमेन्ट प्रचार के लिये ८७ लाख २७ हजार रुपये खर्च करने का शिक्षा में रखा है। इसके अलावा उन्होंने २९ लाख ३२ हजार रुपया हाल के प्लान में कम किया है। इस तरह से उन्होंने कुल मिला कर सारे बजट में २१ लाख १८ हजार की कमी का प्रावधान हमारे इस बजट में शिक्षा विभाग में पहले से नान प्लान में किया है। और यही नहीं, ऐसे भी विभाग मैं बताना चाहता हूँ जिनमें प्लानिंग में भी जो बहुत जरूरी है, जिन में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, उनमें भी कमी की है, जैसे सामुदायिक विकास योजना जिसका असर गरीब देहाती जनता पर पड़ता है जिसका सम्बन्ध हमारे राजस्थान के उन लोगों से है जो गांवों में रहते हैं और जिनकी तादाद १,७० लाख है। उस विकास के बजट में, विकास के मामले में, सार्वजनिक विकास के बजट में, प्लान और नान प्लान दोनों में

Page No.57

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

ही कमी की है। और वह कमी इस तरह से की है :

६४। ६५ का अनुमान लगाया है ३ करोड़ १८ लाख तीन हजार रुपये का जो ६३। ६४ के संशोधित बजट में २ करोड़ ६७ लाख ५८ हजार के मुकाबले में ५० लाख ५५ हजार की बढ़ोत्तरी का है। परन्तु उन्होंने इस पैसे में से २८ लाख नवीन एक्सपेन्डीचर में डाल दिया और उन्होंने जो रुपया बढ़ाया है, जिस काम में बढ़ोत्तरी हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस को बताना चाहता हूं कि १७ लाख ८० हजार रुपया सिर्फ प्रशासन पर, जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के कर्मचारी हैं, उन पर उन्होंने इतना बढ़ाया। इसके अलावा जो दूसरे उनके डाइरेक्टरेट वगैरह हैं उन पर चार लाख ६५ हजार रुपया प्रशासन पर बढ़ाया है। इस तरह से हर विभाग में जो प्रशासन का खर्चा बढ़ा है इस ६४। ६५ में वह हमारे बजट का करीब ५३। ५४ परसेन्ट होता है, जो मैं समझता हूँ इस हिन्दुस्तान में किसी दूसरे राज्य में प्रशासन पर इतना खर्चा नहीं होगा।

इसका एक मात्र कारण यह है जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आज जो भी लोग शासन चलाने के लिये बैठे हैं वे इतने नाकाबिल लोग हैं कि वे लोग उन ब्यूरोक्रैसी के लोगों पर जो बड़ी-बड़ी तनखा लेकर सारे सेक्रेटेरियट पर छाये हुए हैं, उन पर अंकुश नहीं लगा सकते, उन पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते, उनको अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकते, बल्कि उल्टे उनके मातहत होकर ये चलते हैं। उनके कहने में चलते हैं। उनके प्रभाव में आकर चलते हैं। खुद में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बुद्धि को काम में लेकर जनता के हित के लिये अच्छे कामों के लिये अपने दिमाग से नई-नई और अच्छी-अच्छी चीजें सामने ला सकें। यही कारण है कि जब कभी भी शासन की तरफ से इस प्रशासन के खर्चे के मामले को लेकर जवाब मिलता है तो यही मिलता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि यह तो हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर बने हुए सर्विस रूल्स के अनुसार है, उनके आधार पर है, उनकी तनखा उन बड़े-बड़े अफसरों की तनखा हम कम नहीं कर सकते। क्यों साहब? बड़ी तनखा वालों की कमी क्यों नहीं कर सकते? जिम्मेदार तो जनता के प्रति आप हैं। वे आपके नौकर हैं, आप उनके नहीं हैं। पर जहां उनका सवाल आता है वहां तो आप सर्विस रूल्स की दुहाई देने लगते हैं परन्तु जो गरीब लोग हैं जो छोटे नौकर हैं जिनकी स्टार्टिंग पे ४५)रु० है, उनकी कमी आप अवश्य कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं लाखों की तादाद में आप। यह काम आप कर सकते हैं। उनके पेट पर आप लात मार सकते हैं। उनकी ग्रेड आप नहीं बढ़ा सकते। आप सिर्फ ५) रु० इन्क्रीमेन्ट देकर आप उनको खुश करने की बात करते हैं। यह इस राज्य के लिये शर्म की बात है। जिसकी ४५) रु० तनखा है ये खुद कहते हैं कि जहां इन्डेन्ट महगाई का नम्बर १४० से ऊपर हो १४५ तक हो वहां पर ५) रु०। वह भी उनको महगाई भत्ते में जोड़ना चाहते हैं वेतन में नहीं। महगाई में जोड़ने से सरकार यह महसूस करती है कि गरीब का पेट भर जावेगा इससे। जहां आज हिन्दुस्तान में हालत यह है कि एक आदमी कमाता है और चार आदमी उसके आश्रित खाने वाल

Page No.58

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

हैं। ऐसी हालत में ४५) रुपया जिसको मिलते हैं उसका किस तरह से पेट भर सकता है ? परन्तु यह सरकार उन लोगों की तरफ कोई भी विचार करने को तैयार नहीं है।

आज के कुछ साल पहले जब राजस्थान सरकार ने गरीबों का और दूसरे कर्मचारियों का जिनको ३००) रु. से कम मिलता है, ५) बढ़ाया था और आज फिर ५) रु. पढ़ाया है। जैसा कि मालूम हुआ है हिन्दुस्तान की सरकार ने, जब पांच रुपये पहले बढ़ाने की बात चली तो उस वक्त यह कहा था कि पांच रुपया हिन्दुस्थान की सरकार देगी और पांच रुपया राजस्थान की सरकार दे। इस तरह से दस रुपया उनका बढ़ना चाहिये था, परन्तु हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने अपना कोई कन्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं दिया। कोरा भारत सरकार से जो पैसा आया था वही पांच रुपया दिया। अपनी तरफ से कोई एड नहीं किया और आज जो यह पैसा इस मंहगाई भत्ते में बढ़ाया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह तर्क गलत है। महंगाई भत्ते में बढ़ाने के पीछे आपकी नीयत यह है कि जब कभी इन्डेक्स नम्बर महगाई का कम हो जायेगा तो उसे वापिस विथड्रा कर लेंगे। जैसा आपने कहा अपने बजट भाषण में, पांच रुपया बढ़ाने के बाद कि यह तो इन्टेरिम रिलीफ अरेन्जमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से गरीब लोगों के पेट ही मिलते हैं आपको कुठाराघात करने के लिये। उन्हीं का पेट काटने की आप कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनको दो हजार, ढाई हजार, पन्द्रह सौ, १८,००) रुपया मिलता है उनके लिए आप दो सौ, ढाई सौ, डेढ़ सौ स्पेशल पे की बात करते हैं और जब इसके बारे में पूछते हैं तो झट से सर्विस रूल्स सामने ले आते हैं। क्या आप छोटे लोगों के लिए सर्विस रूल्स नहीं बना सकते? असेम्बली में वह ताकत है कि सर्विस रूल्स ही नहीं, इनके लिये एक्ट भी बना सकते हैं। चाहिये आपकी सही नियत। तो क्यों नहीं आप इस बात को मानते हैं और मन्जूर करते हैं। रूल्स और एक्ट इनके लिये भी बनाये जावें और राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश में जहां एक गरीब आदमी कमाता है और चार खाने वाले होते हैं वहां कम से कम उन लोगों की आप सौ रुपया करें। उनका वेतन कम से कम सौ रुपया होना चाहिये। आप उन बड़े बड़े ब्यूरोक्रैट अफसरों को कम कर दीजिये, कोई हानि नहीं होने वाली है, उनकी तनखा कम कर दीजिये, उनकी फिजूलखर्चियां कम होंगी इससे अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है, वे भूखों नहीं मरेंगे। तो आप इस तरह के रूल्स और एक्ट क्यों नहीं लाते। आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं हो सकती उनको छेड़ने की और गरीबों की मदद करने की। आज जो आपने रिवाइज्ड पे स्केल बनाई, आप उसको भी उठाकर देख लीजिये कि उसको किसने बनाया और किस तरह से उसको बनाया। उसको बनाने वाले कौन थे और किसके फायदे के लिए वे बनाये गये।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चिकित्सा का बजट रखा गया है, उस विभाग के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। इन्होंने १९६४-६५ के अन्दर ४,५३,... रुपया का अनुमान लगाया है जो १९... के मुकाबिले में ४८,६५,००० रुपये है। परन्तु वास्तविक बात देखी

Page No.59

(श्री उमरावसिंह ढायरिया)

तनख्वाहों के ऊपर बढ़ोतरी हुई है। उसके आंकड़े २२ लाख ८८ हजार रुपये सिर्फ स्टाफ के ऊपर, डाक्टरों के ऊपर, कम्पाउन्डर्स से ऊपर जो तनख्वाह बढ़ेगी वह २२ लाख रुपया बढ़ेगा और जो बढ़ोतरी हुई है वह ४८ लाख रुपये की है और इसके अलावा जो नया एक्सपेन्डीचर हुआ है वह २८ लाख ६६ हजार रुपये का है। इस तरह से करीब १० हजार रुपये की इस डिपार्टमेंट के अन्दर इस बजट के अन्दर मूल में कमी की है। बल्कि बढ़ाया नहीं है। इस तरह से ३ लाख रुपये की कमी इसी बजट के अन्दर इसी डिपार्टमेंट में की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी से और हाउस से बहुत नम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे इस बजट के अन्दर एक विभाग है विविध विभाग। उसके अन्दर जो खर्चा है उसमें जो बड़ी बड़ी रकमें डाली हैं उसका एक ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें एक रकम इस तरह की है कि जिसके बारे में हाउस को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार कहा कि इस कम्पनी को आज के बाद कोई रकम कम्पन्सेशन के रूप में नहीं दी जायेगी....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : कौनसी कम्पनी है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को आर्थिक सहायता के रूप में जो हमारी सरकार पैसा देती है, गये बजट के वक्त जब इनको ८ लाख रुपया देने का प्रपोजल रखा गया था हमारे हाउस के दूसरे सदस्यों ने इसका विरोध किया और उसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा—अगर प्रोसीडिंग्ज हों तो लाकर देखा जा सकता है—आइन्दा इस कम्पनी को कम्पेन्सेशन के रूप में कोई पैसा नहीं दिया जायेगा चाहे वह अपनी एयर लाइन्स चलाये या नहीं। उस कम्पनी को मैं अर्ज करना चाहता हूँ हमारी सरकार ने एक तरफ कहा है कि इमर्जेन्सी है जब दूसरी तरफ सड़कों का सवाल आता है, स्कूल का सवाल आता है, चिकित्सा का सवाल आता है तो कह देते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है। परन्तु इस कम्पनी को ३ साल के अन्दर हमारी सरकार ने कितना पैसा दिया। १९६२-६३ में ८ लाख ८६ हजार १७७ रुपया दिया, १९६३-६४ में ९ लाख ५१ हजार ४०० रुपया दिया और १९६४-६५ में प्रपोजल है ४ लाख रुपये देने का। इस तरह से कुल मिला कर जो रकम उनके पास पहुंची वह २२ लाख ३७ हजार ५७७ रुपये होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या एक हवाई जहाज चले उसमें राजस्थान के लोग बैठकर घूमें उसके लिए कम्पेसेशन के रूप में कम्पनी को राजस्थान के खजाने से २२।। लाख रुपये दे दें क्या यह न्यायोचित है ? इसको आप इमर्जेन्सी का समय कह सकते हैं ? कभी नहीं हो सकता। यह जो ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं और कल यहां उद्घाटन करने के लिए करोड़पति आयेंगे ऐसे बड़े आदमियों को सुविधायें दी जाये। केवल घूमने के लिए २२।। लाख रुपया खर्च किया जा सकता है लेकिन रोडवेज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनके मजदूरों को पैसा देने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती और इस ऐयरलाइन्स कम्पनी को पैसा दे सकती है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अब तो बन्द हो गया।

Page No.60

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ४ लाख रुपया आपने रखा है। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अब बन्द कर दिया है यह तो पुराना बकाया है।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, वैसे तो मैं अपने जवाब में कहता लेकिन इतना साफ कर देना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई। पिछली साल से हम कोई उनको मुआवज़ा नहीं दे रहे हैं। यह जितना हिसाब माननीय सदस्य ने कहा है वह पुराने एरियर का है। इसलिए यह कोई नया नहीं है जो हम दे रहे हैं। एरियर्स जितने पुराने निकलते हैं और जिनके लिए हम कमिटेड हैं यह उसके आंकड़े हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि स्पष्टीकरण माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किया है मैं आपके द्वारा बहुत नम्र शब्दों में उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि आज के कुछ रोज पहले ६ तारीख को उन्होंने १९६३-६४ की सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स ५२ करोड़ रुपये की पेश की हैं अगर यह पैसा पहले का देना है तो वह उन डिमाण्ड्स के साथ में क्या पास नहीं कराया जा सकता था ? आज के १९६४-६५ के बजट में उसको खर्च के खाते में बता कर यह गलती की गयी है। अगर यह गलती की गयी है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जायेगा ? यह भी अपने जवाब में बताने की कृपा करें।

श्री बाल कृष्ण कौल : जब कि यह पुराना एरियर है और हमको देना है तो देंगे इसको मान लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड में न लाकर इसमें क्यों लाये ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसकी डिमाण्ड बाद में आई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह मानने के लिए मैं इस लिए तैयार नहीं हूं कि ६ तारीख को सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड आई और यह बजट ६ तारीख को ही आ चुका था। फिर किस तरह से कह सकते हैं कि सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड के समय कैसे नहीं मालूम था। इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन भी पेश करने की अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी डिपार्टमेन्ट के अन्दर एक रकम है कि जिसके बारे में मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि इस हाउस के आप ही एक वैधानिक मालिक हैं जो इस तरह की वैधानिक चीजों की जांच कर सकते हैं। ४ लाख रुपये छोड़ने की बात आई थी उसी तरह से हमारी राजस्थान सरकार हर साल लाखों रुपया लोगों को छोड़ देती है और इस विविध विभागके खाते में इसको डाल दिया है जिससे कि कोई लोग इसको देख न सकें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस साल भी उन्होंने इसके अन्दर १ लाख रुपया इसका रखा है कि जो वसूल नहीं होने योग्य रुपया है वह छोड़ दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा रुपया है—किसके अन्दर बाकी है मैं चाहूंगा कि हाउस के सामने इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाये कि यह एक लाख रुपया किन पर छोड़ना चाहते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा—केवल लिख देने से काम नहीं

Page No.61

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चलेगा। यह छोटी रकम नहीं है एक लाख रुपया है। अगर कमी हो जाय तो टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है और एक लाख रुपया आप छोड़ना चाहते हैं किस को यह आपको बताना होगा। इस लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ६२ से आज दिन तक जो इस विभाग के अन्दर इस छुट का खाता है उसके अन्दर एक लाख रुपया किस में है....

श्री बालकृष्ण कौल : कौनसी डिमाण्ड है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : डिमाण्ड नं० ७१.

श्री बालकृष्ण कौल : कोई डिमाण्ड पर बहस थोड़े ही चल रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बजट में दिया हुआ है। इसी के अलावा इसी के अन्दर एक बहुत अच्छी मद रखी हुई है और उसके साथ लिखा गया है कि यह पैसा संबंधित मंत्री महोदय अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करेंगे। इसमें एक बात इन्होंने रखी है कि संवाददाताओं को संबंधित मंत्री द्वारा विवेक अनुदान दी जायेगी और वह रकम १३ हजार रुपये की है। अब वह किस तरह से देंगे किस को देंगे किस खाते के आधार पर देंगे कोई स्पष्ट नहीं है। परन्तु इसमें यहां पर संवाददाताओं को यह १३ हजार रुपया विवेक अनुदान देंगे इसके अलावा ६० हजार रुपया इसमें रखा है कि जिसमें फोटो खिचवाई जायेंगी और सहकारी कार्य के अन्तर्गत जितने लोग हैं उनको सहायता देने के लिए १ लाख २५ हजार रुपये की मद इस विभाग के अन्दर रखी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक कार्यों को करता हूं और उसका बिल भी पेश करता हूं और मेरे पास बिल भी आते हैं। उसके अन्दर जितने श्री लेखापाल महोदय हैं, जितने भी ऑडिटर्स हैं वे इस बात का एतराज करते हैं कि भोजन का खर्च नहीं लिखा जाना चाहिए।

(१०४१ अ. पू.)

(उपाध्यक्ष, राव श्री नारायण सिंह, पदासीन)

और जब राज्य सरकार का बजट आता है वह इस विभाग के अन्दर लिखा है कि वहां पर ५०,००० रुपया भोजन और अस्त्र के लिए खर्च किये जायेंगे। नये साल के बजट के अन्दर हमारे इस राजकीय प्रवास भवन के लिए जो अनुमान किया गया है उसके अन्दर भी २४,००० रुपया इस बात का रखा है कि हमने लोगों को रोटी खिलाई है। क्यों, साहब, किस को खिलाई है ? वहां पर करीब डेढ़-दो साल से मैं भी रहता था, वहां पर कोई गवर्नमेंट का मेहमान नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट के मेहमान नहीं आये कि जिनको कि २४,००० रुपये का भोजन राजकीय प्रवास भवन में कराया गया और उसका बजट में, उसके खाते में, उस विभाग के नाम पर २४,००० रुपया दर्ज है और ५०,००० रुपया इसमें दर्ज है।

इसी तरह से अयगढ़ का एक किला है। उसकी रक्षा के लिए ३०,००० रुपया खर्च

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

किया जाय तो मैं कहता हूँ कि इमर्जेन्सी कहां है, वह किस जगह पर है। किस जगह पर रोका है खर्च करना आपने ? आप तो विचरते हैं अपनी मर्जी से। जहां मर्जी आई वहां खर्च कर दिया और मर्जी नहीं आई वहां खर्च नहीं किया।

इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण कार्यों का बजट है। उसके अन्दर कमी की गई है चार लाख रुपये की। दूसरे जो उसके उपविभाग हैं सड़क और भवन के, उसमें भी चार लाख की कमी की गई है। हमारे मन्त्री महोदय, मुख्य-मन्त्री महोदय और हमारे वित्त मन्त्री महोदय जब भाषण देने के लिए खड़े होंगे तो कितने अच्छे शाब्दिक जाल में कहेंगे कि दो करोड़ की जनता वाले राजस्थान के लिए इतने प्रोजेक्ट्स बना दिये, इतने यह बना दिये गये, इतने विकास खण्ड खोल दिये गये परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप सड़कों का निर्माण क्यों नहीं करना चाहते हैं ? आपने उसमें चार लाख की कमी क्यों की ? क्या आप सार्वजनिक निर्माण का कार्य नहीं करना चाहते हैं ? आपने उसमें चार लाख की कमी क्यों की ? इसका आप अपने जवाब में बतायेंगे।

मैं आपको आपका गये साल का भाषण बताऊँगा कि उसमें आपने जो-जो वायदे किये हैं उनमें से कितने पूरे किये या नहीं ? वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आपने जन-स्वास्थ्य का बजट पेश किया है उसमें आपने एक करोड़ की कमी का बजट पेश किया है। सब लोग कहते हैं कि पीने के पानी के कुंए गहरे होने चाहिए. वाटर-वर्क्स लगने चाहिए, पानी लोगों को मुहैया होना चाहिए पीने के लिए। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह का बजट पेश करके क्या आप जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने का दावा कर सकते हैं जबकि आप यह कहते हैं कि एक करोड़ रुपये की रकम की कमी का बजट पेश किया है ? मैं आप से और आपके द्वारा हमारी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आने वाले अप्रैल के बाद राजस्थान के इस सारे इलाके में, ६० प्रतिशत इलाका ऐसा है जिसमें लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं होगा। और उन कुंओं को गहरा कराने के लिए, वहां की जल-योजनाओं के लिए हमको लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा।

हर पंचायत समिति आपके पास प्रस्ताव भेजती है। मैं भी जब विकास-आयुक्त महोदय के पास गया, पंचायत समिति बनेड़ा, में पीने के पानी के कुओं के लिए, पैसा लेने के लिए तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इस मद मे पैसा नहीं है, और हमारे मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि भारत सरकार इस काम में बहुत पैसा दे रही है तो क्या वह पैसा मिनिस्टर साहब की जेब में है, वित्त-मन्त्री महोदय की जेब में है ? या सेकेटेरियेट में बैठने वाले लोगों की जेब में है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपकी जेब मे है।

श्री उमरावसिंह (ढाबरिया) : हमारी जेब तो बिल्कुल खाली है। अगर हमारी जेब में होता तो सेकेटेरियेट में पैसा मांगने ही क्यों जाते ?

(श्री बालकृष्ण कौल)

वहां पर कुओं को गहरा कराने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ यह इस बजट की ही बात हो वही नहीं। मैं अर्ज करता हूं कि जिला परिषद् को बजट ट्रान्सफर किया गया ३२,००० रुपये का और उन्होंने वहां पर इसको अलग-अलग ११ पंचायत समितियों में डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि यहां पर लिखा है एक भी पैसा किसी भी पंचायत समिति को, जिला परिषद् को पीने के पानी के लिए, कुओं के लिए नहीं मिला है। आप अखबारों में स्टेटमेंट देंगे कि हमारे पास पीने के पानी का बहुत पैसा है। क्या जवाब है आपका? गये साल में भीलवाड़ा जिला परिषद् को आपके द्वारा एलाट किया हुआ पैसा क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए क्या जवाब है आपका वह आप अपने जवाब में बताइयेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : जनरल डिबेट पर जितना जवाब होगा वह मैं दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपने इस पौथे के अन्दर यह लिखा है और मेरे पास उनका गये साल का एक पौथा भी है जो भी म आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : पोथी है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : पोथा है लम्बा चौड़ा। बजट भाषण इतना लम्बा नहीं होता है।

मैं अर्ज करूं कि इसी गये साल के आपके भाषण के २१ पेज के दूसरे पैरेग्राफ पर आपने यह लिखा है कि राजस्थान के अन्दर इस साल में जितने भी शेडो ब्लाक्स या प्रिएक्स्टेन्शन ब्लाक्स हैं उन सब को पहले खण्ड का दर्जा दे दिया जायगा। यह इसके पैरेग्राफ ३१ के अन्दर साफ दर्ज है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने इस बात को लिखा है और बाद में आपने पाबन्दी कर दी तो आपको इस नये साल के बजट के भाषण में यह लिखने की नौबत क्यों आई कि २३ प्रिएक्स्टेन्शन खण्ड हैं उनको इस साल में पहले खण्ड में बदल दिया जायगा। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ कागजों में कहकर लोगों को भुलावे में डालना चाहते हैं। अगर आपके लिखने के मुताबिक काम करें तो वे जहन्नुम में डूब जायं। वह वहां पर बैठकर आपके भाषण को पढ़कर काम करते हैं।

दूसरा, उन्होंने उसी साल में इसी किताब के २१ पेज पर सहकारिता के बारे में कहा है। उन्होंने लिखा है कि हम १०० खुर्दा कोआपरेटिव सोसाइटीज (कन्ज़ूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी) बनायेंगे, ५० मजदूर सहकारी समितियां बनायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें आपने पूरा काम कितना किया और इन सब बातों को जानने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हमने मांगी। जो रिपोर्ट आई है साइक्लोस्टाइल्ड वह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उसको मुलाहिजा करें, वित्तमन्त्री महोदय मुलाहिजा करें तो वह साइक्लोस्टाइल्ड इस तरह का है कि उसमें क्या लिखा है पढ़ा नहीं जा सकता। जब प्रिंटिंग के लिए बजट रखते हैं, आपके पास में गवर्नमेंट के प्रेसेज हैं तो क्यों नहीं डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को प्रिन्ट करा कर हाउस के सामने रखते हैं?

Page No.64

(उमरावसिंह ढाबरिया)

आपने इरीगेशन के मामले में कहा है कि हम इस साल के अन्दर खेती के लिएं सिंचाई के लिएं बहुत सारा रुपया खर्च करना चाहते हैं। मैंने उसको देखा है और एक रिपोर्ट जो गयें साल सिंचाई विभाग से हम लोगों को मिली है जिसमें उन्होंने यह एक फहरिस्त दी है कि ११२ ऐसे तालाबों को तैयार कराने के ऐसे कामों को हाथ में लेना चाहते हैं कि जिनके उपर ४ करोड़ २८ लाख रुपया खर्च होने वाला था। उसमें भीलवाड़ा जिले के लिए करीब ११ ऐसे तालाब थे जिन पर काम करने के लिए उन्होंने चूज किया था और उन पर २१ लाख रुपया खर्च करने की उन्होंने इस किताब के अन्दर सिफारिश की है। मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से भी, हमारे वित्त मन्त्रीजी से भी और सरकार से भी यह पूछना चाहता हूँ कि आपने इन ११ प्रोजेक्ट्स में से कौन से एक प्रोजेक्ट पर भी एक पैसा भी खर्च किया है ? नहीं किया है तो फिर इस किताब में उनको रखने की और पैसा खर्च करके सर्वे कराने की जरूरत क्या थी ? जो बजट प्रस्तुत करते हैं और उसके मुताबिक खर्च नहीं करते हैं और यह कहते हैं कि आगे इरीगेशन पर रुपया ज्यादा खर्च करेंगे तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उस बजट के अन्दर इरीगेशन डिपार्टमेंट के अन्दर एक लाख ४४ हजार की कमी का बजट हमारे वित्तमंत्री महोदय ने पेश किया है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी बात नहीं है कि इसको इस तरह से टाल दिया जाय। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान में एग्रीकलचर प्रोडक्शन में कमी हुई है, उसका कोई खास कारण है तो वह इरीगेशन के सोर्सेज का बराबर नहीं होना ही कारण है, और वही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से राजस्थान के अन्दर एग्रीकलचरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है और लोगों को बराबर पैसा नहीं मिलता है। आज सारे राजस्थान में लाखों ऐसे तालाब हैं जो फूटे पड़े हुए हैं। उनके नीचे करोड़ों एकड़ जमीन है जो कि बिना पानी के फालतू पड़ी रहती है। उसके अन्दर प्रोडक्शन नहीं होता है। आप इस बात से खुश मत होइये कि लाखों एकड़ जमीन एलाट हर साल होती है। उस जमीन को तैयार करते हैं जिसमें २ मन या चार मन प्रति बीघा पैदा हो जाने से आप कह दें कि हमारा प्रोडक्शन एग्रीकलचर का बढ़ा है। आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तभी बढ़ सकेगा जब कि आप १ एकड़ भूमि में काश्तकार की यह हालत बना देंगे कि वह अगर १५ मण अनाज पैदा करता है तो वह २० मण या २५ मण पैदा करने की हालत में हो जाय। इस प्रकार की हालत होगी, तभी प्रोडक्शन बढ़ सकता है वरना कागज पर लिख देने से प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन में दो रसीदें पेश करना चाहता हूँ जो एक गांव के तालाब के बारे में है और जिनसे पता चलेगा कि यह सरकार कितनी निकम्मी है जो किसानों से कहती हैं कि लैंड रेवेन्यू या सिंचाई चार्जेज एक ही बार वसूल किये जायेंगे। एक तालाब से एक आदमी की जमीन की सिंचाई होती

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

है और वह तालाब पंचायत के अंदर में है। उससे पंचायत भी वसूल करले और सरकार भी वसूल करले। यह हालत एक ही गांव की नहीं है कितने ही गांवों की है। मैं कई गांवों के किसानों द्वारा प्राप्त की गई रसीदें पेशकर सकता हूं जिनसे पचायत ने भी वसूली कर ली है और इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने भी वसूली कर ली है। जब उनके सामने जाकर कहते हैं तो वे कहते हैं कि यह डिपार्टमेन्ट का झगड़ा है। यह झगड़ा इस तरह का नहीं है कि जिसके कारण किसानों से दो बार वसूली की जाय। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश करें कि जो झगड़ा इरिगेशन डिपार्टमेन्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के बीच का है इस बात के बारे में कि पंचायतों के अन्दर की जमीन में जो तालाब हैं और उनके पेटे में जो काश्त होती है उसका १) रु० प्रति एकड़ जमीन का लगान पंचायतों को मिलना चाहिये यह फैसला सरकार ने सन् ५८ में कोटा में किया था परन्तु उस पर अमल आज तक नहीं हुआ है और इस कारण से कुछ हजार ही नहीं बल्कि लाखों रुपये पंचायतों के सरकार में बाकी है जिन्हें सरकार नहीं दे रही है उसे पंचायतों को दिलाया जाय। यही नहीं जिन तालाबों के लिये इरिगेशन और एग्रीकल्चर की रेट शामिल है उनके बारे में भी फैसला सरकार ने किया है कि ऐसे तालाबों से पीवल होने वाली जमीन से मिलने वाले लगान का ४० पर्सेन्ट पंचायतों को सरकार देगी। यह फैसला भी उन्होंने सन् ५८ में किया था। लेकिन आज तक वह पैसा सरकार ने पंचायतों को नहीं दिया। एक तरफ तो सरकार पंचायती राज्य को पनपाने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनका पैसा सरकार उनको नहीं देती। सौ दो सौ रुपये ही नहीं बल्कि लाखों रुपये सरकार अपने पास रख लेती है। फिर हमारी सरकार में बैठनेवाले बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कहते हैं कि पंचायतें निकम्मी हैं, सरपंच काम नहीं करते, पंचायत समितियें काम नहीं करती हैं और डेमोक्रेटिक डीसेन्टेलाइजेशन पर जो पैसा खर्च किया जाता वह व्यर्थ जाता है। यह मनोवृत्ति बड़े से बड़े अफसरों की है। करोड़ों रुपयों की सहायता पंचायतों को नहीं देते हैं इसलिये वे असफल होते हैं। मेरी तरफ मत देखिये, इन बातों को दिल में उतारिये और वादा करिये कि दो महीनों में पंचायतों का सारा पैसा पंचायतों को अदा कर देंगे।

इसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं सहकारिता के ऊपर। सहकारी विभाग पर जितनी चर्चा होती है उसमें प्रशासन पर कितना खर्चा होता है और एक्च्युअली वे बांटते कितना पैसा हैं। यह देखना बहुत लाजमी है कि क्या इस तरह के डिपार्टमेन्ट से हमारे प्रान्त में या राज्य में समाजवाद लाया जा सकता है? यहां पर ए० आई० सी० सी० के अधिवेशन में पंडित जवाहरलालजी नेहरू आये थे और उन्होने यहां पर जो भाषण दिया था उसको मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म लाने के लिये सबसे अधिक सही और अच्छा रास्ता यदि कोई है तो वह है कोऑपरेटिव सिस्टम। और हमारा यह डिपार्टमेन्ट कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये क्या कर रहा है और क्या कहता है? इस डिपार्टमेन्ट के प्रशासन पर जो खर्चा है वह इस डिपार्टमेन्ट द्वारा दी जाने वाली एड के

Page No.66

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

बिल्कुल बराबर है। और यही नहीं यहां जयपुर में उनका जो हैड ऑफिस है डाइरेक्टर का उस पर ६ लाख २५ हजार रुपये खर्च करते हैं और जिलों में जो इनके ओफिसेज हैं उन पर २२ लाख २१ हजार रुपये खर्च होते हैं। इस तरह से एडमिनिस्टेशन पर २७ लाख ५६ हजार रुपये खर्च करते है। सारे डिपार्टमेन्ट का बजट ७७ लाख ३६ हजार रुपयों का है और उसमें से दो जगह के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा २८ लाख का है और बाकी खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है वह सब मिलाकर ३० लाख से कम नहीं है। तो आप एक तरफ आधा बांटते हैं और आधा हजम हो जाता है। इस तरह के डिपार्टमेंट को रख कर क्या हम कह सकते हैं कि हम हिन्दुस्तान में कोऑपरेटिव के आधार पर समाजवाद लाने की कोशिश करेंगे ?

आपने अपने भाषण में कहा कि ७०० सेवा सहकारी समितियां बढ़ा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्लान के खिलाफ नहीं हूं लेकिन अच्छे शब्द यूज करना चाहता हूं। आप अच्छे काम को हाथ में लेकर उसे अच्छी तरह से चलाने का प्रयत्न कीजिये तभी वह अच्छी तरह से चल सकेगा। आपकी जितनी सहकारी समितियां हैं उनमें से आपका पैसा कितनों में कितना बकाया है ? मैं आपके सामने भीलवाड़ा की कोऑपरेटिव सोसायटी और भीलवाड़ा की कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहना चाहता हूं। इस बैंक के बारे में मैंने पहले भी कहा था, इसमें इतना घोटाला है कि बयान नहीं कर सकता। ६३,६४ का हिसाब ऑडिट करने के लिये ऑडिट पार्टी आई थी जो ऑडिट करने लगी लेकिन वहां की रोकड़ गायब थी, पूरे कागजात नहीं थे। हालत यह थी कि अंडर प्रोटेक्शन उन्होंने अधूरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश की है। यदि हिम्मत है वित्त-मन्त्री में तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें और जो दोषी हैं उनको सजा दिलावें वरना कोऑपरेटिव्ज सफल नहीं हो सकती।

भीलवाड़ा में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें २७ लाख रुपये ड्यू हैं। आप इन्क्वायरी कमीशन बैठाइये मैं साबित करूंगा कि २७ में से ८० पर्सन्ट रुपये राज्य चलाने वाली सरकारी पार्टी के लोगों में बाकी हैं, दूसरों में नहीं।

हमारे वित्त-मन्त्रीजी कहेंगे कि हम बहुत जल्दी रुपये वसूल कर रहे हैं। यह लिस्ट मुझे इसी हाउस में उद्योग विभाग से मिली है उसमें एक साहब को दिये गये थे ३० हजार रुपये गुड़ की फेक्ट्री लगाने के लिये वे रहने वाले हैं भीलवाड़ा के, आप चाहें तो मैं उनका नाम बता सकता हूं कल्याणमलजी सोमाणी जो एक्स सैक्रेटरी भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी हैं उनके ३० हजार रुपये दिये गये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनको जो ३०,००० रु० दिये गये उनसे क्या उन्होंने ६ आने का बोल्ट भी खरीदा है।

श्री बालकृष्ण (कौल) : किस काम के लिये रुपये दिये थे ?

श्री उमरावसिंह (ढावरिया) : गुड़ की फैक्ट्री लगाने के लिये दिया गया, वे कांग्रेस के एक्स सेक्रैट्री हैं कल्याणमलजी सोमाणी……

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक्स तो आप भी हैं।

श्री उमरावसिंह (ढावरिया) : मैं 'एक्स' तब था जब कांग्रेस ईमानदार थी। आज वह ईमानदार नहीं है। इसमें आज इस तरह के लोग बैठे हैं जिन्होंने सन् ४६ से अब तक कुछ नहीं किया। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं........

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : श्री ज्वाला प्रसादजी भी आपके साथ आने वाले हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने एक मन्त्री महोदय जो उप-मन्त्री हैं, यहां पर बैठते हैं और भीलवाड़ा से आते हैं, उनके खिलाफ दो फैसले पहले पेश किये थे कि आदत ही उनकी इस तरह के काम करने की है। दूसरा फैसला कोर्ट से सर्टिफाइड है जिसमें कहा था कि जब वे म्युनिसिपेलिटी के लिये खड़े हुए थे मेम्बर बनने के लिये तब कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन्होंने अपने एक पार्टनर को चेयरमैन होने के नाते म्युनिसिपेलिटी का वकील बनाया उसमें उनका शेयर था, इसलिये उनका नोमिनेशन नहीं किया जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : It should be laid on the table of the House.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये क्या बोल रहे हैं ?

(११.०० म. पू.)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) यह पूरा फैसला सदन की मेज पर रखा जायगा पूरी तरह से समझ लेने के लिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) फैसले को पढ़ लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : The paper referred to shall be placed on the Table of the House

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : the Second point is, सम्माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करें कि मिनिस्टर साहब चेअरमैन थे, एक्स चेअरमैन जब मिनिस्टर भी नहीं थे और उनके किसी पार्टनर का नोमीनेषन पेपर रिजेक्ट हो गया तो इसमें क्या आफत हो गई ? कोई होंगे, इनके पार्टनर भी रहे होंगे ! इसकी सही स्टोरी क्या है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : (बनेड़ा) मैं समझ गया। देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य.......

अनेक माननीय सदस्य—नसरीबाद से !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा है, वह मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मैं नहीं चाहता था कि सब बातें क्लीअर कहूं। पर आप कहते हैं तो क्लीअर कहता हूं

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्यों नहीं कहना चाहते क्लीअर बातें। उन पर.......

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्तमन्त्री) माननीय सदस्य कोर्ट के फैसले की कापी रख रहे हैं, उसकी तफसील दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दे रहा हूं। मुझे टाइम दीजिये, मैं एक नहीं, चार

(उमरावसिंह ढाबरिया)

फैसले दे सकता हूं। एक मिसाल है वह मैं पेश करूंगा। श्री रामप्रसाद लढ्ढा ने फार्म भरा था म्यूनिसिपैलिटी.........

श्री उपाध्यक्ष : ordar please मैं माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कहना चाहता हूँ कि रूल्स के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि यदि कोई पर्सनल एलीगेशन्स लगाये जायं तो उसके पहले चेग्रर की बाकायदा इजाजत ली जाय। मैं देखता रहा हूं कि इस विषय में कुछ ढिलाई बरती गई है, इसलिए मैं सदन की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं समझता, कभी माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्यों पर बिना सूचना के आक्षेप लगाते हैं और कभी कुछ और बात हो सकती है। कारण हो सकते हैं, मैं मानता हूं और इसलिए रोष प्रगट किया जाता है लेकिन विधि-विधान है और उनके अनुकूल ही उसकी इजाजत दी जाय। इसलिए इस बात को सोचते हुए अग्रेतर बहस चलेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आसन को इस सम्बन्ध में जानकारी है कि कुछ लिख कर नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जनरल बात कह रहा हूं। इस विषय में जो बहस चले तो इस बात को ध्यान में रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में लिख कर दिया है? आपने ऑब्जर्वेशन्स दिये, उससे मतलब निकलता है कि लिख कर नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर क्या बात है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने पहले ही इसके बारे में लिख कर अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दी है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरु जब ए. आई. सी. सी. में पधारे थे तब उनका भाषण सुना था और चीफ मिनिस्टर ने भी घोषणा की कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उनका सार्वजनिक वहिष्कार करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था, डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म बिना करेक्टर के देश में नहीं आ सकता; करेक्टर पैदा होना लाजमी है हिन्दुस्तान के हर नागरिक में।

मैं कहना चाहता हूँ, बाद में इसमें हुआ क्या, इस बात को समझें। मैंने पहले फैसला पेश किया था। आज फिर पेश करता हूं कि उन्होंने अपने पार्टनर को, जिस वक्त में वे चेअरमैन थे म्यूनिसिपैलिटी के, म्यूनिसिपैलिटी की वकालत करने के लिए उनको म्यूनिसिपैलिटी का वकील बनाया और उसके बाद वे खुद बराबर चेअरमैन बने रहे। तीन साल के बाद जब म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, उस वक्त में उन्होंने नोमीनेशन पेपर खुद का दाखिल किया, राम प्रसाद लढ्ढा ने कि मैं इस म्यूनिसिपैलिटी का मेम्बर बनना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट ने इस बिना पर नोमीनेशन पेपर खारिज किया कि उनका इन्ट्रेस्ट था उस मेम्बर के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो म्यूनिसिपैलिटी में एक वकील की हैसियत रखता था और उसके पैसे में से इनको हिस्सा मिलता था, इसलिए नामीनेशन पेपर

(उमरावसिंह ढावरिया)

खारिज हुआ। यही बात नहीं, उप-मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) उप-मंत्री जी ?

श्री उमरावसिंह ढावरिया : उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे मिनिस्टर साहब सिर्फ इतना ही नहीं समझें, मैं और भी आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जैसा मुझे मालूम हुआ है कि जब वे यहां पर उप-मंत्री बन गये, जयपुर में रहने लग गये तो सिविल लाइन्स में फोन अलग था एज ए मिनिस्टर और भीलवाड़ा में वकालत के ऑफिस में भी उन्होंने फोन रखा एज ए एम. एल. ए, और उसका एक साल तक पैसा नहीं दिया। दोनों जगह उन्होंने पैसा लिया है। इसकी जांच करनी है तो पोस्ट एण्ड टेलीग्राफस डिपार्टमेन्टस से कर सकते हैं...........

श्री मथुरादास माथुर : (विधि-मंत्री) यहां का टेलीफोन है उसका पैसा राज्य सरकार ने दिया है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : किसी ने भी दिया हो...............

श्री मथुरादास माथुर : एक सदस्य एम. एल. ए. की हैसियत से टेलीफोन अपने घर में रख सकता है। सरकारी टेलीफोन सरकारी बंगले पर, सरकारी ऑफिस में हो सकता है। घर का सरकार ने पैसा दिया हो, उसकी जांच कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) -एम. एल. ए. के अलावा टेलीफोन सिटीजन भी रख सकता है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : टेलीफोन रख सकता है, इसमें दो राय नहीं है। मैं यह कहना चाहाता हूं कि सरकार को पैसा, जो टेलीफोन लगा हुआ है, इसका मिलना चाहिए। सरकार को वह पैसा इसलिए नहीं मिला कि वह एम. एल. ए. को हैसियत से रखा और यहां मिनिस्टर की हैसियत से रखा।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्तमंत्री) यह नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : आप इसकी जांच करिये।

श्री बालकृष्ण कौल : You can make a complaint. It is o question of privilege.

श्री उमरावसिंह ढावरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और रखना चाहता हूं, वह यह है कि अलॉटमेंट रूल्स के अनुसार अलॉटेड जमीन को बेचा नहीं जा सकता और जब यह ऑलटमेंट रूल्स में है तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह के हमारे हाउस में लोग हैं कि अलॉटेड जमीन को बेचा और इस प्रकार कानून का खंडन किया है, इस बात को सोचना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फाइल है, जिसमें दो कागज हैं, एक तो लॉ डिपार्टमेन्ट, राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी साहब

Page No.70

(उमरावसिंह ढाबरिया)

का है और दूसरा आपके एडवोकेट जनरल साहब का है। इसमें एक बात है कि भीलवाड़ा के अन्दर एक वकील महोदय हैं जिन्होंने सरकार से पैसा लिया, परन्तु सरकार के मुकद्दमें की पैरवी नहीं की है। उन्होंने उस पैरवी के लिए सरकार को बिल बना करके दिया और ऐसी हालत में दिया, जिस वक्त मुकद्दमा चल रहा था। एक तरफ वह कहता है कि मैं सरकार का वकील हूँ। और कोर्ट यह मानती है कि विरोधी का वकील है और पैसा लिया है................

एक माननीय सदस्य : नाम बता दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दलपत सिंह साहब चौधरी। आप डिटेल्स चाहें तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : दलपत सिंह है तो क्या करें ? उसको सजा हो जायगी।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : देखिये देखिये। दलपत सिंह इनका पार्टनर है। हारू मल वर्सेज सरकार, मुकद्मा नं० १६८ सन् १६५४। इसमें उधर वे वकील थे उस मामले में। उस मामले में यह केस चल रहा था तो एडवोकेट जनरल ने कहा उस वक्त, कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए वास्तव में सीरियस मामला है। लॉ डिपार्टमेंट ने यह चिट्ठी लिखी थी उनको जिन्होंने यह शिकायत की थी कि इसके अन्दर जो शिकायत भेजी गई है वह बिलकुल फिजूल है और केस नहीं बनता है। ये दोनों ऑफिसर्स सरकार के है, एक एडवोकेट जनरल हैं और दूसरे लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। आप चाहें तो मैं दोनों की कॉपी दू, कॉपी करके दूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जितना काम होना चाहिए वह करेक्टर के आधार पर होना चाहिए। वह इस तरह से किया जाना चाहिए कि जो सरकार में बैठे हैं इनके बारे में कोई आदमी कुछ नहीं कह सके। मैंने आपके सामने कुछ मिसालें रखी हैं।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर के मामले में इस हाउस में एक मामला रखा था। उसके बारे में मुख्य मन्त्री ने एक कमीशन बैठाया। हमारे यहां पर एक चिट्ठी आई। जब हमारे झाला साहब उनके पास इन्क्वायरी के लिए गये तो उनको एक बात कही गई मैं एक बात की जांच कर सकता हूं कि यह जमीन एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं, और बातों की इन्क्वायरी मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक लाख २५ हजार रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसलिए रखा है कि एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के लिए लैंड एक्वायर करना चाहते है, उसका मुआवजा दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं मुआवजे के इन मामलों में जांच होनी चाहिए, हमारे मुख्य मंत्री को उस कमीशन को कहना चाहिए था कि जितने मुद्दे उठाये गये हैं इन सब मुद्दों में जांच करें और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने दें तब मालूम होगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसमें तथ्य है या नहीं। वहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में पांच विरोधी सदस्य और कांग्रेस दल के नेता एक दिन उदयपुर चलें, मैं उनको एक एक बात बताने को तैयार हूं कि जो जवाब दिया गया था उसमें कितनी झूठी बातें बताई गई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उदयपुर छः दिन रह कर आया हूं और मैंने उदयपुर की एक एक इंच भूमि देखी है। इस बजट में लिखा है कि सलूम्बर की हवेली उसको ठीक करने के लिए ११ लाख रुपये खर्च किये जाने हैं जिस हवेली को देने के लिए सरकार ने ६।। लाख मुआवजा का पहले दिया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारा मामला ऐसा है जिसमें सही तरीके से जांच कराई जावे तो सारी बातें सामने आवेंगी। अगर आपका आइना साफ है तो साफ शक्ल दिखाई देगी और अगर उस कांच का मसाला नहीं है तो शक्ल साफ नजर नहीं आवेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकारी पैसे का सही उपयोग होना चाहिये। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही हैं कि मैं वहां की एक एक इंच जमीन देख कर आया हूं ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप एक एक इंच जमीन देख कर आये हैं तो ११ लाख रुपये सलूम्बर हाउस में खर्च हो रहे हैं तो आपको, सलूम्बर हाउस में मेडिकल कॉलेज का पार्ट है, उस पर कई लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज के एडिशन में जो खर्च हो रहा है वह भी उसमें आपको नजर आया या नहीं ?

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मैं आपके पास ही उदयपुर में ६ वर्ष तक रहा हूं। सलूम्बर हाउस के सामने ही आपका ऑफिस था। जब मैं आपसे मिलने के लिए जाता था तो वहीं आपके दफ्तर में बैठता तो सलूम्बर हाउस के सामने नजर आता था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेडिकल कॉलेज पर खर्च हो रहा है, उसकी बात भी आपके ध्यान में है या नहीं जो मैंने कही है ?

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : आप कहते हैं कि उसमें भी गलती नहीं है और मैं कहता हूं वह भी सही है। मगर मैं कहता हूं कि जब उनको ६ लाख ४६ हजार रुपये मुआवजे के दे दिये गये तो फिर उसको ठीक कराने के लिये रुपया देते हैं तो इससे क्या मतलब है ? उनको फिर यह लाभ क्यों दिया जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल गलत बात है, उसको ठीक कराने को That is part of the Medical College.

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने इसका मुआवजा दे दिया तो फिर इस पर आप क्यों खर्च कर रहे हैं ? इसकी आप जांच करावें कि इस बिल्डिंग के ६ लाख ४६ हजार रुपये उचित थे या नहीं, इसकी भी जांच करानी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहते हैं या नहीं ? आपको बहुत समय हो गया है। जो अधिक समय आप लेंगे वह आपकी पार्टी के समय में से लगेगा।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मेरी पार्टी के लोगों का लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Then I think you are absolutely responsible for your party.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह लड़ाई जैसी बात उन लोगों में है, हमारे में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे में तो नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप जो कुछ कहें मैं सुनने को तैयार हूं लेकिन मैं यह कहूंगा कि फालतू बातों में सदन का समय बरबाद करने में कोई सेन्स नहीं। आज तक मैंने जो बातें कही हैं वे रेकार्ड के आधार पर कही हैं। ४५ वर्षों का रेकार्ड रखता हूं। आप-जैसा नहीं कि ६ वर्षों से आकर बैठा हूं जो बात मैं कहता हूं उसको साबित करने को तैयार हूं। आप जो कहते हैं उसको साबित करने को तैयार हों, वरना जो बात मैं कहता हूं उसको साबित करने के लिये तैयार रहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम इस तरह नहीं हैं कि दूसरी पार्टी से जाकर मिल जावें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये शब्द श्री ज्वालाप्रसाद जी ने कहे कि दूसरी पार्टी से जा कर मिल जाए, वे इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि मैंने टिकट मांगा था या नहीं ? मैं कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने इतने काम किये कि जिनको मैं हाउस में नहीं कहना चाहता। और उनको वे कहलवाना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मेरे पर क्यों बरस पड़े।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : आप मन में कुछ मत रखिये। जो आपके मन में हो वे सब बता दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने तो मेरी खुशामद की थी ४ मार्च को। जब आपने मुझे अपने बंगले में बुला कर कहा था कि कांग्रेस के सदस्य बनो। मैंने कहा, नहीं।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कहना चाहता हूं कि एक बात सत्य है जिससे आप इन्कार नहीं करेंगे कि आप चुनावों में खड़े हुए उससे पहले कांग्रेस के सदस्य थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं बिल्कुल कांग्रेस का सदस्य नहीं था। ६२ में चुनाव हुए उस समय मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप कांग्रेस के सदस्य की तरह से बराबर बातें करते रहे जब कभी आप मेरे पास आये। उसके बाद जब बनेड़ा का डेप्यूटेशन आपके साथ आया और कहा कि यह टिकटों का झगड़ा था जिसमें तेजमल जी बापना को खड़ा किया उसके विरोध में उनसे झगड़ा है, आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आपके सामने दे कहने को आये थे। मैं कभी कहने

Page No.73

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को नहीं आया। आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आपके सामने वे कहने को आये थे। मैं कभी कहने को नहीं आया। ६ वर्ष की बात है वह तो हमारे यहां रूल्स ही ऐसे हैं। इसलिये खुशामद करने वाली बात और कहने की बात, इससे मेल नहीं खाती। तो ऐसी हालत में खुशामद करने का प्रश्न कब पैदा होता है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है वह बिलकुल गलत कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : साथ बनेड़ा का डेप्युटेशन आया था या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please. I shall not allow a debate which diverts from the main discussion.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो जब उन्होंने कहा तो उसका जवाब तो मुझे देना ही है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये अगर कोई अलग बात हो तो कह दीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चीफ मिनिस्टर यह कहते हैं कि यह टिकट का मामला था। मैं यह कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के डाक बंगले में वर्मा जी ने मुख्य मंत्री के सामने बुला कर पूछा था कि आपका क्या विचार है। उस समय मैं ने कहा कि मैं आपसे टिकट लेकर चुनाव लड़ना नहीं चाहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सरासर गलत है बनेड़ा और कोटड़ी की सारी पब्लिक आपके खिलाफ थी, वर्ना आपने तो टिकट पाने की कोशिश भी की थी....

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मॉडल) : टिकट लेने के लिये वर्षों बैठे...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

Don't take long. आपको ५ मिनट और बोलने के लिये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी चीफ मिनिस्टर ने एक क्लेरिफिकेशन किया है कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ सार्वजनिक वहिष्कार की कार्यवाही की जावे। मैंने बनेड़ा के बद्रीप्रसाद जी के लिये कहा कि उन्होंने कांग्रेस को गालियां दी इसलिये उनका टिकट कैंसल कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक के बाद दूसरा झूठ जोड़ते चले जा रहे है।

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह सही है।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी जो बातें यहाँ पर हुई हैं वे इस तरह की हुई हैं कि सदन की प्रतिष्ठा के लिये शोभनीय नहीं हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट के ताल्लुक के अलावा जो यह बातें अभी हुई हैं उनको एक्सपंज किया जावे।

(शोरगुल)

अभी मैं ६ दिन लगा दूंगा इसको डिस्कश करने में।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। इसमें जो वित्त मंत्री ने बात लिखी है कि आज कल शराब पीने और जूआ खेलने की आदत लोगों की हो गई है और हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि लोगों का चरित्र खराब हो रहा है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई जांच करें तो मालूम होगा कि इसका कारण क्या है और वह कारण यह है कि जब एक व्यक्ति काम करके ऊब जाता है और जब उसको पेट भर खाना नहीं मिलता तो वह ऐसे कार्य करता है जिसके लिये आपकी सरकार जिम्मेदार है। जो भी लोग खराब काम करते हैं उनको पेट भर के रोटी नहीं मिलती है। या जिनको कम तनख्वाह मिलती है। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। वह उनके काम करने और पेट भरने का प्रबन्ध करे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चोज जो जुआ खेलने की और भ्रष्टाचार करने की बात भाषण में कही गई है, इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप खुद देखें कि आप कितना भ्रष्टाचार करते हैं, पहले आप अपनी खुद की तरफ देखिये फिर दूसरों की तरफ ध्यान दीजिये।

मैं तो कहता हूं कि इस कुर्सी पर बैठ कर न्याय कीजिये, जिसके लिये कि आपने शपथ ली है। बिना पक्षपात के, बिना भेद-भाव के आप राजस्थान के हित के काम कीजिये, राजस्थान को आगे बढ़ाइये तभी बढ़ोत्तरी होगी, नहीं तो मैं कहना चाहता हूं सुखाड़िया साहब से कि आपकी उदयपुर में क्या हालत हुई म्युनिसिपल कौंसिल में और आपके साथ जितने लगे हुए हैं उनकी यही हालत होगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (कोटपुतली) माननीय उपाध्यक्षजी, फाइनेन्स मिनिस्टिर साहब ने यह जो बजट हाउस में पेश किया है यह तो जरूर है कि इस साल के बजट में कुछ न कुछ फायदा भी लोगों को हुआ लेकिन पिछले साल जितने टैक्स लगाये थे और उनसे लोगों को जितनी परेशानियां हुई थीं वे दूर नहीं हुई हैं।

श्री माननीय सदस्य : परेशानियां बढ़ रही हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनिये। यह सारी कमजोरी इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की और उधर बैठने

(मुक्तिलाल मोदी)

वाले माननीय सदस्यों की है। मैं यह मान कर चलता हूं कि जो जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से, जिस तहसील से खड़े होकर आते हैं वे उन कान्स्टीट्यूएन्सीज में सही माने में अपना काम नहीं निभाते। आज सारी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर, मिनिस्टरों पर सरकार के ऊपर डालते हैं और पुकार पुकार कर कहते हैं कि जो लोग सरकार के अन्दर बैठे हैं उनकी कमजोरी है, सरकारी मुलाजिमों की कमजोरी है लेकिन मैं कहता हूं, मैं आप लोगों के लिये नहीं कहूंगा, मैं अपने लिये कहता हूं, मेरे अन्दर इतनी कमजोरी है कि आपके जितने बजट पास होते हैं, स्कूलों के लिये हॉस्पिटल के लिये, इरिगेशन के लिये, सार्वजनिक कार्यों के लिये, बिजली के लिये, उनमें आप लोगों ने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया या यों मान लीजिये मैंने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया है, मैंने अपना कर्त्तव्य अदा नहीं किया है, इसलिये हम आप दूसरे लोगों के लिये कहते हैं कि सरकारी मुलाजिमों की गलती है, यह बात मैं जरूर मानता हूं कि सरकारी अधिकारियों की गलती है, उनकी कमजोरी है, पर जब अपने अन्दर कमजोरी होती है तो वे लोग गल्ती करते हैं, यदि अपने अन्दर कमजोरी नहीं हो तो उनकी हिम्मत नहीं कि वे लोग गल्ती कर सकें।

राजस्थान में शिक्षा बढ़ी है, पर मैं मानता हूं कि यह शिक्षा यहाँ पर अमेरिका के आधार पर बढ़ी है, न कि समाजवाद के आधार पर। समाजवाद में जैसा शिक्षा का आधार होना चाहिये वह यहां पर नहीं है.... -

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न... स्पष्ट कर दें।

एक माननीय सदस्य : नहीं, रूस का आधार बता दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस और दूसरे कॉम्युनिस्ट कन्ट्रीज हैं वहां जहां एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये वहाँ चार चार यूनिवर्सिटीज हो जाय, तो वह खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिये। हमारे यहां किताबों का राष्ट्रीयकरण होता है और इससे किताबों की इतनी अधिक कीमतें बढ़ा दी हैं कि लड़के इन सब किताबों को खरीद नहीं सकते, मेरे पास रोजाना लड़के आते हैं और यह शिकायत करते हैं। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय १५ रुपयों की किताबें आती थीं. आज १५० रुपयों की किताबें आती हैं। किताबों को नेशनलाइज करके ऊंची कीमत पर किताबें बेचते हैं, उसी से एजुकेशन चलता है। सरकार की तरफ से और और कामों के लिये इतना रुपया लोन दिया जाता है, इन्डस्ट्रीज खोलने के लिये, और तरह का धंधा खोलने के लिये, वहां मैंने कितनी ही बार जोर देकर सरकार से यह कहा है कि जिन किताबों को आपने नेशनलाइज किया है, इनको छपाने के लिये एक अच्छा प्रेस खड़ा करके इन्हें छपाइये। हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है, यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है इसलिये प्रेस खड़ा करके उसमें ये सब किताबें छपवा कर सस्ती कीमत में लड़कों को ये किताबें दे कर सस्ती शिक्षा दीजिये, इस तरह सस्ती शिक्षा देने का ध्येय राजस्थान सरकार का होना चाहिये, पर आज राजस्थान सरकार का यह ध्येय नहीं है। दूसरी इन्डस्ट्रीज को, दूसरे कान्सर्न्स को सरकार

...ा देती है, तो क्यों नहीं अपना प्रेस चला कर इन किताबों को छपवाती ?

गवर्नर साहब के भाषण में इसका जिक्र किया है, कि डिपार्टमेंटल वर्क सरकार करायेगी, पर मैं ८ साल से इस बात के लिये चिल्लाता आ रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल वर्क सरकार चलायेगी तो किसी आदमी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि पांच-पांच, छ-छ साल से वर्क पड़े हुए हैं, इरिगेशन के वर्क पड़े हुए हैं, इलैक्ट्रिसिटी के वर्क पड़े हुए हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के वर्क्स पड़े हुए हैं। आज राजस्थान में बेकारी की समस्या बड़ा भयंकर रूप धारण किये हुए हैं, इन्जीनियरों को नौकरी नहीं मिलती है। इलैक्ट्रिसिटी वालों को भी पहले जूनियर इन्जीनियर्स बनाने हैं, फिर सीनियर इन्जीनियर्स बनाते हैं। तो मेरी मान्यता है कि डिपार्टमेंटली काम जब तक आप नहीं करायेंगे तब तक यह समस्या इसी तरह बनी रहेगी और आपका विरोध होगा। फोरिन कन्ट्रीज में, रशिया में सारे काम डिपार्टमेंटेली ही होते हैं, ठेकेदारों से नहीं होते। गवर्नर साहब के भाषण में जिक्र किया गया है कि सरकार डिपार्टमेंटली काम करायेगी तो मैं यह चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंटली कार्य कराना शुरू करे।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी से घंटी बजा दी आपने।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं अभी तो संकेत किया है, तीन घंटियां बजेंगी। तीसरी घंटी पे आप बैठ जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो आप तीसरी घंटी २० मिनट बाद बजाना।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी यह भावना है कि अपन जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनको अलग मान कर नहीं चलता। हम २५०) रुपयों के बिल ड्रा करते हैं, सरकारी मुलाजिम भी २५०), ५००) या १०००) रुपयों के बिल ड्रा करते हैं। हम भी सरकार के पैसे को लेते हैं, मैं अलग नहीं मानता। डिपार्टमेंटल वर्क का प्रावधान गवर्नर साहब के भाषण में रखा था तो वित्त मंत्री महोदय को, सारी केबिनेट को चाहिये कि सारे काम डिपार्टमेंटली ही करवाये। और राजस्थान के अन्दर एक एक इस प्रकार का बहुत बड़ा स्टोर राजस्थान सरकार कायम करे कि टेन्डरों के द्वारा कोई भी चीज कभी खरीदनी ही नहीं पड़े। उस भाषण से कहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर से इन्डस्ट्रीज खोलेंगे, यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे, तो मैं यह चाहता हूं कि आज प्राईवेट पूंजीपत्तियों को लाइसेंस देते हैं, उनको लाइसेंस न देकर गवर्नमेंट को ही सारे काम करने चाहिये। हो सकता है, पहले पहले नुकसान हो गवर्नमेण्ट को ज्यादा से ज्यादा एक साल या दो साल या दो साल नुकसान हो सकता है। मैं यह जरूर मानता हूं कि अगर सरकार काम करेगी तो पहले नुकसान होगा।

तो नुकसान भले ही हो परन्तु आप लोग जितने भी हैं आपकी उस फैक्टरी के अन्दर ले लेंगे तो उनका विश्वास होगा कि हमको कोई निकाल नहीं सकेगा। जो बीमारियां रोजाना आती हैं वे नहीं आएंगी।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा): आपका मतलब है कि राज्य कर्मचारी २४ घंटे ही

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

काम करें ? लेबर एक्ट लागू है, उसके अनुसार ८ घंटे काम करते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वे दूसरी शिफ्ट करें, तीसरी शिफ्ट करें । मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि गवर्नर के भाषण में या बजट के भाषण में कोई भी चीज लिखें उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए । मैं इस चीज को नहीं मानता कि जो सरकारी मुलाजिम हैं वे कम हैं । आपकी नब्ज को देखकर ही उनकी नब्ज चलती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वे नब्ज देखते हैं या नसल ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : नब्ज देखते हैं ।

दूसरी बात यह है कि आप बजट के अन्दर जितने टैक्सेज़ लगाते हैं वे टैक्सेज एक ही व्यक्ति के ऊपर ४-५ जगहों पर होते हैं । जैसे मोटर वाले हैं उनको तीन-चार तरफ से टैक्स देने पड़ते हैं, वे परेशान हो जाते हैं । एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स वसूल होने चाहिए । इससे जनता को सुविधा मिलेगी । आप लोगों को टैक्स देने के लिए कोई मनाही नहीं करता है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

आज राजस्थान में कोआॅपरेटिव और क्रय-विक्रय संघ खुले हुए हैं । मुझे लोग कहते हैं क्योंकि मैं भी उसके अन्दर हूं । आज उसके अन्दर इतनी खराबियां हैं, हालांकि मैं भी उसका जो कंट्रोल का सामान है वह जरूर खाता हूं, पीता हूं । उससे बदनामी होती है सरकार की । माननीय उपाध्यक्ष, जो सरकार के अन्दर लोग बैठे हैं कन्ट्रोल का समान उनको मिलना चाहिए । जो कोआॅपरेटिव या विक्रय संघ के द्वारा वितरण होता है तो वह सारा का सारा काम गलत होता है और उनको जो रुपया दिया जाता है उसका भी पूरा उपयोग नहीं होता ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो यह सारा काम गलत हो रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, उस सम्बन्ध में बहुत सी आलोचनाएं हुई । मैं सोच रहा था कि वित्तमन्त्री महोदय जब बजट का भाषण दे रहे थे, तो बड़ा आकर्षण था, मैं उसको बहुत पसद कर रहा था और इतने अच्छे तरीके से मंत्री महोदय के बजट भाषण के बावजूद इतनी आलोचानाएं जब देखता हूं तो सोचना पड़ता है कि आखिर कारण क्या ? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया वाकई वह सुन्दर है, इसमें कोई शक नहीं है और उतना ही सुन्दर है जितना जयपुर शहर । हमारे हिन्दुस्तान के जितने भी बजट मंत्री हैं उन सबसे हमारे बजट मंत्री सुन्दर हैं । आज जिस प्रकार से जयपुर शहर का बाहरी ढांचा जब कोई भी बाहर से आने वाला देखता है तो सुन्दर लगता है, लेकिन

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज्यों ज्यों अन्दर जाते हैं तो जगह जगह पोल नजर आती है जैसे चांदपोल, किशनपोल। आगे देखते हैं तो चौपड़ छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़। दूसरी जगहों पर तो छोटी मोटी गल्तियां नजर आती है लेकिन यहां जब और आगे चलते हैं तो गलता नजर आता है। वैसे तो इसके अन्दर गल्तियों का भी शुमार नहीं। फिर मंत्री-महोदय की सुन्दरता का कोई पारावार नहीं। वे जैसे ऊपर से सुन्दर हैं उसी प्रकार से कुछ सुन्दर बातें भी उन्होंने अपने बजट भाषण में कह दी मैं उनकी सुन्दरता का नमूना यहां पेश करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किसका सौंदर्य देख लिया ?

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे सुन्दर हैं कि हिन्दुस्तान भर में नहीं होंगे। मंत्री-महोदय ने बड़े मार्के की बात कही है। पेज ३९ पर वे कहते हैं नाजायज फायदा उठा रहे हैं कौन ? जमीनों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनकी कमाई में से भी सरकार अगर कुछ हिस्सा ले ले तो वाजिब ही होगा। यानी लोग नाजायज कमाते हैं और उस नाजायज में से हम भी कुछ हिस्सा ले लें तो कोई नाजायज नहीं होगा, वाजिब होगा। कितने सुन्दर मंत्री हैं नाजायज करते है तो करने दो उनको इजाजत है, हम भी उसमें से अपना हिस्सा ले लें। वाह रे वाह सरकार मुझे तो ऐसी सरकार आज तक देखने को नहीं मिली।

दूसरा पेज न० ३६ पर देखें, क्या कहा है····

बिक्री कर वसूली के तरीकों में धीरे धीरे और सुधार किये जायें जिससे कि वसूली के तरीके आसान हो जायें और कर की चोरी भी कम की जा सके। कर की चोरी हुई उसको मान्य करते हैं कि हमारी तरफ से हम प्रयत्न करेंगे कि कम हो जाय यानी चोरी की छूट देना, दूसरों को नाजायज कमाने की छूट देना, उस नाजायज कमाई में से खुद भी मालिक बनने की बात कहना, कितनी सुन्दर बात है। जैसे मन्त्री हैं वैसा ही बजट का भाषण है।

अभी मैं कह रहा था कि बजट भाषण में कितनी सुन्दरता है। अन्दर जब हम जाते हैं तो पोल ही पोल नजर आती है। फिर भी कुछ प्रकाश डालना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बजट स्पष्ट हो। लगातार पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की आपत्तियों को देखा जाय जिनमें कहा गया है कि बजट एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में जो जमीन आसमान का फर्क है उसमें सुधार हो। आप लगातार ३–४ साल का बजट देख लें कि रिवाइज्ड एस्टीमेट्स और बजट एस्टीमेट्स इनमें ३-३, ४–४ करोड़ का फर्क रहता है; तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह बजट का कौनसा तरीका है ? मैं चाहता हूं कि वित्तमन्त्री महोदय को इस पर सोचना चाहिए।

दूसरा यह है कि इसके अतिरिक्त बजट में सिविल वर्क्स हैं। डेवलपमेंट और नोन-डेवलपमेंट और यहां तक कि इकोनोमिकल डेवलपमेंटल एक्स्पेंडीचर में भी हमने सिविल वर्क्स को ले लिया है। ३.३॥ करोड़ के सिविल वर्क्स है जिनमें पुलिस की बिल्डिंग बनाते हैं, कलेक्टोरेट बनाते हैं, या कोई इस प्रकार के खर्चे कि मिनिस्टरों के बंगलों में सुधार होता है, मुख्यमंत्री जी का बंगला अच्छा किया जाता है, लाखों रुपया उसमें

(श्री मुरलीधर व्यास)

लगाते हैं और बंगले बनाते हैं, सिविल वर्क्स को डेवलपमेंट और इकोनोमिकल डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर बता देना, यह बिल्कुल एक अनैतिक काम है, हमारी आंखों में धूल झोंकना है। आप बतायें ऊपर से तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है और उसके अन्दर करोडों का नोन डेवलपमेंट, सिविल वर्क्स का खर्चा मांड दें तो यह उचित नहीं है और हमारी आंखों में धूल झोंकने की जो परम्परा है आपकी, उसको बन्द करना चाहिये।

तीसरी बात मैं कहना हूं चाहता वह यह है कि बजट आखिर होता है, हमारे मंत्री महोदय कुर्सियों पर बैठे रहें और उसकी रक्षा करते रहें, उसके लिए नहीं होता है। बजट होता है जनता के विकास के लिए, पब्लिक फाइनेन्स के लिए। उसमें सार्वजनिक हित का दृष्टिकोण होता है। उस हिसाब से चलते हैं तो-हम समझते हैं कि वाकई पब्लिक फाइनेन्स की तरफ चल रहे हैं और समाजवाद के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा यह बजट भुवनेश्वर की तरफ है, समाजवाद की तरफ है। मैं कहता हूं कि उसकी तरफ यह नहीं है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर, बजट स्टडी में जो कहा गया है उसके अनुसार भी नोट कर लीजिये।

मैं आपको बताऊं सन् १९६१-६२ में हमारी पर-केपिटा इन्कम २५२ थी और बेस माना है ५५-५६ को। २५२ पर-केपिटा इन्कम हमारी है। उसके बाद में ६१-६२ में जो इन्डेक्स नम्बर सरकार ने खुद ने माने हैं, बजट स्टडी में देख सकते हैं, वह दिये हैं १२५)। १२५-६२ में इन्डेक्स नम्बर हमारे हैं और उसके साथ साथ पर केपिटा इन्कम २५२) और १९६२ के बाद में मंत्री महोदय इसको भी मान्य करते हैं कि तीन साल के अन्दर हमारी पर-केपिटा इन्कम गिरी है। इससे अन्दाज स्पष्ट होता है कि पर-केपिटा इन्कम हमारी गिरी है। गिरने के साथ जो १९६२ में इन्डेक्स नम्बर था वह १२५ माना है, वित्त मंत्रीजी ने भाषण में कहा कि ६३ में वह १४५ हो गया है। २० पोइन्ट ज्यादा हो गया। २० पोइन्ट-तो इधर ज्यादा हो गये और इसके साथ साथ आपके भुवनेश्वर में समाजवाद के रास्ते पर चलने के प्रण को, पेज ७ पर डाइरेक्ट और इन्डाइरक्ट टैक्स का जो इन्डेक्स दिया हुआ है, आपने कहां तक इसमें प्रकट करने की चेष्टा की है वह मैं सामने रखना चाहता हूं। टैक्सों का इन्डैक्स यह बताता है कि तीन वर्षों में इनडाइरेक्ट टैक्स बढ़ते गये हैं। और डाइरेक्ट टैक्स की क्या स्थिति रही? यह समाजवाद जांचने का तरीका है। आपने गरीब पर भार बढ़ाया है टैक्स का या अमीर पर बढ़ाया है? समाजवाद में अमीर पर टैक्स का भार बढ़ाकर गरीब पर कम किया जाता है। यह है समाजवाद की कसौटी। गरीब पर टैक्स का भार कम होता है तो समाजवाद होता है। पेज ७ पर दिखायी गई है डाइरेक्ट टैक्स और इन्डाइरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। १९६२-६३ में डाइरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ४०२ और इन्डाइरेक्ट टैक्स रेवेन्यू २६५)। १९६३-६४ में इनडाइरेक्ट टैक्स २६५ से बढ़कर ३२८ हो गया और जो डाइरेक्ट टैक्स ४०२ था वह ४०६ ही रहा। वहां तो ४ ही बढ़े हैं। केपिटलिस्ट्स, पूंजी पति डाइरेक्ट टैक्स में आते हैं और इनडाइरेक्ट टैक्स जो गरीबों पर लगता है वह बढ़ा है ६३ परसेन्ट। यह तो उस साल में हुआ।

Page No.80

(श्री मुरलीधर व्यास)

नये साल के समाजवादी टैक्स के प्रोपोजल्स को देखिये। उसके आंकड़े दिये हुए हैं। वे ४०६ से ४१० हुए। और इन्डाइरेक्ट के देख लीजिये ३२८ से बढ़कर ३४६ हो गये। वहां ४ पोइन्ट बढ़े और इधर १८ पोइन्ट बढ़ गये। यह भी देख लीजिये कि कितना बड़ा भारी अन्तर है? तीन वर्षों में जहां ४०२ से लेकर ४१० तक यानि ८ पोइन्ट डाइरेक्ट टैक्स बढ़े हैं वहां इन्डाइरेक्ट टैक्स २६५ से ३४६ हो गये, ८१ परसेन्ट बढ़ गये। यह है आपका समाजवाद। यह है भुवनेश्वर के बाद का समाजवाद का आपका रूप। आप कहते हैं कि भुवनेश्वर के रास्ते का बजट है, मैं कहता हूँ कि यह बिल्कुल सरासर धोखा है। यह गलत है। आप आज भी भुवनेश्वर के रास्ते पर नहीं हैं और न जा सकते हैं। आपने अपने आंकड़ों से ही यह प्रमाणित कर दिया है।

एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। टैक्सेज के मामले में मेरा सरकार से निवेदन है कि स्टेट के लिए एक स्टेट टैक्स इन्क्वायरी कमेटी बिठायी जाय। वह इस बात की जांच करे कि आपके टैक्स दिनों दिन गरीबों पर बढ़ते जा रहे, हैं या अमीरों पर। आपके जवाब से कोई मतलब निकलेगा नहीं। मेरी मांग है कि समाजवाद के रास्ते पर चलने के लिये आप कमिट हो गये हैं, तो आप जांच करायेंगे कि समाजवाद के रास्ते पर चलने के लिए आपने डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ाये हैं या इन्डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ाये हैं आप इसके लिए एक स्टेट इन्क्वायरी कमेटी बिठायें जो कि इसकी जांच करे। वैसे आपके फीगर्स ही यह बता रहे हैं कि आप समाजवाद के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं।

मेरी एक और अर्ज है। यह जो आपके एक्स्पेन्डीचर के आंकड़े हैं, इकोनोमिक डेवलपमेंट एक्स्पेन्डीचर के आंकड़े हैं, आपको इनको बजट में साफ रूप से दिखाना चाहिये कि आपका इतना तो एक्स्पेन्डीचर पर खर्चा होता है, इतना डेवलपमेंट पर होता है। आपको क्लीयर बताना चाहिये, अलग अलग रूप में बताना चाहिये कि कितने आपके कर्मचारी हैं, क्या क्या बातें हैं। आपको बताना चाहिये था यह सब क्लीयर रूप से। आपने तो अन्दाजा दे दिया, अन्दाजिया आंकड़े बता दिये। मैं समझता कि यह गलत परिपाटी है। मैं मांग करता हूँ, अगर आप समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहते है तो आपको इसके लिए एक हाई पावर कमीशन बिठाना चाहिये जो जांच करे इस बात की कि जिस दिशामें आप जा रहे हैं, वह समाजवाद की दिशा में आपको ले जा रही है या नहीं।

यह तो मैंने आर्थिक स्थित के बारे में कहा। समाजवाद पर नहीं।

तीसरी बात जो मै अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि वित्तमन्त्री महोदय ने सही माने में राजस्थान की आर्थिक, भौगोलिक और राजनैनिक स्थिति का विश्लेषण अपने बजट भाषण में किया है, एक अच्छे ढंग से किया है। परन्तु उन्होंने इसके अन्दर उसके लिए हल नहीं रखा है। आखिर वित्तमन्त्री कुर्सी पर केवल आंकड़े दे देने मात्र के लिए नहीं है। राज्य का यह बजट है और आंकड़े रख दिये, स्थिति रख दी इसी के लिए केवल वे नहीं हैं। जब समस्या रखते हैं तो उसका समाधान भी होना चाहिये। किस प्रकार उस समस्या का हल होगा यह बजट भाषण में

(श्री मुरलीधर व्यास

किसी भी प्रकार से नहीं बताया गया है। कहीं पर भी नहीं है।

मंत्री महोदय ने कहा हमारे देश पर बाहरी आक्रमण के कारण हालत खराब हुई है और साथ ही साथ यह भी उन्होंने कह दिया कि हमारे पड़ोसी मित्र जिनके साथ हम लगे हुए हैं वे भी इसका नाजायज फायदा उठाकर हमको परेशान करते हैं। हमारी हिम्मत पस्त हो रही है। इस तरह की आपने बात कही। बात तो कह दी, लेकिन आपने इसके लिए कोई निदान नहीं बताया, हल नहीं बताया। हिन्दुस्थान पाकिस्तान बोर्डर पर कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी सिपाही या लुटेरे हाथों में संगीनें लेकर राजस्थान के अन्दर सीमा में १६ मील अंदर आ गए और अन्दर आ जाने के बाद एक गांव को लूट लिया और लूट लेने के बाद वे वापिस पाकिस्तान की सीमा में चले गए। पाकिस्तान के सिपाही, लुटेरे हमारी सीमा में १६ मील आ जाय और हम कहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाकर हमको धोखा दे रहा है और इस प्रकार से बुरा रवैया कर रहा है, उसके बावजूद भी आप जागरुक नहीं हैं।

यह स्थिति आज हमारे यहां की सीमा की है, आपने सीमा की हिफाजत के लिये क्या किया है? दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रोड्स बना ली हैं, चौकियां बना ली हैं, सारा प्रबन्ध कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी सीमा पर कान्ड हुआ था कि पाकिस्तानी लुटेरे हमारी सीमा में बीस मील तक घुस आये और वहां से लूटपाट कर चले गये। आज जिस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनता जा रहा है उससे यह अन्दाज नहीं लगा सकते कि कब हमारी सीमा पर हमला हो जाय, राज्य सरकार ने भी इसको माना है। क्या आपने अपने यहां की स्थिति की जानकारी भारत सरकार को दी है? हमें भारत सरकार को कह देना चाहिये कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए हम सीमा के मामले में चुप नहीं बैठ सकते। आगे चलकर कुछ हो गया तो उसके लिये हम जिम्मेवार न होंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्तमन्त्री) तो आपका क्या यह मतलब है कि इस फाइनेन्स बिल में इसकी व्याख्या होनी चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं अपनी सीमा की रक्षा के लिये?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंह नगर) जब केनेडी की व्याख्या हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल : उतना संकेत तो इसमें कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : दुश्मन का जिस प्रकार का रवैया हो रहा है उसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए आप उसके लिय क्या प्रबन्ध कर रहे हैं, वह तो इसमें होना चाहिये। आप कोई बात उठा देते हैं और उसका समाधान या हल प्रस्तुत नहीं करते तो यह न्याय संगत नहीं है।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज इन्डेक्स नम्बर बढ़ता जा रहा है। क्या आपने उसका समाधान किया है? सरकार द्वारा- वक्तव्य दे दिये जाते हैं, चाहे उसमें तथ्य हो या न हो हमारे सदन के सामने भी इस प्रकार के वक्तव्य दे दिये जाते हैं। कृषि मंत्री जी ने सितम्बर महीने सत्र में

(श्री बालकृष्ण कौल)

जब इन भावों के बढ़ने का जिक्र आया था उस समय वक्तव्य दिया था, जो कितना गुमराह करने वाला था कितनी गुमराह राज्य सरकार करती रही है और जनता को और सदन को किस प्रकार धोखा देती रही है, वह मैं उसके वक्तव्य से आपके सामने तथ्य पेश करूंगा।

(विराम)

कृषि मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो बैठे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अनाज के भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने उस वक्त उसको माना नहीं सरकार सोती रही और भाव बढ़ते गये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार सोयी ही नहीं, बल्कि सरकार सदन को और जनता को धोखा देती रही गुमराह करती रही है और गलत जवाब देती रही है। उस दिन जब इस भाव बढ़ने के बारे में विचार चला तो कृषि मंत्रीजी, नाथूराम-जी जवाब देते हैं जो पेज ६० पर है सितम्बर ६३ की प्रोसीडिंग में, उसको आप पढ़ लें। मन्त्री महदोय कहते हैं खाद्यान्न वस्तुओं के भावों को बढ़ने से रोकने के लिये राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की, जिसमें कुछ व्यापारी वर्ग के और दो अन्य मोतबिर आदमी सम्मिलित हैं एक बिजिलेन्स कमेटी कायम कर दी है। बिजिलेन्स कमेटी कायम कर दी भावों को रोकने के लिये। यह कमेटी समय समय पर अपनी बात को बताती है ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information Sir, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस मंत्री ने उत्तर में कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब मंहगाई के बढ़ने के सम्बन्ध में डिस्कशन चला था कि उसको रोकने का सरकार क्या उपाय कर रही है, तो इस बारे में कृषि मंत्री महोदय सदन में फरमाते हैं कि मंहगाई कोई नहीं बढ़ रही है।

श्री मथुरादास माथुर : आप जिस बिजिलेन्स कमेटी का जिक्र कर रहे हैं वह कमेटी इमर्जेन्सी के समय में बनी थी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सितम्बर ६३ में आप कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उस समय जब कि चीन का हमला हुआ था उस समय ऐसी आशा थी कि मंहगाई बढ़ने का ट्रेन्ड है तो उसको देखने के लिये बिजिलेन्स कमेटी कायम हुई थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो वह महीने दो महीने के लिये ही थी क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह कृषि मन्त्रीजी का जवाब है सितम्बर ६३ का। आगे कहते हैं कि यह कमेटी समय समय पर बैठक बुला कर भावों का रुख अध्ययन करती है और उनको बढ़ने से रोकने के लिये सुझाव देती है। यह हमारे कृषि मन्त्री महोदय का वक्तव्य था। उस समय सब लोग चिल्ला रहे थे। उसके लिये कहा गया कि आप तो केवल बकवास करते हैं, आपके इस प्रकार कहने में कोई सार नहीं है, आपने बेलेन्स खो दिया है; हमारे पर इस प्रकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

के आरोप लगाये गये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उस समय आपने सदन को धोखा दिया और सदन को गुमराह करने की चेष्टा आपके कृषि मन्त्री द्वारा की गई आप कहां तक पहुँच गये हैं इसलिये मैं आपसे मांग करूंगा, कृषि मन्त्री महोदय बैठे नहीं हैं, नैतिकता के नाते मांग करूंगा कि वे कृषि मंत्रीके पद पर बैठने लायक नहीं हैं। जो इस प्रकार के वक्तव्य देता है और उसके चार महीने बाद स्थिति यहां तक पहुँच जाती है उसके लिये वे जिम्मेवार हैं सदन को उन्होंने धोखा दिया है; इसलिये उनको कृषि मन्त्री पद छोड़ देना चाहिये और अपना सरकार से त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप यह कह रहे हैं कि कृषि मंत्री ने धोखा दिया, सदन को गुमराह किया, यह बात बिल्कुल गलत है। यह ठीक है कि विजीलेन्स कमेटी कायम की गई थी। ये कमेटियां जब देश में इमरजेन्सी लागू हुई थी उस समय कायम की गई थीं। आज जो फैमीन की स्थिति है और जो भाव बढ़ रहे हैं उनका उस विजीलेन्स कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर यह कहना कि सदन को धोखा दिया गया है, प्राईसेज बढ़े नहीं है, यह कहना गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कृषि मंत्री महोदय ने तो पहले मिसलीड किया ही है, लेकिन योजना मंत्री उससे भी अधिक अब मिसलीड कर रहे हैं। उस समय कृषि मंत्री महोदय नें चार्ट रखा था, उस चार्ट के अन्दर बाकायदा कीमतें कोट की थी। आप कहते हैं कि वह कमेटी भावों को रोकने के लिये नहीं थी। उसका चार्ट मौजूद है जो सदन की मेज पर रखा गया है, जिसके बारे में पहले बोलने वालों ने भी जिक्र किया है। क्या वह विजीलेन्स कमेटी कुछ दिनों के लिये ही बनी थी जो अब बन्द कर दी गई?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जैसा कि निवेदन किया इमरजेन्सी के एक महीने के बाद ही इस प्रकार की विजीलेन्स कमेटी बनी थी। उन कमेटियों ने काम भी किया, उसमे ट्रेड के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी थे उस समय ट्रेड वालों का सहयोग था, अब ट्रेड वालों का रुख दूसरा है।

श्रीमुरलीधर व्यास : ६ सितम्बर, १९६३ को जबकि अनाज के भाव बढ़ रहे थे उस समय स्पेसिफिक तौर पर इस बारे में सदन में बहस हुई थी। यह चार महीने पहले की बात है। उसमें कहा गया है कि भावों को बढ़ने देने से रोकने के लिये विजीलेन्स कमेटी कायम की है। आपने इस तरह से सदन को धोखा दिया है और गुमराह किया है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप यह मानते हैं कि नहीं कि भाव बढ़े या नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप प्राइसेज को बढने से रोकने में असफल रहे हैं। उस समय जो विजीलेन्स कमेटी बनायी थी वह बोगस थी या झख मारती रही?

श्री मथुरादास माथुर : झख मारती रही या मराती रही, इसमें तो जाना मैं

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं चाहता। यह जो बात कही गई कि धोखा दिया गया मदन को यह ठीक नहीं है। विजीलेन्स कमेटी इमरजेन्सी के समय में कायम हुई थी, उसका काम था कि वह देखे कि भाव बढ़ तो नहीं रहे हैं और बढ़ते नजर आयें तो राज्य सरकार को सुझाव दे।

श्री केसरीसिंह (पाली) : क्या विजीलेन्स कमेटी ने काम करना बन्द कर दिया है ? अगर किया है तो कब किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त बन्द नहीं की गई थी ? अपने आप बन्द हो गई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो क्या आपके ख्याल से इमरजेन्सी खत्म हो गई। अगर विजीलेन्स कमेटी बन्द हो गई है तो वह किसके आदेश से बन्द हुई। जब आप मानते हैं कि इमरजेन्सी है तो विजीलेन्स कमेटी क्यों कायम नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ट्रेडर्स ने जिस समय इमरजेन्सी का सवाल था, वादा किया था कि कीमतें नहीं बढ़ावेंगे इमरजेन्सी के नाम पर। उस समय विजीलेन्स कमेटी कायम हुई थी। जहां तक कीमतों के बढ़ने का सवाल है वह इमरजेन्सी के कारण नहीं बढ़ी है। डिप्रेसन आया है उस समय कीमतें घटी भी हैं मैं आपको बताऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इन चार महीनों में बीस परसेन्ट से भी ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं और हमारे योजना मन्त्री जी कहते हैं कि कीमतें घटी भी हैं। यदि योजना बनाने वालों का यह हाल है तो उनको चाहिये कि चुल्लू भर पानी में डूब मरें।

मैं अर्ज कर रहा था उस समय हाउस को गुमराह किया गया। उस समय कृषि मन्त्री महोदय ने यह भी कहा था कि अनाज के भाव बढ़ने जा रहे हैं इसलिये इनकी निकासी रोकी जाय। उस समय कृषि मंत्री महोदय ने इस बारे में आश्वासन भी दिया था। उसके बाद गवर्नर के अभिभाषण पर बोलते हुए भी यह कहा था कि हम खाद्यान्न की स्थिति पर काबू कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उस चीज को अभी कुछ ही समय गुजरा है, हमारे सुरतगढ़ फार्म से ५० हजार मन अनाज ७५ रुपया क्विन्टल के हिसाब से बेचा गया और व्यापारियों द्वारा वह खरीदा गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने उस पर कब्जा क्यों नहीं किया ?

(१२·०० मध्यान्ह)

क्यों नहीं वह जनता में वितरित किया? अब भी आप धोखे में रखना चाहते हैं जनता को। आप पता लगा लीजिये। ७५) रु० क्विन्टल के भाव से आपका सूरतगढ़ फार्म का गेहूं लोगों ने खरीदा। आप आज भी सोये हुए हैं।

आज आपकी गायें चारे के अभाव में मर रही हैं। उनको आप आज सिर्फ एक एक कुड़ची भर पक्की गवार खाने को एक एक गाय को दे रहे हैं। आज आपकी इस एक कुड़ची भर ग्वार से क्या आप समझते हैं कि उन मरती हुई गायों को बचा लेंगे। एक तरफ तो आप उनको एक २ कुड़ची भर कर ग्वार दे रहे हैं, दूसरी तरफ पूंजीपति लोगों को लाखों—हजारों मन के परमिट बाहर के

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाने के लिए दे रहे हैं ये हमारे कृषी मंत्री जी। वे उस ग्वार को ग्रहमदाबाद ग्रौर दूसरे शहरों को भेज रहे हैं। यह क्या ग्रच्छी बात है ? ग्रकाल की ग्रौर गायों की इस बुरी हालत को बताने के बाद ग्राप यह कर रहे हैं ? ग्रापने यह काले काम किये हैं। ग्राप क्या जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ग्रब भी ग्राप जागरूक रहिये। हमारे राज्य पर ग्राज बहुत बड़ा संकट है, ग्रौर इससे भी बड़ा संकट ग्राने वाला है। वह सकट है प्रोडक्शन के गिरने का।

ग्राप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं। में कहना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर के इलाके में घग्घर की बात चल रही है, जिसकी चर्चा बराबर यहां भी ग्रौर बाहर भी चल रही है। जिस प्रकार का ग्राज पंजाब के मन्त्री लोग हमारे साथ बिलकुल ऐसा खिलवाड़ कर रहे है, जो बढ़ा भारी सवाल बन कर हमारे सामने ग्रा गया है। जिस तरह से वे हमारी बोर्डर के ऊपर एक डैम बना कर सारे पानी को घग्घर में डालना चाहते हैं ग्रौर इसके लिये इंतजाम कर रहे हैं, जिस प्रकार की वे सारी इसके बारे में ग्राज व्यवस्था कर रहे हैं उससे ग्राशंकित हो कर मैं ग्रापको फिर चेतावनी देता हूं कि ग्राने वाले वर्षा काल में, ग्रापके कृषि मंत्री कुछ भी कहते रहें, ग्राप यह नोट करलें कि ग्रापका हनुमानगढ़ बह जावेगा, ग्रापका यह सूरतगढ़ का फार्म बह जावेगा, ग्रौर ग्राज जैसी स्थिति है उससे कहीं ग्रधिक बदतर हालत हो जावेगी जिसका ग्रापसे फिर कोई इलाज सम्भव नहीं हो सकेगा। हमारी माली हालत गिर जावेगी। हमारा प्रोडक्शन गिर जावेगा। जैसे ग्रास पास के गांवों में ग्रभी गोलियां चल गई; एक दूसरे ग्रुप के बीच में, उसी तरह से इस मामले में भी पानी को इधर उधर डालने में वहां के लोगों में ग्रापस में गोलियां चल जावेगी ग्रौर ग्रापस में गोलियां खाकर मर जावेंगे। इसलिये मांग करता हू कि समय रहते ग्राप सावधान हो जाइये। केन्द्रीय सरकार को ग्राप नोटिस दे दें या सूचना दे दें कि ग्राप बीच में पड़ कर इस मामले को ठीक करें। नहीं तो ग्राज जिस तरह से कैरो साहब ग्रौर वहां से सिचाई मंत्री रणजीत सिह जी ग्रपने रोहतक के इलाके को बचाने के लिये कुरुक्षेत्र के पानी को ग्रपनी जो उनकी तरफ लाइन जाती थी उससे निकाल कर हमारे घग्घर में डाल रहे हैं ग्रौर ग्रपने क्षेत्र को बचा रहे हैं ग्रौर राजस्थान को डुबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका वह सारा काम पूरा हो चुका है ग्रौर उन्होंने कह भी दिया है साफ साफ कि हम इसमें किसी की नहीं मानेंगे। तो वह पानी तो ग्राने को है ग्रौर जिस दिन वह ग्रा जावेगा उस दिन इस घग्घर पर जो ग्रापने पंसा लगाया है वह तो बह जावेगा, इसके साथ २ हमारा हनुमानगढ़ ग्रौर सूरतगढ़ ग्रौर उसके ग्रास पास की लाखों एकड़ जमीन भी बरबाद हो जावेगी। कोई फसल इस इलाके में पैदा नहीं होगी। इसलिए सरकार को खुला नोटिस दे देना चाहिये कैरो साहब को उनको भी कह देना चाहिये कि राजस्थान के साथ ग्रगर ग्रापने यह सलूक किया तो राजस्थान नहर के पानी को भी हम बराबर रोक कर ग्रापके पंजाब की तरफ छोड़ देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : I may inform the House that the State Government have protested to the

Page No.86

(श्री मथुरादास माथुर)

Government of India and to the Government of Punjab.

(श्री मुरलीधर व्यास के कुछ कहने पर)

श्री मथुरादास माथुर : नोटिस है भाई ।

(श्री मुरलीधर व्यास से)

श्री उपाध्यक्ष : आपको काफी समय हो गया है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे भाषण के बीच काफी टोका गया है और काफी समय मेरा इसमें चला गया है । मन्त्री महोदय ने बीच में बहुत टोका है इसलिए इतना समय नहीं गिना जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आपने जिस तरह पार्टी की तरफ से सकेत किया है उसको ध्यान में रखना चाहें तो अपने को सीमित रक्खें, ताकि तीनों बोल सकें । नहीं तो जो समय अधिक होगा, वह वहीं से कट जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो उतना ही लूंगा, पर बीच में डिस्टर्ब करने से जो समय गया है, वह आप न गिनें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिस्टर्बेन्स तो सब जगह होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : (श्री मथुरा दास माथुर से) आप बाद में जवाब दे दीजियेगा । मेरी बातों को बीच में अभी न टोकें ।

श्री मथुरादास माथुर - पर बीच में भी जहां जरूरत होती है कहना ही पड़ता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । फिर भी थोडे में एक पॉलिसी मैटर पर कह देना चाहता हूं ।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट में हम समाजवाद को अपनावेंगे और बिचौलियों को हटावेंगे । वह तो उनका भाषण था । पर मैं वित्तमंत्रीजी से कहता हूं कि आपने भी सुना था या नहीं ? अगर सुना और आप सरकार की पॉलिसी के बनाने में शामिल थे तो आपने अपने बजट में, अपने बजट भाषण में कौनसा प्रोपोजल रक्खा कि आप बिचौलियों को हटाकर जो आमदनी बढ़ेगी वह राज्य के खजाने में देंगे । आपने ऐसा कौनसा प्रोपोजल रखा, आप बता दें ? मुझे तो आपकी सारी स्पीच में कहीं मिला नहीं ऐसा प्रोपोजल । गवर्नर का एड्रेस पॉलिसी मैटर पर होता है, उसे कैरी आउट करना वित्तमन्त्री का और सरकार का काम होता है । तो आपने कोई प्रोपजल नहीं रखा और राज्यपाल महोदय ने पॉलिसी रखी तो इस प्रकार परस्पर विरोधी बात है । आपका ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है ।

चौथी बात, सरकार ने अपनी व्यवस्था को कितना सुधारा इसके बारे में कहना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी पेंशन का मामला आपने रखा उसमें आपने काफी उदारता बताई और इसमें आप

(श्री मुरलीधर व्यास)

इतने उदार हो गये कि अगर एक साल की सर्विस करके भी किसी की मृत्यु हो जाय तो उसके परिवार को भी आप फेमिली पेंशन देने को तैयार हो गये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जब एक साल वाले को भी ....

एक माननीय सदस्य : क्या आप इसके विरूद्ध हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप सब्र रखिये, मुझे पूरा सुनिये।

आप जब एक साल वाले को भी पेंशन देने को तैयार हैं तो जो अप्रेल ६४ के पहले आ की सर्विस में २५, ३० या चालीस साल रह गये या उससे भी पहले वाले वंचित हो गये तो उनमें भी जो एक साल से ऊपर की सर्विस करने के बाद मर गये उन पुराने मामलों के लिये भी उदार क्यों नहीं होते ? आपने यह भी कहा है कि यह बहुत पहले कर देना चाहिये था और यह कह कर आपने गलती महसूस की, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें पीछे वालों को भी आप जोड़िये कि इतने साल पीछे वालों को भी यह लाभ मिलेगा। नहीं तो उनके साथ अन्याय होगा इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूँ। तीसरी बात,.......

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपके इस सुझाव को समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का अर्थ साफ है। जहां आप १९६४ की अप्रेल से लागू कर रहे हैं कि एक साल की सर्विस करके कोई मर गया तो उसको भी उसके पीछे उसके आश्रित को आप पेंशन दे देंगे। तो मैं कह रहा था कि ६४ से ही क्यों यह लागू करना चाहते है आप, पहले से क्यों नहीं ?

इसका दूसरा पहलू भी है। एक ओर ऐसे भी लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत है और आश्रित भी किन्हीं के नहीं हैं तो क्या उन पर भी यही दृष्टिकोण रहेगा। इस मामले में आपको दृष्टिकोण बदलना चाहिये। एक पिछड़ा वर्ग है और दूसरा समृद्ध वर्ग।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम आप पांच साल पहले के भी ऐसे केसों पर कन्सीडर करिये, नहीं तो उनके साथ तो अन्याय होगा।

दूसरा जो ओल्ड एज पेन्शन का सवाल है, टैक्स प्रोपोजल्स हैं, इन्डस्ट्रियल पॉलिसी हैं, इनमें इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

पलाना जिप्सम और खाद के कारखाने के सम्बन्ध में मेरी अर्ज है कि पलाना के बारे में हर बजट के अवसर पर चर्चा होती है इस बार इस स्पीच में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस बारे में आप जैसा डेवलपमेन्ट इसमें चाहते थे, और जैसा आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं हो रहा है, आज उसकी प्रगति अवरुद्ध है। इस पर आप अवश्य रोशनी डालें।

इसके अलावा बाल बोर्ड का कारखाना है। आपने उसके लिये पहले कहा था। आप एक बार एक बात कह देते हैं, फिर आगे उसका कोई समाधान नहीं होता। इसकी फोरिन कन्ट्री से बहुत डिमान्ड है और यह

(मुरलीधर व्यास)

जिप्सम के बचे हुए स्टॉक से तैयार होता हैं। वह बात आपने कही थी, पर अब समाप्त हो गई लगती है। इसका जवाब और जिक्र ही नहीं है। मन्त्री महोदय इसके बारे में भी निवेदन करें।

खाद के कारखाने के सम्बन्ध में जैमा कहा गया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कारखाना हनुमानगढ़ और बीकानेर के अतिरिक्त कहीं बाहर जाना नहीं चाहिये। इसको अगर आप उदयपुर या कहीं और जगह ले जाते हैं तो बीकानेर डिवीजन की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसका राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा क्योंकि और जगह इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जैसा वित्त मन्त्री जी ने भी कहा है कि कुछ क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग चल रहें हैं। तो सभी बड़े बड़े उद्योग उनमें नहीं होने चाहिये। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि उन्हीं में सारे के सारे बड़े बड़े उद्योग फिर न चले जावें। खबरदार रहिये। इसलिये आप से भी अर्ज करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हू।

श्रीमती गौरी पूनिया : (डेगाना) उपाध्यक्ष महोदय, १९६४–६५ का जो बजट हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसक सामान्य स्वागत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्भवतः यह पहला ही अवसर है कि बजट बनाने से पहले सामान्य जनता की स्थिति को समझने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए इस बजट के लिए मैं माननीय वित्तमन्त्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

इस बजट में वृद्धावस्था की पेन्शन और कर्मचारियों को जो सुविधायें दी गयी हैं वह भी समाजवादी समाज की सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा कदम है, उसके लिए मैं वित्तमन्त्री जी की सराहना करती हूँ। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले काफी सदस्यों ने प्रकाश डाल दिया है इसलिए मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहतीं हूं और मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहती हूँ।

शिक्षा के क्षेत्र में आशा से अधिक प्रगति हुई है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि हर गांव में स्कूल पाई जाती है और इस बजट में भी माननीय वित्तमन्त्रीजी ने कहा है कि लड़कियों की शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए १० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किया जायेगा और कुछ सेक्शन्स और खोले जायेंगे। इसके अलावा लड़कों को छात्रवृत्तियां भी बहुत दी जाती हैं और ऊंची शिक्षा पाने के लिए जो गरीब छात्र हैं और जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं उनको भी बहुत बड़ी रकम छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। इस प्रकार से शिक्षा के आकड़ों को देखते हुए ज्ञात होता है कि उसमें आशा से अधिक रकम खर्च की जाती है। फिर भी मैं वित्तमन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा की तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके और कई कारण भी हो सकते हैं लेकिन मैं एक विशेष कारण यह बताना चाहती हूं कि गावों में लड़कियों के अलग स्कूल बहुत कम हैं और ग्रामीण लोगों की ऐसी आदतें हैं या वे ऐसे ऑर्थोडोक्स विचारों के हैं कि वे लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्तमन्त्री

Page No.89

(श्रीमती गौरी पूनिया)

जी से निवेदन करूंगी कि इसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय और जितनी भी आप १५ नई स्कूलें खोलना चाहते हैं, वे सब के सब ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोली जायं।

दूसरे परिवार-नियोजन के विषय में किसी भी माननीय सदस्य ने जिक्र नहीं किया। वैसे कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं और वैसे ही सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाये गये हैं लेकिन कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण यह भी है कि इसके लिए सभी चुप हैं। मैं इसके लिए वित्तमन्त्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस दफा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार-नियोजन के ३५ क्लिनिक खोलने का प्रावधान रखा है। इसमें मैं अपना एक सुझाव देना चाहती हूँ कि सदन में जितनी महिला सदस्य हैं मैं चाहूँगी कि वित्तमन्त्री जी कम से कम ८ क्लिनिक तो उनके चुनाव क्षेत्रों में खोलें और मैं सब की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि आपके इस लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगी.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, औरतें तो हमारी भी कॉन्सटीटुएन्सी में रहती हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : आप भी खुलवाइये, मैं कब विरोध करती हूं। ३५ हैं, ८ हमारे क्षेत्रों में आयेंगी तो बाकी आप ले जाइये।

फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा देखने में आता है कि इतना कुछ बजट जनता को राहत देने वाला है फिर भी देखने में आता है कि जनता में कुछ रोष है और सरकार के लिए भी काफी रोष प्रकट किया जाता है। मेरी भी मान्यता है कि राज्य सरकार की इतनी सुन्दर पॉलिसी होते हुए और इतना सुन्दर बजट सामने आते हुए इस तरह का असन्तोष क्यों है ?

मैं केवल यह जान पाई हूं कि सरकार की मशीनरी में कहीं न कहीं जंग लगी है। उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी राज्य और सब इस तरफ विशेष ध्यान दें और आपकी पॉलिसीज को इम्पलीमेन्ट होने में जो रोड़े अटकाये जाते हैं उसको बदल करके दूसरा रूप दिया जाता है उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं और वह यह है कि मेरी तहसील नागौर में कलेक्टर ने जैसी आपकी पॉलिसी है, आपका नियम है कि गोचर भूमि को अलॉट नहीं किया जाय लेकिन मेरी तहसील में गोचर भूमि को वहां के कलेक्टर ने अपने एक ड्राइवर को अलॉट कर दी और यह प्रश्न मैंने असेम्बली में रखा, तो उप-मंत्रीजी की तरफ से यह आश्वासन मिला कि उन्होंने यह गलत किया है और अपीलेट ऑथोरिटी में यह अपील चल रही है इसलिए उसके फैसले तक मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं सूचना देना चाहती हूं कि अपीलेट ऑथोरिटी के पास भी सिफारिशें पहुंच गयी हैं और यह अपील खारिज हो गयी है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : वह कोई लखपति ड्राइवर था ?

श्रीमती गौरी पूनिया : मुझे आशा है कि वहां भी वह सिफारिश पहुंचेगी और वह मामला फिर वैसे का वैसा रह जायेगा।

Page No.90

(श्रीमती गौरी पूनिया)

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री को पूरा दोष नहीं देती हूं लेकिन इस मशीनरी के कुछ पुर्जे बेकार हो गये हैं। या तो उनकी मरम्मत करवा ली जाय या फिर मरम्मत नहीं हो सके तो उनकी जगह दूसरे रख लिये जायं।

जो १९६२–६५ का बजट है उसका सामान्य जनता ने स्वागत किया है और इसके लिए मैं पुनः वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी बात और कहूंगी कि वित्त मंत्री जी ने बजट जो प्रस्तुत किया है उनका बजट घाटे का तो बजट रहता ही है, उसमें ३०–३२ लाख का और घाटा जोड़ दिया जाये तो कोई बात नहीं। ग्रामीण किसानों के ऊपर जो सरचार्ज लगाया है उसको आप वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, १९६४-६५ का जो बजट हाउस के सामने प्रस्तुत हुआ है उस बजट को बनाते वक्त हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने समाजवादी समाज की व्यवस्था को मद्देनजर रखा है, इसकी मुझे खुशी है। आज का यह बजट, आम जनता जो राजस्थान की है उसको राहत देने वाला बजट है। मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान की आम जनता ने यह बजट आने के बाद खुशियां मनाई हैं और इस बजट से केवल थोड़े से आदमियों पर ही टैक्स लगा है। मैं इसकी सराहना करता हूं। इसके लिए तो वित्त मंत्री जी खास तौर से बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। मगर फिर भी जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वह इस बजट के द्वारा नहीं मिली। मैं वह हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि उस पर बखूबी गौर होगा और उनको आगे के लिए अमल में लाया जायेगा। हमारे देश के प्रहरी देश पर जब विपत्ति के बादल मंडराये, देश की आजादी को छीनने के लिए दुश्मन ने आवाज लगाई और चीन ने अकारण ही देश पर हमला किया तब वे डटकर मुकाबला कर रहे थे। उस समय देश की आवाज एक ही थी और वह आवाज यह थी कि हमारे देश को इस तरह खतरा हुआ उसकी आजादी को किस तरह से कायम रख सकते हैं और इस आजादी को कायम रखने में कौन ऐसे बहादुर हैं जो अपने आप को झोंक सकते हैं? देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी को कायम रखने के लिए वे लोग जो शहरों से बहुत अलग राजस्थान के एक लम्बे-चौड़े भाग में झोपड़ियों में और ढाणियों में बसे हैं वहां रहते हैं। उन लोगों ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने हमारे देश की इस पुकार को सुना। माता ने अपने पुत्र को, बहन ने अपने भाई को, स्त्री ने अपने पति को यह कहा कि जब देश की आजादी खतरे में है, आपका यहां रहना वाजिब नहीं है, चीन के बोर्डर तक जाओ, और नतीजा यह हुआ कि वह चीन की लड़ाई में जितनी बहादुरी दिखा सकते थे, वह उन्होंने दिखाई और यही नहीं उनकी स्त्रियों ने, उनकी माताओं ने और उनकी बहनों ने यहां खेतों में अनाज पदा किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया। यह किस के लिए किया? दफ्तरों में जो बैठे रहते हैं उनके लिए? जो लोग खेती नहीं करते हैं उनके लिए? एक तरफ से दो काम एक किसान ने किये। एक तरफ तो देश की

(श्री घीसाराम ओला)

आजादी को कायम रखा और दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज ने जो पीछे थीं मातायें बहनें और औरतें जिन्होंने देश के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे देश भूखों न मर जाये उसमें पूरा सहयोग दिया। मगर इस बजट के द्वारा उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। एक मिलिट्री का जवान नेफा और लद्दाख से छुट्टी पर घर आता है। उसको १०० ग्राम चीनी मिलती है तो वह यह महसूस करता है कि मैंने अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए, देश की सेवा के लिए रात-दिन खड़ा रहा, और जब छुट्टी पर आता हूं तो कन्ट्रोल की चीनी मांगने जाता हूं तो केवल १०० ग्राम चीनी मिलती है और जो सज्जन शहरों में रहते हैं उनको १ किलो ग्राम चीनी मिलती है। यह शहर और देहात का भेद-भाव इस का उस पर क्या असर पड़ता है ? यह आप आसानी से सोच सकते हैं ! वह इस देश के प्रति, इस सरकार के प्रति और हमारे प्रति क्या विचार बनाता है जब कि केवल १०० ग्राम चीनी का परमिट लेकर वह ऑफिस से बाहर आता है ? यह पूछने की बात नहीं है, आसानी से जानी जा सकती है।

इसके अलावा उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, उसकी बीवी के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल आदि की व्यवस्था हमारी सरकार ने नहीं की है। आज भी ऐसे केसेज मौजूद हैं। वह वीर भारत की रक्षा के लिए, देश की आजादी कायम रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। आजादी की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। उसकी स्त्री खेत में घास खोद रही थी या काश्त कर रही थी और उसको काले सांप ने काट लिया तो वह घर भी नहीं जा सकी और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए आपने क्या किया ? वह अपने मासूम बच्चों को सरकार के भरोसे छोड़कर चले गए। उनके बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी स्त्री की मृत्यु हुई, उसके लिए अस्पताल या मेडीकल की कोई व्यवस्था नहीं। इस बात को मद्देनजर नहीं रखा गया, इसके लिए मुझे निहायत अफसोस है।

यही नहीं, जब मसला आया डिफेन्स फंड का तो गावों में रहने वाले लोगों ने तीनों तरह से योगदान दिया, तन से, मन से और धन से। औरतों ने अपने जेवर दिये, लोगों ने अपने आपको लड़ाई के लिए झोंक दिया। और जिसके पास जो कुछ बचा उसको डिफेन्स फन्ड में दान कर दिया। इसके लिए झुंझुनू जिला एक आदर्श जिला है। सात लाख की आबादी का जिला होते हुए भी तीन रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसने डिफेन्स फन्ड में चन्दा दिया उसके मुकाबले में राजस्थान में ही नहीं वरन् हिन्दुस्तान के दूसरे उसकी ही आबादी के किसी भी जिले ने इतना चंदा नहीं दिया। उसकी और हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

यही नहीं देश को आज जरूरत है सेना की। उसमें एक तरफ तो अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है और दूसरी तरफ अच्छे जवानों की जरूरत है। मगर हमारी सरकार यह नहीं देखना चाहती है कि जो हमारे जवान मोर्चे पर जाकर लड़ते हैं उनको ठीक तनख्वाह मिले। उनमें कमाण्ड करने वाला कोई ऑफीसर उनमें से बने। क्यों नहीं बने ? इसलिए कि इनके लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हमारी

Page No.92

(श्री शीशराम ओला)

सरकार ने नहीं की है। झुन्झुनू एक मिलिटराइज्ड एरिया है। वहां पर कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें घर में से एक आदमी फौज में न हो। जब सैनिक स्कूल का प्रश्न आया और भारत के डिफेन्स मिनिस्टर चिड़ावे में पधारे तो वहां के लोगों ने इस बात की मांग की कि इस जिले के लिए एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। सैनिक स्कूल के लिए भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की गई तो उन्होंने सहानुभूति पूर्वक जवाब दिया, और बहुत हमदर्दी भारत सरकार रखती है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ में जो थोड़ा बहुत होना चाहिए वह नहीं हुआ। इससे इस जिले का ही लाभ नहीं होता लेकिन हम अपने डिफेन्स को भी मजबूत करते। सैनिक स्कूल खोलने का मकसद यह है कि हम अपने डिफेन्स को बढ़ाते हैं। देश में सैनिकों की जरूरत है। ऐसी सूरत में वहां पर सैनिक स्कूल खोल कर देश की आर्मी को मजबूत करना चाहिए, उस पर इस सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।

यही नहीं, इसके अलावा जो लोग यहां शहरों में, उदाहरणार्थ, जयपुर, जोधपुर इस प्रकार के) बैठे रहते हैं, मुट्ठी भर शहरों में राजस्थान में हैं उनमें रहने वाले लोगों को मेरिट के बेसिस पर और दूसरे तरीकों से वजीफा मिलता है और वे अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं। दूसरी ओर देश पर मिटने वाले बेचारे शिक्षा से कतई वंचित रह जाते हैं। थोड़ी बहुत उनको शिक्षा भी मिलती है तो क्या होता है? वजीफा उनको नहीं मिल पाता है। कहीं मिलता भी है तो नाम मात्र के लिए मिल जाता है। वह भी एक-दो रुपया महीना मिलता है जिससे कि किताबें भी नहीं खरीदी जाती हैं।

इधर एक्स-सर्विस मैन के नाम पर साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन रखा हुआ है, लेकिन वह केवल कागजों में ही रखी हुई है। वह एक्शन में नहीं आ रहा है। उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। कई ऐसे दृष्टिकोणों से उनको लाभ नहीं पहुंचता है। आज मैं बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी पुलिस के बारे में यह बात सुनने को मिलती है कि उसमें करप्शन है। यह सुनने को मिलता है कि पुलिस अधिकारी नाजायज रूप से लोगों को दबाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अलग २ तरीकों से कार्य करते हैं। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप रिटायर्ड मिलट्री लोगों को पुलिस की व्यवस्था में लगा दें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि करप्शन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, देश की रक्षा भी पूरी तरह से होगी और कभी दुबारा सदन को यह सुनने का मौका नहीं आयेगा कि राजस्थान के १६ मील के एरिया में पकिस्तानी घुस कर डाका डाल कर चले गये।

दूसरे विकास-खण्डों हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, उनमें अच्छे योग्य मिलिट्री अधिकारियों को लगा दें तो देश का विकास इतनी गति से हो सकता है कि जिसका नाम तभी हो सकता है जब कि यह काम उनको सौंप दिया जायगा।

Page No.93

(श्री शीशराम ओला)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी को कहना चाहूंगा कि जितने भी एक्ससर्विस मैन हैं उनकी सेवाओं का, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। उनको एज्युकेशन और उम्र वगैरह कोरिलेक्सेशन देकर हम एक ही नहीं दो काम करने में सफल हो सकेंगे। एक तरफ तो हमारे देश को, हमारे प्रान्त को अच्छे, योग्य और ईमानदार व्यक्तित्व की सेवाएं मिलेंगी और दूसरी तरफ जो एक प्रोब्लम है एक्स-सर्विस मैन के रिएम्पलायमेंट का वह दूर हो जायगा।....

एक माननीय सदस्य : अगर मिलिट्री कूप हो गया तो ?

श्री शीशराम ओला : एक बात और है जो कि महत्वपूर्ण बात है...

श्री उपाध्यक्ष : Please don't compel the member......

श्री शीसराम ओला : आप लोग मेहरबानी करके डिस्टर्ब नहीं करें, नहीं तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Please don't compel the member to speak on anything.

श्री शीशराम ओला : वह बात मैं ही शायद पहली बार सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पहले राजाओं के जमाने में गांव के आदमियों के कोई अच्छा पद सर्विस में नहीं दिया जाता था। किसी को भी ऊंचे पद पर अधिकारी नहीं बनाया जाता था गांव वालों को। यदि मैं गलत हूं तो आफिस गैलेरी पर निगाह पसार कर देख सकते हैं कि कितने अधिकारी गांव के हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उपमंत्री शिक्षा) He is making a reference to the galleries.

श्री उपाध्यक्ष : The galleries should not be mentioned.

श्री शीशराम ओला : हमारी इस सरकार ने भी वही नीति अपनाई है कि गांव के किसी भी पढ़े लिखे आदमी को अच्छे पद पर नहीं लगाया जाता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वह यह कारण है कि कॉम्पीटिटिव एग्जामिनेशन्स रख दिये गये हैं और गांव में रहने वाला कोई आदमी, इस तड़क-भड़क की भड़कीली दुनिया में अपने आपको एडजस्ट नहीं कर सकता। शिक्षा का जो बैकग्राउन्ड आपने दिया है उसके अनुसार एक लड़का सेन्ट जेवियर्स में पढ़ता है या मिलिट्री अकाडेमी देहरादून में पढ़ कर पास करता है और दूसरी ओर लड़का जो गांव की मिडिल स्कूल में पढ़ता है जहां पर न बैठने को चटाई है, न बिजली की व्यवस्था है, उसको वहां पर कोई चीज मिलती है तो सिर्फ आंखों में गिरने के लिये मिट्टी और प्यास मिटाने के लिये पानी भी नहीं मिलता है, ऐसी दशा में क्या आप यह चाहते हैं कि गांव के लोग कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन्स में बैठ कर अच्छे पदों पर जा सकेंगे ? यह कत्तई संभव नहीं है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे शिड्यूल्ड-कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का

(श्री शीशराम ओला)

सर्विसेज में रिजर्वेशन हैं, स्थान सुरक्षित रखे हैं उसी प्रकार की व्यवस्था गांव के लोगों के लिये भी आई० ए० एस०, आर० ए० एस०, और आर० पी० एस० की सेवा में की जाय जो ५० पर्सेन्ट से कम न हो, तो आपको अच्छे आदमी काम करने को मिलेंगे सेवा करने वाले नेशनल कैरेक्टर के आदमी मिलेंगे। आज देश में नेशनल कैरेक्टर के आद मीनहीं के बराबर रह गये हैं वे आपको गांवों से प्राप्त हो सकेंगे ऐसी मेरी मान्यता है; मैं आपसे जो दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं वह यह है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ५ मिनिट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बोलिये।

श्री शीशराम ओला : दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं वह सरचार्ज जो सरकार ने किसानों पर लगाया है उसके बारे में है। आज किसान ऐसी अवस्था में नहीं है कि सरचार्ज का भार वहन कर सके इसलिये सरचार्ज नहीं लगाना चाहिये।

दूसरी मेरी अर्ज है घग्घर नदी के पानी का झगड़ा और उससे जो गांव डूब जाते हैं उसके झगड़े के बारे में। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इरिगेशन मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इरिगेशन मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से महसूस करें कि खेती का प्रोडक्शन क्यों गिर रहा है ? क्योंकि उनके पास दोनों डिपार्टमेन्ट्स हैं इरिगेशन, और एग्रीकल्चर इसलिए उनको महसूस करना होगा और उनको महसूस करना चाहिये कि इरिगेशन के साधनों से किस तरह खेती से अच्छी पैदावार हो सकती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झुन्झुनू जिले में यमुना नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। सर्वे करा कर इस पानी की व्यवस्था कर दी जाय तो मैं दावे से कह सकता हूं कि झुंझुनू जिला अकेला राजस्थान के ५० पर्सेन्ट अनाज की समस्या को हल कर सकता है निश्चित रूप से बशर्ते कि आप पानी व्यवस्था कर दें, नहरों से या ट्यूब वैल से, यह हम नहीं जानते; यह आपका काम है।

आपके यहां जिस तरह के एग्रीकल्चर विभाग के डाइरेक्टर हैं उनको यह भी मालूम नहीं है वे एग्रीकल्चर के हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट बन कर बैठे हैं पर उन्हें यह भी पता नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या बला है ?

श्री उपाध्यक्ष : Members of bureaucracy will not be mentioned.

श्री शीशराम ओला : मैं झुंझुनू जिला परिषद् का प्रमुख हूं। मेरे जिले के बहुत से लोग फौज में भर्ती हैं। हमारी जिला परिषद् ने यह फैसला किया कि एग्रीकल्चर के काम को हमारे यहां जो जमीन है वह मिलिटरी पर्सनल्स को दी जायगी वह हमने उनके लिये सुरक्षित रखी। पंचायत समितियों के पास डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के पास से चिट्ठी जाती है जिसमें वे फरमाते हैं क्योंकि यह कोटा एग्रीकल्चरिस्ट का है और आपने इसको मिलिटरी पर्सनल्स को दे दिया है वह अवैध है, उनको नहीं देना चाहिये। श्रीमानजी, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को नहीं

(श्री शीशराम ओला)

जाते है कि एग्रीकल्चर क्लास के लोग ही ज्यादा मिलिटरी में जाते हैं। दूसरे लोग सिपाही की रेन्क पर नहीं जाते हैं। तो वे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है क्या? इस तरह के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट एग्रीकल्चर विभाग में बैठे हैं वहां प्रोडक्शन बढ़ेगा यह मैं नहीं मानता। मैं ज्यादा समय न लेकर इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो इस वर्ष का बजट पेश किया उसको देखने से और उनके भाषण को सुनने से ऐसा प्रतीत हुआ कि आंकड़ों की भूल-भुलैया में अपने आपको और सदन को रखते हुए उन्होंने वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की है।

आपके बजट-भाषण के अन्दर दो बातें देखने को मिलीं और उसमें आपका अधिकांश यह था कि राजस्थान का आर्थिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसके बिगड़ने के दो मूल भूत कारण बताये, एक तो जो सेन्टर से लोन लिया है उसके ब्याज की रकम चुकाना और दूसरी ओर जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है वर्षा की कमी के कारण इससे हमारे राजस्थान का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है, यह आपने अपने भाषण में बताया।

(१२·३२ म० पू०)

(श्री भीमसेन सभापति, पदासीन)

मैं आपके जरिए सदन में कहना चाहूंगा कि केवल ये दो कारण आर्थिक संतुलन को बिगाड़ने के हैं। दूसरी बातों पर पर्दा डाल कर पुराने टेक्सों को कायम करने की दलील दी है वह सही नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह देख कर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि आपने वास्तविकता को, स्कीम्स के इमप्लीमेन्टेशन के रिजल्टस को नजरअन्दाज करने की कोशिश की है, यह ठीक नहीं है। सही देखा जाय तो आज भी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में वित्त मंत्री जी या सरकार के दिये हुए आंकड़ों या फिगर्स के जवाबात देने की कोशिश की है और थ्योरिटिकल बातें ज्यादा कहने की कोशिश की हैं। मैं यह कहूंगा कि हमको और सरकार को यह भी देखना है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है और आपकी जो स्कीम्स आती हैं क्या उनका इमप्लीमेन्टेशन होता है?

आज आप देखेंगे कि यद्यपि हमको देखने को मिलता है थर्ड प्लान की आप प्रोग्रेस रिपोर्ट छपवाते हैं उनकी स्टडी की जाय, उनके शिडयूल्स को देखा जाय और उनमें जो फिगर्स मिलते हैं उनसे नतीजा हम निकालते है तो हमारे प्लॉनिंग के जो टार्गेट्स हैं उनमें से बहुत सी बातों को तो टच ही नहीं किया है और चार वर्ष पूरे हो गये हैं केवल एक वर्ष रह गया है, लेकिन टार्गेट्स टच नहीं किया गया है। आपकी स्कीम्स से मालूम होगा कि आपने जो टार्गेट्स रखें हैं उसके पार्ट को भी आपने टच नहीं किया है। बजट के प्रावधान, डिपार्टमेन्ट्स को चलाने के प्रावधान और स्कीम्स हैं। उनको देखने से मालूम होगा कि हर साल इनमें बढ़ोत्तरी होती हैं। आज आप देखें, मैं आपकी तवज्जह एक तरफ दिलाऊंगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन

Page No.96

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

बढ़ाने के लिये देश में बड़ी भारी आवाज उठाई गई। १५-१६ वर्ष तक सरकार चलाने के बाद, दो तीन प्लॉन पूरे करने के बाद भी आज यह अनुभव किया है, महसूस किया है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खर्चे को देखा जाय तो प्रत्येक वर्ष उसमें, करोड़ों रुपयों का बढ़ोतरी होती है। उसके रिटर्न यदि आज देखे जायं तो वित्त मंत्री, जो इस तरह पर्दा डालना चाहें कि सारी खराबी एक वर्ष अकाल पड़ने या शीत लहर आने से संतुलन बिगड़ा है, यह सही नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोग्राम देखिये ५८-५९ में व्हीट प्रोडक्शन, मेन क्रॉप के फिगर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिये हैं उनमें से चार क्रॉप्स के प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। व्हीट का ५८-५९ में १०-२० लाख टन था जो ५९-६० में १०.७७ लाख टन रह गया। ६१-६२ में १२,४७,६८२ टन हुआ। और १९६२-६३ में व्हीट का प्रोडक्शन १०,१८,२२५ टन रह गया। इस तरह बार्ली का लीजिये। बार्ली का प्रोडक्शन १९५८ में ५९१७ है। जो आपके फिगर्स हैं, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स से ही मैंने आंकड़े पेश किये हैं। १९५९-६० में बार्ली का प्रोडक्शन ६३७ हो गया, लेकिन १९६१-६२ के अन्दर यह ६,१२,९७६ हुआ। और वही बार्ली का प्रोडक्शन १९६२-६३ में ५,२२,५९५ रह गया। इसी प्रकार बाजरे के फिगर्स और चने में बहुत परिवर्तन आया है। १९५८-५९ में ११ ६१ था, १९५९-६० में ७,७३ रह गया, १९६१-६२ में ९ ८९,७९५ था तो १९६२-६३ में ७,३३, ८ रह गया। आज आपने फिगर्स, और भावों की बढ़ोत्तरी का कारण यह दे दिया कि अकाल आ गया, इसलिए ये सारी चीजें हुईं। लेकिन चार साल के १९५७ से १९६३ तक के आपके दिये हुए आंकड़े हैं उनका मुकाबला किया जाय तो प्रगट होता है, कि हर साल घटत हुई है, बढ़ोत्तरी किसी साल नहीं हुई है। आज आपके सामने अकाल हो सकता है, आज आपके यहां शीत लहर से फसल पर असर होता है लेकिन १९५८-५९ और १९६०-६१ के अन्दर इतना रुपया आपने एग्रीकल्चर पर खर्च किया और हर साल करोड़ों रुपये की बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन उस वक्त जितना टार्गेट मेन-क्रॉप, स्टेबल फूड स्टफ का था, उनको कितना पूरा किया ? इस बात का माननीय वित्त मंत्री या कृषि मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि उन वर्षों में घटत क्यों हुई ? क्यों नहीं डिपार्टमेंट को, अपने मातहतों को झकझोरा ? ये आपके फिगर्स हर साल क्यों गिरते हैं ?

इसके साथ में आपको बतलाऊंगा, यह जनरल बात करते हुए और आंकड़ों से सपोर्ट करते हुए बतलाऊंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आपने एग्रीकल्चर की बढ़ोत्तरी करने की कोशिश की है या नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है ? आपको मिसाल के तौर पर कहूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जमुआ रामगढ़ का बांध है। उस बांध से १५ हजार एकड़ जमीन सईराब होती थी, जयपुर स्टेट के टाइम में। उसके बाद जयपुर शहर में पानी देने के लिए उसकी नहरें बन्द हुईं और वहां आठ-दस गांव जो नहरी थे, उनको पानी नहीं दिया गया। उसके लिए विचार हुआ था और केबीनेट डिसीजन हुआ था, उसके अनुसार १९५९ में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि जयपुर शहर को पानी दिया

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

जायगा, उस एरिया को पानी नहीं दिया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोइ ऑल्टरनेटिव इतने सालों में आपने सोचा ? लाल सागर की स्कीम जो जिला परिषद, पंचायत समितियों से पेश की गई, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? जब कि आप काश्तकारों से नहरी लगान बराबर लेते जा रहे हैं, आठ-दस साल से उनको पानी नहीं देते तो उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव दीजिये । आपके कन्धों पर यह भार है कि जयपुर शहर को पानी दिया जाय, इसलिए उस बांध को डाइवर्ट किया लेकिन वहां की जनता, जिससे आप नहरी लगान लेते चले आ रहे हैं, की १५ हजार एकड़ जमीन इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बरबाद हो गई है । इसलिए जो आल्टरनेटिव स्कीम आती है, उस पर केवल विचार ही हुआ है, केवल विचार ही आप करना चाहते हैं और उसको कोई रूप नहीं देना चाहते । यह है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की स्थिति ।

इसके साथ ही मैं बतलाऊंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में राउवास बांध बना, उसमें पांच लाख खर्च किया, लेकिन वह बांध बनने के बाद, पांच लाख खर्च होने के बाद उससे एक बीघा जमीन भी इर्रीगेट नहीं हुई । जब जांच की मांग आई तो यह कह दिया गया कि इसकी रिपोर्ट ले ली गई है और उसका लेवल ऊंचा हो गया है, नहरें नीचे लेवल पर नहीं जा सकतीं, इसलिए इसे वाइप आउट कर दिया है । आपने जवाब में बतलाया कि पांच लाख रुपया लगा कर इस बांध को वाइप आउट कर दिया है । आपने इस बांध से अनुमान लगाया कि २२ हजार एकड़ को सींचने के लिए यह स्कीम ली है । इसी प्रकार झिलमिल का बांध है, यह ११ लाख की स्कीम थी । आप हर एक के सम्बन्ध में आंकड़ों पर तसल्ली कर लेते हैं फिगर्स देख कर. लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है उसकी जब आवाज उठने लगी तो आपने उसे वाइप आउट कर दिया । आपकी इस कार्यवाही के बजाय अगर आप यह करते कि जिन इन्जीनियर साहब ने पांच लाख रुपया लगा इस बांध को बनाया था, उनको सर्विस से मुअत्तिल करते और उनकी तनख्वाह से काट लेते तो हमें तसल्ली होती । लेकिन उस बांध में पांच लाख रुपया लगा दिया और उसे वाइप आउट कर दिया । मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल आंकड़ों की भूल-भुलैया में रह कर यह सांत्वना कर लेना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फायव इयर प्लान बन रहा है, इसमें बड़ी बड़ी स्कीम्स बन रही हैं, इनसे इतना प्रोडक्शन बढ़ जायगा । आप यह जवाब में कह देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह नहीं है । केवल एक डिस्ट्रिक्ट की यह पोजीशन है जो मैंने आपको बताई । आपने चार बांध बनाये, उनमें तीन की यह पोजीशन है । एक राउवास के बांध से इर्रिगेशन हो रहा है, उसके बन जाने के तीन वर्ष के बाद भी, जो सिंचाई का आंकड़ा दिया था १७ हजार एकड़ का, वह आज तक मीट आउट नहीं हो रहा है । आप नाला नहीं बना सके हैं । आप कभी पंचायत को लिखते हैं, कभी सर्कुलर जारी करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि उनके आउट लेट्स बनाने का काम पंचायतों को दिया जाय या न दिया जाय, कभी उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की तलाश होती है । यह उन आउट-लेट्स की, मौजूदा कैनाल की व्यवस्था है । तभी काश्तकार यह कहते हैं कि उनसे

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

बैटरमेंट लेवी वसूल की जाती है पर इसका पानी खारा है इसलिए हम नहीं लेंगे। गांवों के अन्दर एक प्रवृत्ति फैल गई है कि पानी न लिया जाय। मैंने इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा तो उसका जवाब आ गया कि हमने इस पानी का कैमिकल एनेलेसिस करा लिया है, इसलिए जो शिकायत है वह गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जवाब से मैं तसल्ली कर लूं कि कैनाल का पानी अच्छा है लेकिन काश्तकार पानी लेने वाले हैं और दो तहसील पचायतों में यह प्रवृत्ति फैल गई है। वे पानी लेते हुए झिझकते हैं। उन्हें यह आशंका हो गई है कि जमीन बरबाद हो जायगी—तो उनके यह ख्यालात दूर करने के लिए आपने क्या किया? आपके आफिसर्स टी. ए. डी ए. लेकर आते हैं। वे एक मीटिंग करके बतलाये कि यह पानी अच्छा है, इसकी यह कैमिकल रिपोर्ट है और उनकी भावना को दूर करने की कोशिश करें। मैं इसी तरह से यह कहता हूँ कि आप अपनी वास्तविक स्थिति का संतुलन केवल आंकड़ों से करना चाहें, एक साल का, १६६४–६५ का बजट पेश करते हुए १६५६ से १६६२ तक के फिगर्स दिखाते हुए तसल्ली कर लें, कम्पेरिटिवली तसल्ली कर लें—यह काफी नही है। आप अपने आंकड़ों से देखें कि १६५८ से अब तक कितनी बढ़ोत्तरी की?

मैं एक चीज और अर्ज करूंगा माइनर इर्रिगेशन के सम्बन्ध में। इस सदन के अन्दर उन इलाकों के माननीय सदस्य कहते हैं उसके जवाब में सदन में बताया जाता है कि आपने कैनाल्स, बीकानेर और जैसलमेर, में काफी बढ़ोत्तरी देने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया है। लेकिन वहां वाले कहते हैं कि घग्घर नदी की वजह से जो कुए खुदाये हैं वे मटियामेट हो जाने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि माइनर इर्रिगेशन के जो टार्गेट्स आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखे हैं और जो १६६२–६३ की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके कम्पेरिजन से मालूम होता है, उसको देखने से मालूम होता है कि आपके फिगर्स के अनुसार १३ परसेन्ट भी उसे अचीव कर सके हैं? इस पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपने माइनर इर्रिगेशन के अन्दर आठ हजार कुए खोदने का टार्गेट रखा था, लेकिन अब केवल एक वर्ष रह गया है और पिछले चार वर्षों में ८ हजार कुओं में से ११३३ कूए ही खोद पाये हैं। ये माइनर इर्रिगेशन के फिगर्स हैं और टार्गेट को अचीव करने में आपकी सफलता है? इसी तरह एडीशनल एरिया आफ इर्रिगेटेड लेंड का टार्गेट-१ लाख का रखा था। आज आपके फिगर्स यह बताते हैं कि ०.४४ कुल कर सके हैं, यह चार वर्ष में कर सके हैं। जब ०.४४ चार वर्ष में कर सके हैं तो एक वर्ष के अन्दर क्या होने वाला है? आप एक वर्ष में क्या करके देंगे, यह हमको और आम आदमियों को विश्वास नहीं होता। प्लॉनिंग के लिए एक तरफ आप पर आक्षेप लागाया जाता है कि प्लॉनिंग आपकी बेकार है, प्लॉनिंग आप बेकार कर रहे हैं। आप कहते हैं, हम प्लॉनिंग में विश्वास नहीं करते। हम कर सकते हैं प्लॉनिंग में विश्वास। लेकिन वह विश्वास आपकी पहुँच से, आपकी एप्रोच से खत्म हो चुका है। आपका प्लॉनिंग के अन्दर कहीं मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप सुन्दर टार्गेट लेकर आते हैं, सुन्दर नक्शा लेकर आते हैं, सुन्दर भाषण देकर बताना चाहते हैं कि हमारा ऐसा सुन्दर नक्शा है, लेकिन

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

वास्तविकता रिपोर्ट से विदित होती है। यदि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम कम्पेअर करें तो आपको मालूम होगा कि आपने जो नक्शा दिया है उससे वह टच कहीं भी नहीं करती और आप आये दिन अपने डिपार्टमेंट की बढ़ोत्तरी के लिये खर्चा करते जा रहे हैं। जगह-जगह पोल्टरी के लिये खड्डे खोद दिये हैं, लेकिन अगर आप इसका खर्चा देखें तो आपको मालूम होगा कि उन पर बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। आप यह चाहते हैं कि अच्छे एग्ज का उत्पादन हो और उन पर डिपार्टमेंट का खर्चा जो होता है उसे अगर हिसाब लगाया जाय और देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि एक अन्डे पर आपके ६६) रु० खर्च होते हैं, यानी आपके एक अन्डे की कीमत ६६) रु० पड़ती है।

डिपार्टमेंट को लें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर आपकी ३६ जीपें एक ही डिपार्टमेंट में रन करती हैं।

आपका मुर्गा-मुर्गियों का ६३ हजार का खर्चा बजट में है। खर्च तो दाने के लिये ही होता है नहीं, यह पता नहीं लगता। ६०-६१ में ७० हजार का Poultry का बजट था, इसमें आपने दाने के ६३ हजार रखे हैं। मैं यह कहूँगा कि जब आप ये फिगर्स देते हैं तो आप उनकी यूटिलिटी की बात करते नहीं कि वह किस तरह से यूटिलाइज होता है। आप कहेंगे कि हमारे यहां ऑडिट होता है। मैं यह कहूँगा कि आपके यहां ऑडिट करने का तरीका है उससे यह पता नहीं लगता कि आया इस धन का ठीक उपयोग हुआ है या नहीं। यहां ऑडिटर आता है और देखता है कि कितना रुपया बजट में था और कितना खर्च हुआ। जो खर्च हुआ उसमें रसीदें हैं या नहीं; सिर्फ ऑडिट इतना ही देखते हैं और आप इन चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स पर हजारों रुपयों का खर्चा करते हैं और वह सिर्फ इतना ही देखता है। वह यह नहीं देखता कि जितने रुपये खर्च किये उनका उतना रिटर्न मिला या नहीं। तो यदि आप सही तरीके से इसकी जांच करना चाहते हैं तो उन्होने रसीदों से ही नहीं देखना चाहिये कि कितना रुपया खर्च हुआ है। उनको चाहिये कि वहां पर जाकर देखें कि जितना रुपया खर्च हुआ है और उतना ही रुपया जो वास्तव में बताया गया है खर्च हुआ है या नहीं। इसकी डिटेल्स पब्लिक एकाउन्ट कमेटी में तो डिसकस होती होती है, मगर उसका भी असर कुछ नहीं होता। उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आती है और उस पर आप क्या कार्यवाही करते हैं? मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि एस्टीमेट कमेटी व पी० ए० सी० कमेटी की रिपोर्टें अधिकारियों के पास दस्तखत होने के लिये पड़ी रहती है और कई वर्ष गुजर जाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर उन पर एक्शन के सम्बन्ध में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि इसके लिये कमेटी सेक्रेट्री देखता रहता है और डिपार्टमेंट को लिखता रहता है। डिपार्टमेंट वाले जवाब देते रहते हैं कि यह कार्य इसलिये नहीं हुआ। इससे यह साफ जाहिर है कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है।

इसके बाद मैं जनरल बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने एनिमल हस्बेन्ड्री का नक्शा पेश किया है और प्रोग्रेस रिपोर्ट में लाइव स्टाक के सम्बन्ध में आपने लिखा है। आप लाखों रुपये एनिमल हस्बेन्ड्री में खर्च करते हैं। एनिमल हस्बेन्ड्री

Page No.100

(श्री मथुरेशबिहारी)

से ३९ जीपें चलती हैं। वहां पर रेफ्रिजरेटर अन्डों को रखने के लिये खरीदे जाते हैं। वहां पर अब आपकी यह हालत हो रही है कि आपका पशुधन कम होता जा रहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह पशु कौन से कम हुए हैं, यह तो आप बता दें।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आप आंकड़े जानना चाहते हैं। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि ये आंकड़े आपकी ही दी हुई प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिये हुए हैं और उन्हीं में से लिये हुए हैं।

पौल्टरी के बाद पशुधन आता है और लाइव स्टॉक १९६० में ३३५·१३ लाख और १९६१ में ३·१३ लाख है। ये आपके एनिमल हस्बेन्ड्री व पशुधन के आंकड़े हैं। इसमें आपने सारे दूसरे आइटमों को कम करके बजट बढ़ाया और यह सदन में जो बात कही है वह सान्त्वना देने की बात कही है कि अभी हमने कृषि की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। आपने १५-१६ वर्षों के बाद में यह कहा है कि अब कृषि की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। १५ वर्ष तक आपने क्या किया? ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको काफी समय हो गया है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : मेरी पार्टी की तरफ से मैं अभी एक ही बोला हूं।

श्री सभापति : आपके पार्टी के और सदस्य भी बोलने वाले हैं, अतः आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : इसके बाद में आपका ध्यान इन्डस्ट्रीज की तरफ दिलाऊंगा इन्डस्ट्रीज की तरफ हम देखते हैं कि कोई प्लॉनिंग नहीं है। आज हालत यह है कि विशेष स्थानों की उन्नति हो होती है। रॉ-मेटीरियल राजस्थान में कहां-कहां पैदा होता है और कितनी मात्रा में पैदा होता है उसकी क्या पोटेन्शियेलिटी है इसको सर्वे करके कोई आधार या बेसिस नहीं बनाया कि जहां हर रॉमेटीरियल ज्यादा तादाद में होता है उसकी उपयोगिता किस प्रकार हो सकती है और किस प्रकार की इन्डस्ट्रीज कहां-कहां हो सकती है और कहां-कहां पर होनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि आज इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट इस तरह से है कि जिसके अधिकारी को अधिकार इसके लिये है वह अपनी कलम से जो चाहे वह कर दे, जिसको चाहे उनको लाखों रुपये दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं। यहां तक कि देवस्थान, धर्मपुरा का बजट है उसमें से भी निकाल कर किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये दे दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि ये रुपये इन्डस्ट्रीज के लिये दिये गये हैं। इसलिये मैं यह कहता हूं कि इन्डस्ट्रीज को पनपाने के लिये आपके पास कोई स्कीम नहीं है, कोई रॉमेटीरियल्स की सर्वे की रिपोर्ट आपके पास नहीं, जिसको आप देख सकें। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये मैं यह कहूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके आने से पहले जो वीविंग एन्ड स्पिनिंग मिल चला करती थी, मान इन्डस्ट्रीज थी उसकी आज कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है क्योंकि आज आपकी मर्जी उन पर नहीं है। पहले आपकी मर्जी थी।

Page No.101

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

अब पोर्टफोलियो बदल गये हैं, इसलिये उनकी उन्नति रुक गई है और अब कोटा की तरक्की की तरफ चले गये हैं। में यह बात किसी क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि बीकानेर में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या उदयपुर में हो, लेकिन आपने अभी कोटा में ज्यादा सुविधाएं दी हैं। लेकिन मैंने कल ही पेपर में पढ़ा कि इन्डस्ट्रीज के मन्त्री, आपस में मत-भेद होने के कारण, केबिनेट से भागने की सोच रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कौन भागने की सोच रहे हैं?

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : राजा हरिश्चन्द्रजी के लिये अखबार में पढ़ा था। उनके लिये अखबार में सूचना थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अखबारों में जो बातें निकलती हैं वे सही होती हैं, इस बात को मान कर यहां डिसकशन करना उचित नहीं होगा।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : मैंने डिसकशन नहीं किया है। मैंने तो यही कहा है कि इन्डस्ट्रीज का जो तरीका रहा है वह इसी तरह का रहा है। मन्त्री के बदलने के साथ-साथ वे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं। आज अखबारों में आई है कि वे भी जाने लगे हैं। और आपस में मतभेद हो रहा है। पॉलिसीज को कार्यान्वित करने में मतभेद रहते हैं और इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय होगा वह सामने आवेगा। जिस समय उत्तर ... गा कुछ प्रकाश डालेंगे। इस नाते आज मैंने यह बात आपके सामने रखी है और अखबार में जो आया वह आपको बताया।

एक माननीय सदस्य : किस पेपर से यह खबर आई है?

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : हिन्दुस्तान टाइम्स में।

(१०० म० प०)

इसके बाद कुछ लोकल बातों की तरफ भी आपकी तवज्जोह दिलाऊंगा। एज्यूकेशन और हैल्थ डिपार्टमेंट्स नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो बजट-प्रावधान हैं उनको कम्पेअर किया तो आपके फाइवइयर प्लॉन के जो टार्गेट्स हैं, स्कूलें खोलने के टार्गेट्स हैं, प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में कन्वर्ट करने का टार्गेट है, मिडिल स्कूलों को हायर सैकेन्डरी स्कूलों में कन्वर्ट करने के टार्गेट्स हैं, उनको मैंने देखा तो देखने को मिला कि ३३ पर्सेन्ट भी आपके टार्गेट्स पूरे नहीं हुए हैं। उनके तहत आपका करिकुलम का तरीका है वह आपके सामने है। उस करिकुलम के लिये नेशनलाइज की हुई पुस्तकों का हाल आपके सामने है स्कूल बिल्डिंग्ज की जो दयनीय हालत है वह आप गांवों में जाकर देख सकते हैं। स्कूल चलाने के लिये लड़कों की तादाद ३० बता दी जाती है, जब कि १६ या १५ लड़के भी वहां पर नहीं आते हैं।

(समय-समाप्ती-सूचक घन्टी)

५ मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : इस तरह आपकी स्कूलों की अव्यवस्था है। मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग के अन्दर भी यही हाल है। हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज में दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है, पूरे औजार नहीं हैं। जहां एक्सरे प्लान्ट होने चाहिये वहां एक्सरे प्लान्ट और माइक्रोस्कोप सप्लाई करने में हिचकते हैं। पांच-सात साल पहले दौसा में लेडीज के लिये मेटर्निटी होम खुला हुआ है, पर वहां लेडी डॉक्टर आज तक नहीं भेजी गई, न वहां एक्सरे प्लान्ट भेजा है। यह हाल आपकी प्रोग्रेस का है। जयपुर के अन्दर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जहां सेंट्रलाइज हो रहा है वहां एक्सरे कराने जावें तो जो वहां एक्सरे हैड हैं वे एक्सरे की, प्राइवेट दूकानें रखते हैं, वे अधिकांश लोगों को प्लेट नहीं होने का बहाना लेकर कह देते हैं कि प्राइवेट लोगों से एक्सरे कराओ। यह आपके सेंट्रलाइज्ड सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की हालत है। डिस्ट्रिक्ट्स में डी० एम० एच० ओ० का यहां नक्शा....

श्री सभापति : Order please !

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : सभापति महोदय, सदन में १९६४–६५ के बजट पर सामान्य बहस चल रही है और उस पर ६ तारीख को दिये गये वित्त-मन्त्री के भाषण को सुना, पढ़ा व सदन में अलग-अलग जगहों से आये हुए माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उनको भी सुना।

मैं बजट के विस्तृत आंकड़ों में न जाकर वित्त-मन्त्रीजी को उस कॉंटेक्स्ट की याद दिलाता हूं जो उन्होंने सदन में बताया कि बजट पेश करना केवल टैक्स लगाना या पुराने टैक्सों के बारे में घोषणा करना ही नहीं है बल्कि उस बजट के जरिये सरकार की नीति जाहिर होनी चाहिये। यहां की जनता की माली हालत कैसी है, सरकार की, जनता की इकॉनोमिक कन्डीशन्स किस ओर जा रही हैं, टैक्सों का बोझा किस पर पड़ रहा है, यह सब जाहिर होना चाहिये। जहां वित्त-मन्त्रीजी ने जो जो रियायतें दी हैं, जैसे ओल्ड एज पेन्शन, और छोटे कर्मचारियों को ५ रु० की बढ़ोतरी दी है, जयपुर शहर में रहने वालों को ५ रु० से १० रु० तक की राहत दी है, मैं इसकी सराहना करता हूं। वह जन-कल्याण के लिये अच्छी है, पर साथ ही मुझे आशा थी कि राजस्थान में इस प्रकार के अकाल की हालत में जहां की ७३ प्रतिशत जनता का निर्वाह खेती पर है उसको भी रियायत दी जायगी। पर राजस्थान की ७३ प्रतिशत जनता को जो कि खेती पर निर्वाह करती है, इस बजट के द्वारा किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir, सभापति महोदय, इस समय बजट पर बहस चल रही है, इस समय सारे सदन में कोई भी मिनिस्टर हाजिर नहीं है। मिनिस्टरों में से कोई नहीं है। दो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं। ट्रेजरी बेंचेज खाली पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई आकर इन पर बैठ जायें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): दोनों उप-मन्त्रीजी का एक मिनिस्टर हो गया।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा : आप बहुत मैथेमेटिक्स समझते हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : वित्त-मन्त्रीजी की जो घोषणाएं हुईं, खेती से निर्वाह करने वाली राजस्थान की ७३ प्रतिशत जनता के लिये कोई घोषणा नहीं हुई । उससे मुझे बड़ा दुख हुआ । राजस्थान के ७३ प्रतिशत लोग खेती पर निर्वाह करते हैं, जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की आमदनी का सवाल है, २६३ पर केपिटा आमदनी है और इन्डस्ट्रियल सेक्टर में ८२० रु० पर केपिटा आमदनी है । ७३ प्रतिशत कृषि पर निर्वाह करने वाले वर्कर्स की आमदनी २६३ पर केपिटा है और दूसरी तरफ इन्डस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की आमदनी ८२० पर केपिटा है । दोनों की आमदनी में इतना अन्तर होते हुए भी इन पर लगे टैक्सेज को देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स पर ६.७५ प्रतिशत टैक्स है और इन्डस्ट्रियल सैन्टर के वर्कर्स पर भी ६.७५ प्रतिशत टैक्स है । दोनों की पर-केपिटा आमदनी में इतना अन्तर होते हुए भी एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स पर उतना ही टैक्स का बर्डन रखना कहां तक उचित कहा जा सकता है ? एग्रीकल्चर सेक्टर पर उतना ही टैक्स लगाने की सरकार की नीति है उसमें सरकार को फिर से देखना चाहिये कि किसकी कितनी पेइंग केपेसिटी है । आमदनी में इतना अन्तर है, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स पर अलग-अलग तरह के टैक्स लगे हुए हैं । उनको देखें तो ऐसा लगता है कि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों पर टैक्स का बर्डन ज्यादा है, बनिस्वत अर्बन एरिया के । जहां तक लैंड रेवेन्यू का सवाल है सारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लैंड रेवेन्यू के आंकड़ों को यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि आसाम को छोड़ कर बाकी सब प्रदेशों से राजस्थान में लैंड रेवेन्यू की दरें ज्यादा हैं जब कि राजस्थान में हम मानते हैं कि हर दूसरे या तीसरे साल अकाल की स्थिति रहती है, आधे से ज्यादा हिस्से में एक ही फसल की पैदावार होती है । ट्रावनकोर-कोचीन में अच्छी कॉमर्शियल चीजें पैदा होती हैं । वहां राजस्थान से लैंड रेवेन्यू कम है । पूरा राजस्थान चूंकि पहले अलग-अलग स्टेट्स से गवर्न होता था, यहां पहले से ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू था । वहां लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाना किसानों पर जरूरत से ज्यादा बोझा लादना होगा; यदि यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

वित्त मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान के २६ जिलों में से २३ जिलों में अकाल की स्थिति है और गत वर्ष भी थी, वहां सरकार लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड करने जा रही है । जब सरकार मानती है कि वहां लैंड रेवेन्यू पे करने की हालत नहीं है तो लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज कैसे पे करेंगे ? ऐसी हालत में हम यह चाहते हैं कि सरकार सरचार्ज हटाने की अविलम्ब घोषणा करे । लैंड रेवेन्यू पे करने की हालत नहीं है तो एडीशनल बर्डन, सरचार्ज पे करने की हालत कहां से होगी ? भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था उस संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये एडीशनल सरचार्ज का प्रावधान रखा गया था जिसको मजबूरी की हालत में सदन ने स्वीकार किया था । इस वर्ष में दूसरी रियायतें दी गई हैं तो वित्त मन्त्री महोदय इस सदन में अलग-अलग माननीय सदस्यों की बातें सुनने के बाद इस पर गौर करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं । अब मैं आपके सामने एक और चीज

(श्री तेजराम गहलोत)

अर्ज करना चाहता हूं । जहां तक रूरल और अरबन का सवाल है रूरल एरिया के अन्दर जहां जनता खेती पर निर्वाह करती है उनके ऊपर तरह-तरह के टैक्सेज के बोझ हैं । जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है उसको कन्ज्यूमर्स ही पे करते हैं । पैसेंजर्स टैक्स में भी रूरल एरिया के लोग अपना शेयर देते है । जहां तक एक्साइज ड्यूटी का सवाल है उसमें भी वे लोग देते हैं । इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और दूसरे जो टैक्सेज हैं वे देते हैं । इसके अलावा रूरल एरिया में स्कूलों और जो दूसरे डेवलपमेंट वर्क्स जो भी होते हैं उनमें पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हें देना पड़ता है । हालांकि गांव वाले एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, फिर भी उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं । दूसरी तरफ शहरों को देखते हैं वहां मेडीकल फेसिलिटीज, एजुकेशन फेसिलटीज हैं । तो यह एक मतभेद शहरों और गांवों के बीच में है । सरकार को इस तरह गैप को हटाना चाहिए और जो डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, उसे कम किया जाना चाहिए ।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इस वर्ष के बजट में सरचार्ज का जो प्रोवीजन रखा गया है वह ३४,४४,००० रु० का है । गत वर्ष बजट प्रोवीजन २५ लाख का था लेकिन जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं उनमें ३० लाख वसूल हुए हैं । जब हम स्वयं यह भी मानते हैं कि १३ जिलों के अन्दर अकाल है और वहां की लैंड रेवेन्यू भी वसूल नहीं कर सके, ऐसी हालत में इस सरचार्ज का प्रोवीजन रखना ठीक नहीं रहेगा ।

इसके अलावा मैं बजट पर एक और रोशनी डालना चाहता हूं । किसी भी स्टेट का बजट साऊंड नहीं होगा जब तक नॉन टैक्स रेवेन्यू न बढ़े । जब तक नोन-टैक्स रेवेन्यू घटती रहेगी और डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ते रहेंगे तो उस स्टेट की आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी । कभी भी स्टेट के अन्दर डेवलपमेंट कर नहीं पायेंगे और नॉन डेवलपमेंट खर्चा बढ़ता रहे तो उस स्टेट की हालत भी अच्छी नहीं कही जा सकती । आपकी १९६०-६१ की जो नॉन-टैक्स रेवेन्यू थी वह ३४.६ परसेंट थी और अब २३.२ परसेंट है । नॉन डेवलपमेंट एक्स-पेंडीचर जो १९६०-६१ में ४१.१ परसेंट था, अब ४२,३० परसेंट है । यानी हमारी नॉन-टैक्स रेवेन्यू गिरी है और नॉन डेवलपमेंट खर्च बढ़ा है । तो इस ओर भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी स्टेट की नॉन-टैक्स रेवन्यू बढ़े और डेवलपमेंट पर खर्च बढ़े और नोन डेवलपमेंट के जितने भी खर्च हैं उनको मिनीमाइज किया जा सकता है ।

श्री बालकृष्ण कौल : कर नहीं सकते ।

श्री तेजाराम गहलोत : इसके अलावा मैं सरकार से और निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स के लिए जो प्रावधान बजट में रखा है, वह रूरल क्षेत्र में बहुत कम रखा है क्योंकि रूरल क्षेत्र में २० लाख रुपए से चाहे ५ या १० गांव में पाइप स्कीम रखें, लेकिन राजस्थान का विशाल क्षेत्र है जहां पीने के पानी की सख्त तंगी है और आज तंगी है; तो इस तंगी को हमारी सरकार १५ वर्ष डेवलप करने के बाद दूर नहीं कर सकी । तो सरकार को इसके लिए बजट में ज्यादा पैसा रखना

(श्री तेजाराम महलोत)

चाहिए ताकि हमारी जनता को पीने का पानी मिल सके।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने जनता के सामने वायदा किया था इस बात का कि हम हमारे देश की गरीब जनता को ऊंचा उठाने में उनका जीवन-स्तर ऊंचा करने में किसी भी कदर पीछे नहीं रहेंगे। हमारे देशवासियों को खाना मिलेगा, पहिनने को कपड़ा मिलेगा, रहने को मकान मिलेंगे। उस रोज से हमेशा लाल किले की दीवारों के ऊपर से हमारे नेता गण भाषण देते हैं १५ अगस्त को और २६ जनवरी को कि हमारे देश का जीवन-स्तर ऊंचा बढ़ रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है और तरक्की के रास्ते पर खड़ा है। उसके बारे में हम यह महसूस करते हैं कि कई तरह के उतार-चढ़ाव इन १६ साल में हमारे देश में आए। फिर भी हम मानते हैं कि कुछ माने में हमारे देश का नक्शा बदला है। और, उदाहरण के लिए बड़े-बड़े तालाब बने हैं, बांध बने हैं, सड़क बनी हैं, कारखाने बने हैं, जैसे चितरंजन, दुर्गापुरा, भिलाई, यह इसका सुबूत है कि हमारे देश तरक्की की है। यह हम सब मानते हैं, लेकिन, उसके साथ-साथ हम लोगों की कमजोरियां भी हैं। हम अपने घर में ठीक ढंग से नहीं चल पाते। घर-गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चल पाती है। कभी नमक नहीं, तो कभी धनियां नहीं, हल्दी नहीं, मिर्च नहीं, कई चीज नहीं है। इसलिए बड़ी है काम राज्य चलाना। उसमें गल्तियां भी होती हैं, लेकिन जो विरोधी लोग हम यहां बैठे हैं वे भी यही कहते हैं कि इन गल्तियों को सुधारना आपका पहला कर्त्तव्य है।

आज मुझे कहने का मौका मिला है तो मैं किशनगढ़, जहां से मैं चुन कर आया हूं, की बात कहूंगा। हमारे किशनगढ़ में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई थी उस समय किशनगढ़ के अन्दर एक मिल चलती थी। वह कपड़ा मिल राजस्थान में सबसे बड़ी कपड़ा मिल थी और उस मिल को दूसरी पंचवर्षीय योजना में बन्द होना पड़ा और आज तक वहां के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, प्रोवीडेंड फंड नहीं मिला और उनकी जो ग्रेचुटी थी वह भी आज तक नहीं मिली। मजदूर बराबर मांग करते आ रहे हैं। कई बार मैंने प्रश्न भी किये थे प्रोवीडेन्ड फंड के बारे में तो मंत्री महोदय ने कहा था कि उसका भुगतान हो रहा है लेकिन अभी तक उसको जितना भुगतान होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि विकास के काम हो रहे हैं, हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उद्योग था उसको बरबाद करने की चेष्टा की जा रही है। एक मिल खतम हुई और दूसरी मिल को लाइसेंस इश्यू किया गया और वहां मिल लगाई। वह बहुत अच्छी बात है वहां मजदूरों को काम मिलेगा। सुखाड़िया साहिब ने उस मिल का शिलान्यास किया था, लेकिन उस मिल का मालिक मजदूरों को काम नहीं देता है, वहां मजदूरों के साथ अन्याय करता है और ठोकर देकर बाहर निकालता है। तो इस तरह को मिल के अन्दर धांधलेबाजी चल रही हैं। इस संबंध में सुखाड़िया साहब ने मुझसे कहा था कि वे देखेंगे। आज की जो हिंदुस्थान की जो परिपाटी चल रही है

(श्री बालचन्द डागा)

वह गुलामी की बू से भरी है। आजादी के माने यह है कि आज राजा का नाम गया और मंत्री का नाम उस जगह आया।

इसके अलावा हमारे देश में कोई नयी तब्दीली नहीं आयी है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है।

आप कोआॅपरेटिव को ही ले लीजिये जिसका हमारे यहां कल-उद्योग मन्त्री जी ने उद्‌घाटन किया था। पांच साल पहले सहकारी समिति चल रही थी। आज उसके उद्‌घाटन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस सोसाइटी को कोलोनी बनाने के लिए १,८० हजार रुपया दिया था। आपस में खिलाफत थी। कोलोनी के अन्दर जिस प्रकार से मकान बनने चाहिये उस प्रकार से असेसमेन्ट नहीं किया गया था खर्चे का। जो कुछ खर्चा हुआ है, मेरे ख्याल से ५० हजार से अधिक नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए १.८० हजार का खर्चा पेश कर दिया। ५५ हजार रुपया बाकी (व्यवधान एवं शोरगुल) निकला रहा है। हिसाब पास करा लिया गया। पुरुषोत्तमलालजी की साझेदारी है।

श्री बालकृष्ण कोल : किसमें किसकी भागीदारी है?

श्री बालचन्द डागा भागीदारी है एकमत।

एक माननीय सदस्य : वे उस सहकारी समिति के लीगल एडवाइजर हैं।

श्री बालचन्द डागा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि वह पैसा उनको नहीं मिलना चाहिये।

इस प्रकार का भ्रष्टाचार कोआॅपरेटिव विभाग में चल रहा है।

इरिगेशन के लिए भी बताऊं कि तालाबों को खुदाने की स्कीम कब होती है? जबकि बरसात आती है। बरसात के आने के समय खुदाई शुरू होगी मंजूरी तब होगी। दो तगारी उसमें से मिट्टी नहीं निकली कि उसका दस हजार का बिल तैयार हो जायगा पेमेन्ट करने लिए।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : किशनगढ़ के तालाब की खुदाई का मामला है। वित्त मन्त्री महोदय इस ओर गौर फरमावें कि किस प्रकार भ्रष्टचार फैलता है।

श्री बालचन्द डागा : चौकड़ियां भरते ही वह कह देते हैं कि बरसात से चौकड़ियां भर गई हैं। इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि तालाबों की खुदाई के संबंध में मंजूरी बरसात के टाइम में नहीं देनी चाहिये। पहले ही यह मंजूरी हो जानी चाहिये ताकि कुछ काम हो सके और पैसे का सदुपयोग हो, भ्रष्टाचार भी न फैलें।

शिक्षा के मामले में, जिस प्रकार भाषण में कहा गया कि देश शिक्षा के माने में तरक्की कर रहा है, हमारा राजस्थान तरक्की कर रहा है, मैं तो यह कहना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कि आज की शिक्षा-

Page No.107

(श्री बालचन्द डागा)

प्रणाली जन-जीवन के जागरण को खोखला बना रही है। मैं यह स्वयं नहीं कह रहा हूँ, किन्तु मैं तो उन महान् नेताओं के शब्दों को कोट कर रहा हूँ। सरदार बल्लभ-भाई पटेल से जब यह प्रश्न पूछा गया था कि आप हमारी शिक्षा-प्रणाली को क्यों नहीं बदलते हैं? वही गुलामी के वक्त में दी जाने वाली शिक्षा हमको दी जा रही है। अंग्रेजों की गुलामी के वक्त में जो शिक्षा हमें दी जा रही थी वही आज दी जा रही है। और आज इस शिक्षा की कतई आवश्यकता नहीं है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हम जाल में फंस गये हैं। उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। हम इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

कॉलेज में पांच सौ रुपया पाने वाला लेक्चरार या प्रोफेसर यदि एक घन्टे भी पढ़ा दे तो बहुत। एक घन्टा पढ़ा दिया तो कहेगा कि अधिक पढ़ा नहीं सकता। श्रम करने वाला क्या कहेगा? आज की कॉलेज की शिक्षा का परिणाम हमारे सामने भयंकर आ रहा है। शिक्षा-प्रणाली जो आज चल रही है उसको बन्द कर देनी चाहिये और शिक्षा के कॉलेजेज कुछ दिनों के लिए बन्द कर देने चाहियें। यदि बन्द नहीं किये गये तो लाखों की संख्या में ग्रेजुएट कालेजों से निकलते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। उनकी एक बेकारी की फौज खड़ी हो रही है उसको कैसे सम्हाल सकेंगे?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री भगराज चौधरी।

श्री बालचन्द डागा : पांच मिनिट और बोलने दीजिये।

उस मौजूदा शिक्षा को बदलना होगा।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : माननीय सदस्य, पांच मिनिट में खतम करेंगे नहीं। कल भी इनको कन्टीन्यू करायेंगे तो कल ही बोल लेने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आज ही समाप्त कर देगें। बोल लेने दीजिये।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, वित्त-मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा है कि पिछला साल किन मुसीबतों के साथ पार करना पड़ा क्या-क्या मुसीबतें आयीं और उनको कैसे २ पास किया। उन्होंने वह भी अपने भाषण के द्वारा बताया कि आने वाले वर्ष के लिए उनका नक्शा क्या है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें काफी तक्लीफें उठानी पड़ेगीं और विकास के कार्यक्रम की जो आशा लेकर चल रहे हैं उनको ठीक प्रकार से चालू रखने की कोशिश करनी चाहिये। ताकि खेती की पैदावार और उसके आधार पर दूसरे जितने उद्योग-धन्धे हैं, चाहे वह इन्डस्ट्री हो, चाहे खेती-बाड़ी के काय हों, वे अच्छी प्रकार से चल सकें। पैदावार का उन पर असर पड़ता है।

(श्री भगराज चौधरी)

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति, हमारी माली-हालत अच्छी नहीं होने वाली है और उसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसके कारण हमें कृषि के उत्पादन में, खेती की पैदावार में, उसकी तरक्की में नुक्सान उठाना पड़ता है। राजस्थान का भौगोलिक नक्शा इस प्रकार का रहा है कि राजस्थान को बार-बार अकाल का शिकार होना पड़ता है। भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई प्रान्त होगा जहां इस प्रकार की स्थिति बनी रहती हो। राजस्थान में गत दस वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया है जब कि सम्पूर्ण रूप से राजस्थान में किसी भाग में अकाल न रहा हो, अथवा कहीं भी सूखा न पड़ा हो। सन् १९६३ से लगभग सारे भाग में सूखा पड़ा। रबी और खरीफ की फसलें रहीं है वे भी कुदरत की महरबानी से और सरकार की ना-कामयाबी से बरबाद हो गई। इसलिए जो उन्होंने नक्शा पेश किया है उससे आने वाले वर्ष के लिए राज्य की माली हालत अच्छी हो, ऐसे आसार नजर नहीं आते हैं।

वित्त-मन्त्री महोदय ने अपने बजट-भाषण में यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आय-व्यय आंकड़े सदन में पेश करके हमारा मकसद यह नहीं होना चाहिये कि किन-किन साधनों द्वारा सरकार की आमदनी बढ़नी चाहिये, क्या २ खर्चा बढ़ा है उनकी ओर ध्यान न दिया जाय। हमारा मकसद यह होना चाहिये किन २ साधनों से हम आमदनी बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार हम खर्च में कटौती कर सकते हैं। साथ-साथ यह भी मकसद होना चाहिये कि किस रफतार से हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे पास क्या-क्या साधन हैं। वित्त-मन्त्री महोदय ने वे कुछ बातें सदन में अपने बजट-भाषण के द्वारा प्रकट कीं और सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

सभापति महोदय, दो-तीन बातें हैं जिनको सदन के सम्मुख विचारार्थ रखना पसन्द करूंगा। मैं सबसे पहले कृषि को लेना पसन्द करूंगा। आज राजस्थान में ८० प्रतिशत जनता कृषि के आधार पर अवलम्बित है और वह गांवों में रहती है। कृषि एक ऐसा धन्धा है जिस पर हमारे देश का सारा औद्योगिक विकास निर्भर करता है। कृषि से होने वाली आय पचास परसेन्ट है। इसलिए देश के अच्छे से अच्छे अर्थ-शास्त्री ने, और हमारे देश के अच्छे से अच्छे नेताओं ने, इस बात को मंजूर किया है कि जब तक हमारे देश में कृषि की हालत नहीं सुधरेगी तब तक बहुत बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक हालत बदलने वाली नहीं है, देश के आर्थिक ढांचे में कोई तब तक विशेष परिवर्तन भी आने वाला नहीं है।

केन्द्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद् की बैठक हुई थी, उसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री व अन्य मुख्य मंत्रीगण और हमारे बुजुर्ग प्रधान मंत्री जी भी शामिल हुए थे। उस बैठक में इस बात पर विचार किया गया था। कि राज्यों की और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या-क्या तरक्की करने की आवश्यकता है। क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं। मुख्य रूप से यह विचार किया गया कि हमारे देश में कृषि की जो दशा है उसको सुधारा जाय।

(श्री भगराज चौधरी)

जब कृषि का सुधार हो जायगा तो देश के दूसरे उद्योगों को बिना किसी कठिनाई के विकसित किया जा सकता है। उनमें सुधार लाया जा सकता है। कृषि के बिना उनका विकास नहीं हो सकता। नेहरू जी यहां तक कह गये। नेहरू जी के शायद पहली बार यह बात दिमाग में आयी कि यदि देश की उन्नति करना है तो वह कृषि के द्वारा हो ही सकती है। वे मान गये कि खेती के द्वारा ही हम दूसरे मामलों में भी तरक्की कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : १७ वर्ष के बाद यह समझ आयी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : गनीमत हुई।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को और माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि खेती की अहमियत होते हुए भी, विशेष कर राजस्थान के लिए जहां कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में यहां खेती ऐसा धन्धा है, कृषि-पालन ऐसा धन्धा है जिनसे पचास परसेन्ट आय मिलने वाली है। इसके बावजूद भी सरकार खेती के विकास के लिए पूरी तरह से जागरूक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मौजूदा जो मन्त्री महोदय हैं वे इसके लिए योग्य नहीं हैं, अथवा वे खेती की तरक्की में रुचि न रखते हों। ऐसी बात नहीं है। वे रुचि रखते हैं।

आज राजस्थान के काश्तकारों की हालत सुधर नहीं रही है। इसमें कृषि मन्त्री रुचि न लेते हों, यह बात नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य केवल तीन बातें कहना चाहते हैं, जिसमें से वे एक बात तो कह चुके हैं। अतः इनको पांच मिनिट का समय और दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि सदन का समय पांच मिनिट और बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : हमको और दूसरे भी काम हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन-व्यवस्था को फलो आउट न किया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय पांच मिनट और बढ़ा दिया गया है।

श्री भगराज चौधरी : खेती की उपज बढ़ाने के लिये सरकार के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। छोटी सिंचाई के साधन और बढ़ाये जाने चाहिये। हमारे राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी भाग जो हमारे राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का एक-तिहाई हिस्सा है उसमें अकाल करीब-करीब हमेशा बना रहता है। वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। गत पन्द्रह सालों में इस क्षेत्र पर सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कभी कहा जाता है चम्बल से पानी आयगा, कभी भाखरा और कभी राजस्थान नहर के पानी के लिये कहा जाता

(श्री भगराज चौधरी)

है। जिस क्षेत्र की आबादी के अन्दर चौथाई हिस्सा है और क्षेत्रफल में तीसरा है उस क्षेत्र के अन्दर कोई सिंचाई की योजना सरकार लाने वाली नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि बड़ी-बड़ी योजनायें आपकी उधर चल नहीं रही हैं, उसके लिये लघु सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजना आपको चालू करनी चाहिये और वह भी योजनायें अविलम्ब हाथ में लेनी चाहिये। इसके सिवाय किसानों की हालत और किसी भी उपाय से सुधर नहीं सकती।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों पर जिस प्रकार की ज्यादतियां हुईं, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार सरकार उनके प्रति उदासीनता का रुख अपनाये हुए है उससे किसानों के प्रति आपका उत्साहपूर्ण व्यवहार नजर नहीं आता है। भूमि-सुधार के कानून आपने जरूर बनाये हैं, लेकिन सही मायने में उनका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो पाया है, और भूमि की समस्या अभी तक वैसी की वैसी बनी हुई है।

दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहिये, हमारी सरकार की यह हालत रही है कि वह ऐसे तबके की हालत की ओर ध्यान नहीं देती जो मुह बन्द किये पड़े रहते है। चाहे उनके लिये टैक्सेज में कमी करने का सवाल हो, उनके विकास का सवाल हो उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ जो शहर में रहने वाले लोग हैं चालाक हैं जो हमेशा परिस्थितियों का फायदा उठाना जानते हैं उनको सभी प्रकार की सहूलियतें प्रदान करती है, यह सरकार; लेकिन जो पिछड़ा हुआ तबका है, गरीब है जिसके पास खाने-पीने और पहनने का साधन नहीं है उसकी समस्या की ओर ध्यान नहीं देती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस राज्य में गरीबों को कौन सुनता है ?

श्री भगराज चौधरी : जो काश्तकार अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, आप चाहते हैं कि समाजवाद हम अपने देश में लावें क्या इस प्रकार के समाज में जिसमें काश्तकार की माली हालत नहीं सुधर रही है तो मेरी निश्चित मान्यता है कि सरकार की नीति जो किसानों के प्रति है वह निश्चित रुप से सही नीति नहीं कही जा सकती। मैं देखता हूं कि जब गांवों में स्कूल बनाने की बात आती है, सड़के बनाने की बात आती है तो पैसे का अभाव कह दिया जाता है, दूसरी तरफ शहरों में सड़के हैं, स्कूलें-कालेजेज हैं, उनकी हालत सुधर रही है, लेकिन गांव वालों की माली हालत वहीं की वहीं पर है। आज हम पर-केपिटा इनकम को भी लें तो जहां काश्तकार की आमदनी ५७-५८ में २४१ के आस-पास थी ...

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक १२ मार्च, १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. १ बज कर ३५ मिनट पर. कल दिनांक १२ मार्च, १९६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

बुधवार दिनांक ११ मार्च, १९६४

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१
सतवाड़ी ग्राम के पास नाले पर पुल	
दुकान कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश-हिण्डौन में	
रेल्वे-प्रशासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग	
पावर हाउस, टोडा	
पहाड़ों पर जंगल-तहसील दूदू	
नोहर-भादरा सड़क	
राज्य परियोजनाओं को विदेशी आर्थिक तथा टेक्नीकल सहायता	
राज्य में बनी शराब	
बांदीकुई-मंडावर मंडी सड़क	
डिक्री की किश्तों का भुगतान	
कॉपिंगवर्क	
यात्री-कर तथा उसकी वसूली	
चाकसू-कोट-खावदा सड़क	
पिंडवाड़ा-उदयपुर सड़क	
निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ा सड़क	
सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा व बूंदी के कार्यालयों में बिल्स	
श्री शार्दूल टैक्सटाईल मिल को दी गई बिजली की दर	
जिनिंग प्रेसेज—गंगानगर शहर	
प्लान्टेशन की बाड़बन्दी ग्राम कोपला	
कस्बा दौसा व खुर्द (जिला जयपुर) की ढाणियां	
ग्रेजिंग रेट्स	
अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक	६५
सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध जांच	
पंचायत समिति, नगर, के सदस्यों को दिये गये कर्जे की वसूली	
कुआ बनाने के लिए अनुदान-ग्राम पंचायत पापड़ ।	
राजस्थान (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) एक्ट, १९५० के अन्तर्गत दायर किये गए दावे ।	

Page No.112

बकाया रकम की वसूली-पंचायत समिति, हिन्डौन।

दुकानों का समय।

सरपंचों को दी गई रकमें पंचायत समिति, हिन्डौन।

पंचायत समिति बारां व अन्ता द्वारा दिया गया अनुदान व तकावी ऋण।

उद्योगपतियों को ऋण

कोटकासिम-नन्द-रामपुरवास सड़क।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अलवर व उदयपुर जिले में सड़क-निर्माण कार्य।

जयपुर नगर में नये उद्योग।

बिचून-फुलेरा सड़क।

स्थगन प्रस्ताव ७७

(१) पुगल क्षेत्र के गांव भाखासर को दिनांक २३ फरवरी, १९६४ को पाकिस्तान के डाकुओं द्वारा लूट लिये जाने से सम्बन्धित सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, मुरलीधर व्यास तथा श्री मानिकचन्द सुराणा के के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

उप-गृह मन्त्री इस विषय में स्थिति का स्पष्टीकरण करने हेतु दिनांक १२-३-१९६४ को एक वक्तव्य देंगे।

(२) गंगानगर कलेक्टोरेटके सामने श्री श्योपतसिंह एवं गंगानगर के १५ नागरिकों द्वारा नहरी पानी की समस्या, अकाल, सरकारी राशियों के सस्पेन्शन, मंहगाई आदि की समस्याओं के सम्बन्ध में की गई भूख-हड़ताल के बारे में निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई :—

(१) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

(२) श्री केदारनाथ

(३) श्री चन्द्रसिंह बर्फा

(४) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(५) श्री विट्ठल

(६) श्री मानिक चन्द सुराणा

(७) श्री हरिप्रसाद शर्मा (६३)

(८) श्री रामानन्द अग्रवाल

(३) श्री रामहेतसिंह, जिला जयपुर के सोशल वर्कर को चित्तौड़गढ़ रेल्वे स्टेशन पर मार दिये जाने से सम्बन्धित सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा कृष्ण कुमार गोयल, अब्दुल जब्बार खां, एवं श्री केदारनाथ के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

उप-गृह मन्त्री दिनांक १२-३-१९६४ को इस विषय में एक वक्तव्य देंगे।

(४) श्री शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स, श्री गंगानगर के ४० मजदूरों को प्रबन्धकों द्वारा हटा दिये जाने से सम्बन्धित श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

श्रम-मन्त्री इस सम्वन्ध में दिनांक १२-३-१९६४ को एक वक्तव्य देंगे।

आय-व्ययक, १९६४-६५

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद ८०

आय-व्ययक (बजट), १९६४-६५ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद जारी रहा।

गुरुवार, दिनांक १२ मार्च, १९६४ की कार्य सूची

आय-व्ययक, १९६४-६५ पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ का उत्तर देखिए)

सूची उन क्षेत्रों की जहां गाय व भैंसों की तादाद केन्द्रित हो गई है।

कोटा डिवीजन :—	(१) आमली रोफडी ।(२) अकेल गढ़ (३) लोह डूंगरी (४) बोरा-वास (५) फूटा (६) डाड़देबी (७) सकतपुरा (८) राडीडंढ (९) भडक्या (१०) केशरा फूटा (११) चांद बावड़ी (१२) डोलूया (१३) केसर (१४) बड कालाजी (१५) किशोर सागर (१६) मशाल-मुराबी (१७) दरा (१८) मशालपुरा (ए) (१९) खींमच (ए) (२०) खींमच (बी) (२१) मनोहरपुरा।
बारां डिवीजन :—	(१) बड़ा डूंगर (२) ब्लॉक बारां पाटी (ए) व (ब) बीलैंडी (४) हरनावदा (५) नाहरिया (६) बजाजपुर (७) सीताबाड़ी (८) राजपुर (९) जैतपुरा (१०) मोखड़ा दुर्जनपुरा (११) बामदिया नया गांव (१२) सीगोरी (१३) बांझ वामली (१४) कुंजीसुनवास (१५) गोपालपुरा पेवानगर (१६) भंवरगढ़ (१७) हीरापुर गारीघाटा।
बून्दी डिवीजन :—	(१) करूंदी (२) खारीपुर (३) अम्बारानी (४) धामेश्वर (५) डाबी पलंका।
झालावाड़ डिवीजन :—	(१) खोखण्डा घनवास (२) रायपुर बालगढ़ (३) फील्स सरियाल (४) लोटिया झिर (५) भंवरासा बुगडार (६) सूरजपुरा (७) मालता (८) तीज वारडी (९) घाटोली (१०) आमेढा (११) मदनपुरया (१२) कोटरा कजालिया (१३) कोटरा भंवरहारा कालापाल (१४) मानकुण्ड (१५) मालाटोंटा (१६) गोडिया रीछवा (१७) महुआखेड़ा (१८)धोराबांध (१९) मालनवासा तारज (२०) वागेर (२१) घानोदा (२२) बनन्धा (२३) सेमलीखान (२४) गेलानी (२५) खर्गपुरा।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति, नगर द्वारा पंचायत समिति सदस्यों को दिए गए ऋण की सूची

क्र.सं.	ऋण प्राप्त कर्त्ता का नाम	कार्य	ऋण की रकम	ऋण देने की तारीख	ऋण की अवधि	जांच अधिकारी का पद व जांच की तारीख
१.	श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता-'सरपंच' भोतपुरा	पशुपालन फार्म	३७५०	(१६-१२-५६ (२६- ७-६१ (२६- ६-६१	१० वर्ष	पशुपालन प्रसार अधिकारी द्वारा दिनांक २३-८-६३ को।
२.	श्रीराम शर्मा 'सरपंच' सीकरी	सिंचाई का कुआ	२७००	(३१-३-६० (१३-३-६१	" "	कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा दिनांक १३-२-६२ को।
३.	श्रीनत्थीसिंह 'सरपंच' मून्डोली	" "	२०००	(२८-५-६३ (१४-६-६३	" "	कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा दिनांक २५-६-६३ को।
४.	श्री सिधानसिंह सिख गढटेरकी	सांड	२५०	(७-१०-६०	५ वर्ष	ग्राम सेवक द्वारा दि० १८-१-६१ को।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १३२ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति कामां, जिला भरतपुर

ग्राम पापड़ा में नए कुएँ की लागत का विवरण

क्र०सं०	मात्रा	आइटम	प्रस्तावित दर	प्रति	राशि	योग
१.	१११५ घ०फु०	पत्थरीलि जमीन को छोड़कर हर किस्म की मिट्टी में कुए की खुदाई करने हेतु	२८)	१००० घ०फु०	३१.२२	
२.	५६० ,,	कुएं की खुदाई २० फुट से नीचे नमीदार मिट्टी में।	७३)५०	१००० ,,	४१.१५	
३.	१३०० ,,	सूखे पत्थर की चुनाई (कुए की)	५०)	१०० ,,	६५०.००	
४.	३५३ ,,	पत्थर की चुनाई सीमेंट के मसाले में	१५०)	१०० ,,	५२६.५०	
		पत्थर की चुनाई सीमेन्ट के मसाले में (कुण्डी आदि)	१२०)	१०० ,,	७०४.४०	

योग : १९५६.२७

मान लिया १९५६)

ह० विकास अधिकारी, कामां

पंचायत समिति कांमा, जिला जयपुर

ग्राम पापड़ा में नए कुएं के निर्माण के तखमीने का बिवरण

क्र. सं०	विवरण	नं०	नाम लम्बाई	चौड़ाई	गहराई या ऊंचाई	मात्रा	योग
१–	कुएं कीं मिट्टी की खुदाई	२२/७ ×	११२/४ ×	२०	—	१११५ घ० फु०	
	,, ,, ,,	२२/७ ×	११२/४ ×	१०	—	५६० ,,	
२–	पत्थर की सूखी चिनाई	२२/७	७'६"	२'६"	२२'	१२६६ ,, मानलिया १३०० ,,	
३–	पत्थर की चिनाई सीमेंट के मसाले में	२२/७	७'६"	१'६"	१०'	३५३ ,,	
४–	पत्थर की चिनाई सीमेन्ट के मसाले में ऊपर के हिस्से में	२२/७	१२'	३'	४'	४५२ ,,	
	सीढ़ियों पर	४	४'३"	३'३"	१'६"	८२.५६ ,,	
	पानी की हौजी	१	५'६"	३'	२'६"	४१.२५ ,,	
		१	३	१'६"	२'६"	११.२५ ,,	
					योग :	५८७.०६ घ०फु०	

ह० ओवरसियर, कामां

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १३३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CASES INSTITUTED UNDER THE RAJASTHAN PREMISES (CONTROL OF RENT AND EVICTION) ACT, 1950 FOR EJECTMENT OF TENANTS BY THE LAND LORDS.

	Name of Judgeship.	1950	1951	1952	1953—	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962.
1.	Jodhpur.	...	325	362	295	187	201	200	202	159	168	256	289	840
2.	Balotra.	28	25	15	13	10	11	16	21	10	20	19	15	15
3.	Merta.	16	34	21	17	13	17	39	30	29	39	47	63	70
4.	Pali.	85	29	29	28	25	41	38	29	53	[illegible]	90	94	95
5.	Bikaner.	27	27	65	63	95	58	75	70	40	117	84	128	96
6.	Ganganagar.	...	15	27	34	38	22	17	15	20	37	57	55	54
7.	Udaipur.	1	67	104	130	120	113	149	[illegible]	90	141	144	164	164
8.	Bhilwara.	7	7	13	11	30	39	122	42	29	39	30	57	36
9.	Pratabgarh.	31	31	67	53	57	41	60	45	65	61	50	57	63

Page No.119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	Jaipur Distt.	...	2	3	4	16	13	10	8	12	9	9	21	20
11.	Jhunujhunu.	9	12	5	13	10	6	11	15	18	28	25	33	24
12.	Alwar.	93	103	67	52	50	23	56	31	62	4[illegible]	58	5[illegible]	58
13.	Bharatpur.	91	75	61	89	75	80	92	104	129	175	155	165	133
14.	Ajmer.	...	1	...	27	10	19	17	205	359	644	673	798	1197
15.	Jaipur City.	195	239	331	353	412	325	245	340	3[illegible]3	474	436	398	557
16.	Kotah.	59	54	144	88	100	153	173	161	169	266	296	299	317
	Total	642	1046	1305	1270	1248	1165	1320	1468	1607	2349	2428	2678	3739

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १३४ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति हिण्डौन के भूतपूर्व व वर्तमान सरपंचों में बकाया सरकारी रकम की सूची

क्रमांक	नाम सरपंच	बकाया रकम	विवरण
१	२	३	४
१.	श्री धूरेराम, 'उप-सरपंच', बरगमा	२०००)	हिसाब पेश कर दिया है लेकिन पत्रावली तहसील, हिण्डौन से मंगाई जा रही है अब तक रिकवरी के लिए स्टे दे दिया गया है।
२.	श्री धूरेराम, 'उप-सरपंच', बरगमा	४००)	वसूली की कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत की जा रही है।
३.	श्री धूरेराम, 'उप-सरपंच', बरगमा	३००)	वसूली का स्टे दे दिया गया है हिसाब मिस्त्री भू० पू० जिला बोर्ड को दिया गया है उससे जानकारी चाही जा रही है।
४.	श्री धूरेराम 'उप-सरपंच' बरगमा	८००)	कार्य की नाप मिस्त्री द्वारा करवाई जा रही है हिसाब पेश हो गया है। बाद नाप कार्यवाही की जावेगी।
५.	श्री धूरेराम 'उप-सरपंच'	१५०)	वसूली करने हेतु तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।
५.	श्री धूरेराम	५००)	हिसाब पेश हो चुके हैं कार्यों की नाप मिस्त्री द्वारा कराई जा रही हैं नाप हो जाने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।
७,	श्री धूरेराम उप-सरपंच	५००)	
८.	श्री धूरेराम उप-सरपंच	१०००)	
९.	श्री दयोनारायण, 'सरपंच', बरगमा श्री कजोड़ी, राम 'उप-सरपंच', नागलमीना	१९०)	वसूली के लिए तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।

१	२	३	४
१०.	श्री श्योनारायण सरपंच	६०१)	वसूली के लिए तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।
११.	श्री भवानी राम सरपंच	७५)	वसूली कार्यवाही के स्थगत आदेश जारी किया गया। रकम दूसरे को दे दी गई थी।
१२.	श्री पतीराम सरपंच	४५०)	वसूली कार्यवाही रोक दी गई है। कार्य की नाप कराई जा रही हैं। बाद नाप कार्यवाही की जावेगी।
१३.	श्री पतीराम सरपंच	१०५०)	वसूली करने हेतु तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।
१४.	श्री रामसहाय 'सरपंच' महुइब्राहीमपुर	९७)	वसूली करने हेतु तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।
१५.	श्री रामसहाय सरपंच	४००)	हिसाब पेश हो चुका है। कार्य की नाप मिस्त्री द्वारा कराई जा रही है।
१६.	श्री भीकमचन्द 'सरपंच' शेरपुर	१२४)	तहसीलदार, हिण्डौन के वसूली करने हेतु लिख दिया गया है।
१७.	श्री भोंदूराम सरपंच	५५)	वसूली हेतु तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।
१८.	श्री भोंदूराम सरपंच	७२)	वसूली हेतु तहसीलदार, हिण्डौन को लिख दिया गया है।
१९.	श्री भोंदूराम सरपंच	१००)	वसूली के लिए कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत की जा रही है।

परिशिष्ट ६

(कृपया ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १३५ का उत्तर देखिए)

राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम, १६५८ की अलग-अलग धाराओं में चालानों की सूची अप्रेल सन्, १६६० से ३१-१२-१६६३ तक।

धारा जिसके अन्तर्गत चालान किया गया।	चालानों की संख्या।
४	१७०५
५	६७
६	२५८
७	६७
८	२०
९	२५
१०	५८
११	८३६
१२	११७६
१३	३१
१४	४
१५	३
१६	१
२१	१०
२२	४४८
२५	६६
२६	१
३२	२१३
३६	४४४
योग	५८७२

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ का उत्तर देखिए)

जयपुर नगर में अब तक निम्नलिखित उद्योग स्थापित हो चुके हैं।

बड़े उद्योग

१–नैशनल इन्जिनियरिंग इन्डस्ट्रीज लि०,

(१) रोलर बीयरींग्स, (२) एक्सल बॉक्स, (३) स्टील बॉल, (४) बॉल बियरिंग्स ।

२–जयपुर मेटलस एण्ड इलेक्ट्रीकल, लि०

(१) बीजली के मीटर, (२) परमानेण्ट मैगनेट, (३) कन्डक्टर्स, (४) वायर ए स्ट्रीप ।

३–जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०—टैक्सटाइल ।

४–मान इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन—स्टील फार्जिंग, ट्रांसमिशन टॉवर्स आदि ।

५–मैसर्स सांधी ऑक्सीजन कं०, जयपुर—ऑक्सीजन व एसीटीलीन गैस ।

६–मैसर्स कैप्सटन मीटर्स (ई०) लि०—पानी के मीटर्स ।

७–ए० मुखर्जी एण्ड कम्पनी —पीतल की चादरें ।

८–मैसर्स मेहताब चन्द गोलेछा —कम्प्रेस्ड वुलन फेल्ट ।

छोटे उद्योग

९–रामा रॉलिंग मिल, झोटवाड़ा ।

१०–कुमार रॉलिंग मिल, झोटवाड़ा ।

११–रेडियों बनाने वाले उद्योगों की संख्या १५ हैं ।

१२–साईकिल इन्डस्ट्रीज की संख्या ३ हैं ।

१३–इन्जीनियरिंग उद्योग की सख्या ५२ हैं ।

१४–फाउण्ड्री उद्योगों की संख्या ७ हैं ।

१५–सीमेंट की वस्तुऐं बनाने के उद्योगों की संख्या ६ हैं।

१६–रसायन (केमिकल) उद्योगों की संख्या १४ हैं।

१७–प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के उद्योगों की संख्या ६ हैं।

१८–सात अन्य ऐसे उद्योग जो अन्य कार्य करते हैं।

१९–लोहे के घरेलू (फेबरीकेटर्स) लघु उद्योग की संख्या २५८ हैं।

२०–आसाम रॉलर फ्लोर मिल्स, कोटवाड़ा।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ११ मार्च, १९६४)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३	२०, २१	(श्रीमती कमला) बेनीवाल) :	(श्रीमती कमला बेनीवाल) :
१०	शीर्षक	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१	श्री अब्दुल जबार	श्री अब्दुलजब्बार
१३	१	श्री परसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
२२	१	श्री भवानीशंकर नन्द्वाना	श्री भवानीशंकर नन्द्वाना
,,	१८	श्री रविशंकर याज्ञानिक	श्री रविशंकर याज्ञनिक
२३	३, ४	(श्री भवानीशंकर नंदवाना)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)
२७	शीर्षक	तारांकित प्रश्तोतर-११ मार्च,६३-	तारांकितप्रश्नोत्तर-११ मार्च, ६४
२६	शीर्ष	(श्री रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
३१	शीर्ष	(श्री चन्दनमल वैद्य)	(श्री चन्दमल वैद)
३३	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
३६	अन्तिम से २	(बांरा)	(बारां)
३७	१४	(श्री भवानी शकर नन्दवाना)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना) :
४१	शीर्षक	प्रश्कोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	२५	(परिशिष्ट देखिये ?)	(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)
४२	१	श्री भवानीशंकर (नन्द्वाना)	श्री भवानीशंकर नन्द्वाना :
४३	शीर्षक	-११ मार्च, १९६३-	-११ मार्च, ६४-
४५	१	श्री भवानीशंकर नन्द्वाना	श्री भवानीशंकर नन्द्वाना :

२

१	२	३	४
४५	१६	श्री भवानीशंकर नन्दवान	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
४६	१७	श्री उमरावसिंह ढावरिया	श्री उमरावसिंह ढावरिया
४६	शीर्ष	(उपमन्त्री श्रम)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)
५०	१	(थानागाणी)	(थानागाजी)
५१	१८	(जोहर बाजार, जयपुर)	(जोहरी बाजार, जयपुर)
५५	१	श्री केसरीसिंह पाली	श्री केसरीसिंह (पाली) :
५७	शीर्षक	–११ मार्च, ६३–	–११ मार्च, ६४–
५८	१४	उप-मन्त्री, वित	उपमन्त्री, वित्त
६३	शीर्षक	–११ मार्च, ६४–	–११ मार्च, ६४
,,	१६	वित्तमंत्री श्री बालकृष्ण कौल :	वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल):
६४	१४	(लूणकरनसर)	(लूणकरणसर)
६६	२६	(कृपया परिशिष्ठ	(कृपया परिशिष्ट
७२	८	श्री उमरावसिंह ढावरिया	श्री उमरावसिंह ढावरिया
७३	शीर्षक	प्रम्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
७६	शीर्षक	प्रश्नोरत्त	प्रश्नोत्तर
,,	२१	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
७७	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री अमरसिंह)	(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
,,	अन्तिम से ४	क्लेक्टोरेट	कलेक्टोरेट
७८	६	श्री चन्द्रसिंह बरपा	श्री चन्द्रसिंह वर्मा

१	२	३	४
७८	१०	श्री उमरावसिंह ढालरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
,,	११	श्री विट्ठल भाई	श्री विट्ठल
,,	१२	श्री माणिकचन्द सुराणा :	श्री मानिकचन्द सुराणा :
,,	२१ के बाद	चित्तौडगढ़ में श्री रामहेतसिंह को स्टेशन पर मार डालने विषयक एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित चार माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की है :	श्री रामहेतसिंह को चितौड़गढ़ रेल्वे स्टेशन पर मार डालने विषयक स्थगन प्रस्ताव एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित चार माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की है :
७९	शीर्षक	–११ मार्च, ६३–	–११ मार्च, ६४–
८०	१ के बाद	——	(विराम)
,,	५	(झुनझुनू)	(झुन्झुनू)
,,	१६, १७	(नशीराबाद)	(नसीराबाद)
९७ से १७५ तक	शीर्षक	आय-व्यय पर	आय-व्ययक पर
११३ से ११५	शीर्ष	(श्री उमराव सिंह ढावरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
११७	शीर्ष	(श्री उमरावसिह ढार्वारया)	,, ,, ,,
१२१	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह ढायरिया)	,, ,, ,,
१२२	११	(उपाध्यक्ष, रावं श्री नारायण सिंह, पदासीन)	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)
१२४	अन्तिम से ४	श्री उमरावसिंह ढावरिया :	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१२५	शीर्ष	(श्री बालकृष्ण कौल)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
,,	२१, २७	श्री उमरावसिंह ढावरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरियां
१२७	शीर्ष	(उमरावसिह ढाधरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
१२९ से १३१ तक	शीर्ष	(श्री उमरावसिह ढावरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

१	२	३	४
१३२	अन्तिम से ६	श्री उमरावसिंह (ढाबरिया):	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१३३	१	,, ,, ,,	,, ,, ,,
,,	७	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१३४	३	श्री उपाध्दत्त	श्री उपाध्यत्त
१३५ से १३६	शीर्षक	(उमराबसिंह ढावरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
१३७	५, २१	श्री उमराबसिंह ढावरिया	श्री उमरावसिंह ढावरिया
१३८	१, १४, १६	श्री उमरावसिंह ढावरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१४१	शीर्ष	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री उमरावसिंह ढावरिया)
१४२	शीर्षक	सामान्य याद	सामान्य वाद
१४६	६	(मॉडल)	(मांडल)
१४६	शीर्ष	(मुक्तिलाल मोदी)	(श्री मुक्तिलाल मोदी)
१५०	५	श्री मूक्तिलाल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
१५१	शीर्ष	(श्री मूक्तिलाला मोदी)	(श्री मुक्तिलाल मोदी)
१५३	शीर्ष	(श्री मुार्क्तलाल मोदी)	(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
१५६	शीर्षक	मामान्य	सामान्य
१६३	शीर्ष	(श्री बालकृष्ण कौल)	(श्री मुरलीधर व्यास)
१६६	१६	श्री मुरीलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
१७३ से १७५	शीर्षक	आय व्यय रर	आय व्ययक पर
१७५	शीर्ष	(मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
१८५ व १८६	शीर्षक	आय व्यय पर	आय-व्ययक पर

५

१	२	३	४
१८७	१५	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१८८	अन्तिम से ४	(१२.३२ म० पू०)	(११.३२ म. प.
१९३	शीर्षक	–११ मार्च, ६३–	–११ मार्च, ६४
१९५ व २०१	शीर्ष	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
२०६	शीर्ष	(श्री तेजाराम महलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)
२११ से २१७ तक	शीर्षक	–११ मार्चं ६४–	–११ मार्च, ६४–
२११	शीर्ष	(श्री बाचन्लद डागा)	(श्री बालचन्द डागा)
,,	अन्तिम से २	श्री बालचन्द डाग	श्री बालचन्द डागा

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर

(कृपया कॉलम ७२, पंक्ति संख्या ६ देखिये)

उत्तर

सूची संलग्न है ।

(सूची)

पंचायत समिति बारां व अन्ता में सन् १९५७ से १९६३ तक अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोगों को अनुदान व तकाबी के रूप में दी गई रकम की सूची :—

क्र० सं०	पंचायत समिति	अनुदान के रूप में दी गई रकम	तकाबी बैल	तकाबी कुओं के लिए
१.	बारां	१६,६५०)	५,२८३)	७,५००)
२.	अन्ता	२१,७५०)	५४,६५०)	८,३००)

*नोटः— विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।